राजस्थान विधान सभा

चौदहवीं बैठक, दिनांक–३० अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारंभ हुआ ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री भैरूंसिंह खेजड़ला:–अध्यक्ष महोदय ! श्री भैरूंसिंह (वि० संख्या १२)की लिखित ओथोरिटी मेरे पास मौजूद है । अत: उनके स्थान पर में प्रश्न पूछता हूं ।

(श्री भैरूंसिंह खेजड़ला द्वारा प्रश्न संख्या २०९ से २१४ पूछे गए)

प्रश्न सं० २०९

श्री भैरूंसिंह डि० नं० ६२:–क्या श्री मंत्री महोदय, वन विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) जंगलात का क्षेत्रफल अरावली पहाड़ो की तराई से कितनी दूर तक है ?

(ब) जंगलात की सीमा में रहने वाले नागरिकों को उचित अधिकार दिये गये हैं ?

(स) यदि "ब" का उत्तर "हां" में है तो क्या बीलिया गांव, तहसील बाली, निवासियों को भी सब हक दिये गये हैं ?

(द) यदि"स"का उत्तर 'ना' में है तो सूचित कीजियेगा कि उन्हें उचित हक क्यों नहीं है।

(अ) जंगलात की सीमा अधिकतर अरावली पहाड़ों की जड़ तक है।

(ब) जंगलात की सीमा में स्थाई रूप से कोई ग्राम नहीं है; बल्कि जंगलात की सीमा ग्रामों से मिली हुई होती ह और ऐसे ग्राम वाले को ग्राम से मिल हुए जंगलों के रकबे में कुछ वन संबन्धी पैदावार के हकूक प्राप्त हैं जो भिन्न भिन्न इकाइयों में तथा एक ही इकाई के भिन्न २ ग्रामों में अलग २ हैं।

(स) ग्राम बीलिया, तहसील बाली निवासियों को कोई हकूक प्राप्त नहीं है।

(ड) जोधपुर इकाई में ऐसे वन सम्बन्धी हकूक सन् १८९९ में निर्धारित किये गये थे और उस समय जिन ग्रामों की लिस्ट तैयार की गई थी उसमें ये ग्राम दर्ज नहीं हैं।

श्री माधोसिंह:—क्या इस बारे में संशोधन करने के विषय में सोचा जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव:—जो वन-विधेयक सारे राजस्थान के लिए पास हो गया है उस लाइट में रूल्स बनेंगे तब सोचा जायगा ।

प्रश्न संख्या २१०

श्री भैरूंसिंह डि० नं० १२:—क्या श्री मंत्री महोदय वन विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) राजस्थान में जंगलात का क्षेत्रफल कितना है ?

(ब) सरकार जंगलों की कटाई बन्द करने का उद्देश्य रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव:--(अ) राजस्थान में जंगलात का क्षेत्रफल अनुमानतः १२,७८२ वर्ग मील है ।

(ब) जंगलों की कटाई सिलसिले वार एक नियत सिस्टम पर और Sustained yield के प्रिन्सिपल पर कराई जाती है जिससे फोरेस्ट केपिटल स्थाई बना रहता है। और जंगलों की कोई हानि नहीं होती । अतः ऐसी नियमपूर्वक कटाई की दशा में जंगलों को कटाई बन्द करने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। अलबत्ता प्राइवेट जागीर व माफी के जंगलों में जहां अनियमित रूपसे से कटाई होती थी उसके रोकने के लिए सरकार ने राजस्थान ट्री रीमूवल आर्डिनेन्स, १९४९ प्रचलित कर दिया है जिसके अनुसार सब-डिविजनल आफिसर सम्बन्धी से लाईसेंन्स प्राप्त करने के बाद ही और उसके द्वारा मुकर्रेरा शरायत पालन करने पर ही कटाई की जा सकती है ।

श्री भैरूंसिंह (खेजड़ला):—क्या सरकार की फोरेस्ट एरिया बढ़ाने की योजना है ?

श्री अमृतलाल यादव:—सरकार का फोरेस्ट एरिया बढ़ाने का इरादा है ।

श्री सोहनलाल:—जंगलों की जो कटाई होती है उससे क्या जंगल की कमी नहीं होती है ?

श्री अमृतलाल यादव:—कटाई सिस्टेमेटिक होती है । एक पेड़ के २० हिस्स कर दिये जाते हैं; जब तक बीसवां हिस्सा कटता है तब तक वह पेड़ उतना ही वापिस बड़ा हो जाता है; वह बराबर बढ़ता जाता है ।

श्री रोशनलाल:—आप ऐसा कोई जंगल बतायेंगे जहां इस प्रकार पेड़ कटे हों और वे ठीक वापस उसी प्रकार हो गये हों ।

श्री अमृतलाल यादव:—आप किसी भी जंगल में जाकर देख सकते हैं । मैंने अर्ज किया कि माना एक पेड की बीस साल की उम्र है उसके बीस हिस्से कर देते हैं; जब तक बीसवां हिस्सा कटता है तब तक पहला हिस्सा उतना ही बढ़ जाता है ।

श्री रोशनलाल:—क्या उस पेड की दशा वैसी ही हो जाती है जैसी बीस साल पहले उसकी थी; ऐसा कोई जंगल बता सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:–यह आप किसी भी जंगल में जाकर देख सकते हैं ।

प्रश्न संख्या २११

श्री रोशनलाल:–क्या श्री मंत्री महोदय, वन विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) देसूरी के पास शिकार गाह नाम का कोई क्षेत्र है और अगर है तो क्या वह जंगलात में शामिल कर दिया गया है ?

(ब) सरकार जानती है कि इस क्षेत्र में लगान लेकर मवेशियों को चरने को दिया जाता है ?

(स) इस भाग का क्षेत्रफल कितना है और इससे सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

(ड) जंगलात के नाम से भी मवेशी-चराई का टेक्स देसूरी जनता से वसूल किया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव:–(लिखित)

(अ) देसूरी के निकट घोड़ाघड़ा नाम का शिकारगाह है, जिसका प्रबन्ध वन-विभाग के आधीन ता० १-४-५१ से आया है ।

(ब) यहां। इस क्षेत्र को चराई के लिए वार्षिक ठेके पर दे दिया जाता है और ठेकेदार नियत शरह चराई लेकर मवेशियों को चराई के पास जारी करता है ।

(स) इसका क्षेत्रफल ३५०० बीघा है वार्षिक आय ५०–६० रु० औसतन होती है ।

(ड) देसूरी की जनता इस घोड़ाघड़ा क्षेत्र के अलावा अधिकतर अन्य जंगलात सम्बन्धी रिजर्व रकबे में मवेशी चराते हैं और उस रकबे की नियत चराई देते हैं ।

श्री भैरुंसिंह:–क्या सरकार यह बतलायेगी कि उस क्षेत्र में गायों की चराई ली जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव:–मवेशियों में गायें भी शामिल है ।

श्री रोशनलाल:–क्या चरागाह इसके लिये रिजर्वड् किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:–चरागाह में कोई भी इजाजत लेकर चरा सकता है ।

श्री रोशनलाल शर्मा:–गायों के चरने के लिए किन किन चरागाहों में चराई ली जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव:–इस प्रश्न के सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोपालसिंह:–क्या रियासतों के वक्त में गायों की चराई माफ थी ?

श्री अमृतलाल यादव:–नहीं थी ।

श्री भेरुंसिंह:—क्या आप बता सकते हैं कि हर शिकारगाह के चरागाह किन किन के आधीन हैं।

श्री रोशनलाल:—उससे गवर्नमेन्ट को कोई फायदा मिलता है ?

श्री अमृतलाल यादव:—एकोर्डिंग टू कॉवेनेन्ट उनके शिकारगाह के चरागाह उनके आधीन हैं।

श्री रोशनलाल:—उनमें से लकड़ी बेची जा सकती है ?

श्री अमृतलाल यादव:—वे अपने निजी उपयोग के लिए ले सकते हैं।

श्री श्रीदास गोयल:—जो राजाओं के शिकारगाह हैं और जिनमें शेर पाले जाते हैं वे गांव वालों के मवेशियों को खा जाते हैं। क्या उनको मारे जाने के लिए कोई कदम उठाया गया है ?

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१२

श्री भेरुंसिंह (वि० सं० १२):—क्या श्री मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) राजस्थान की किन–किन शिक्षण संस्थाओं में फौजी शिक्षा दी जा रही है ?

(ब) ऐसी शिक्षा में कहां तक सफलता मिली है ?

(स) अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी फौजी शिक्षा की व्यवस्था की जाने वाली है ?

(ड) यदि 'स' का उत्तर 'हां' में है तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—एन० सी० सी० के सीनियर और जूनियर यूनिट्स डिविजनल हैडक्वार्टस कॉलेजों तथा हाई स्कूलों में पिलानी और अलवर में भी हैं। वे बिल्कुल कामयाब हैं। गवर्नमेन्ट का पूरा इरादा है कि इस एन० सी० सी० की ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ाया जाय; बशर्ते कि हमें आर्थिक सहायता मिल सके।

श्री भेरुंसिंह:—हर साल कितने आदमी एन० सी० सी० में से मिलिटरी में लिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–एन० सी० सी० ऑल इन्डिया ओर्गेनाइजेशन है और एवरी इयर १० पर्सेण्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेण्ट होता है ।

श्री भैरुंसिंह:–क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल राजस्थान में से कितने व्यक्ति लिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–इसके विस्तृत उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री कपिलदेव:–क्या गर्ल्स को भी लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१३

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):–क्या श्री मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि

(अ) राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने का विचार रखती है ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर हां में है तो इसकी कब तक आशा की जा सकती है ?

(स) उन सब स्थानों पर जहां हाई स्कूल हैं क्या सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा की भी व्यवस्था है ?

(ड) यदि "स" का उत्तर "ना" में है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था सर्वत्र करने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–(अ) सरकार की तीव्र इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमारे राजस्थान में फ्री कम्पलसरी प्राइमरी एज्युकेशन हो; परन्तु जैसा कि मैंने बारबार कहा है, आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ किया नहीं जा सका है ।

(ब) मौजूदा हालत में इस के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित करना मुश्किल है ?

(स) जहां हाईस्कूल्स हैं वहां प्राइमरी स्कूलें भी हैं ।

(ड) इसलिए प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–आर्थिक अवस्था कब तक सुधरने की उम्मीद की जा सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—जिस तरह की गति अभी नजर आ रही है, जिस तरह से हमारे प्रयत्न जारी है, उससे तो काफी समय लगता नजर आता है। हमारी आर्थिक अवस्था को सुधारने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २१४

श्री भैरुसिंह (वि० सं० १२):—क्या श्री मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि

(अ) समस्त राजस्थान में साम्प्रदायिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं और वे किस स्तर की हैं?

(ब) समस्त शिक्षण संस्थाओं को असांप्रदायिक एवं सार्वजनिक बनाने की सरकार की तजवीज है?

श्री नाथूराम मिर्धा:—राजस्थान में साम्प्रदायिक या किस किस जाति की कितनी कितनी इन्सटीट्युशन्स हैं उसका कोई नम्बर या स्टेटिस्टिक्स शिक्षा विभाग के पास नहीं है। जहांतक ख्याल है वे इन्स्टीटयुशन्स जिन को सरकारी तौर से मदद दी जाती है उनकी संख्या ३७० है; जिसमें से ३ पोस्ट-ग्रेज्युएट कॉलेज हैं, १३ इन्टरमिडियेट कॉलेज हैं, ५५ हाई स्कूल हैं और १५४ मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स हैं। बोर्डिंग हाउस ६५ हैं और दीगर मिस्लेनियस इन्स्टीट्युशन्स ५ हैं। गवर्नमेन्ट एड उन्हीं इन्स्टीट्युशन्स को दी जाती है जिनका कॉम्युनल कलर न हो।

श्री माधोसिंह:—माननीय मंत्री महोदय "ख्याल" आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं; तो क्या वे उनके उत्तर में डाउटफुल हैं?

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २१५

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय दलित वर्ग उत्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) वनस्थली विद्यापीठ में सरकारी खर्चे से गत ३ वर्ष से हरिजनों की २५ लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके पूरे नाम क्या क्या हैं?

(ख) किस किस जाति की कितनी कितनी लड़कियां हैं?

(ग) किस किस डिविजन की हैं?

(घ) इनमें से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो एक ही पिता की है?

(ङ) अब तक इन पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—कुल छात्राओं की संख्या २५ है ।..........

श्री अध्यक्ष:—आप इसको टेबल पर रख दीजिएगा और बाकी का जवाब दे दीजियेगा ।

श्री भोगीलाल पंड्या:—(ख, ग, घ, और ङ का उत्तर लिखित पढ़ा गया)

(ख) छात्राओं की जाति निम्न प्रकार है

	सन् १९५०/५१	सन् १९५१/५२	सन् १९५२/५३
चमार	२१	२०	१८
मेहतर	४	४	४
रेगर	०	०	१
भील	०	१	१
मीना	०	०	१
योग	२५	२५	२५

(ग) छात्रायें निम्नलिखित डिविजनों की रहने वाली हैं

	सन् १९५०/५१	सन् १९५१/५२	सन् १९५२/५३
उदयपुर डिवीजन	१९	१९	१७
जयपुर डिवीजन	६	६	८
योग	२५	२५	२५

(घ) सूची (परिशिष्ट १ में) में दी हुई क्रम संख्या ५ व १० वाली छात्राएें एक ही पिता श्री दयाराम की तथा क्रम संख्या १२ व १७ वाली छात्राएें एक ही पिता श्री भूपसिंह की पुत्रियां हैं । बाकी सबके पिता अलग अलग हैं ।

(ड़) नामावली में दी हुई छात्राओं पर जुलाई सन् १९५० से मई सन् १९५२ तक कुल रु० २४,००९/८/३ खर्च हुआ है जिसकी विगत नीचे दी जाती है ।

१९५०/५१	१९५१/५२	अप्रेल व मई १९५२	मई सन् १९५२ के बाद के खर्च का बिल अभी नहीं आया ह ।
१२,७५० रुपये	१०२१७/१/० रु०	१०४२/७/३ रुपया	

(च) उक्त विद्यापीठ में छात्राओं की भर्ती शुरू में हरिजन सुधार मंडल के समय में हुई थी यह कार्य बेकवर्ड क्लास वेलफेयर विभाग के अधीन आजाने के बाद। अब तक कुल ४ स्थान रिक्त हुए; उनमें एक रेगर, १ भील, १ चमार, व १ मीणा यानी ४ स्थानों पर ४ भिन्न २ जाति की छात्राओं को प्रवेश दिया गया है ।

"क" के उत्तर के सम्बन्ध में सूची टेबल पर रख दूंगा ताकि माननीय सदस्य इसे देख कर और जानकारी प्राप्त कर सकें ।

(परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या वनस्थली के अलावा दूसरी कोई संस्था नहीं है कि जहां छात्राएं भेजी जातीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:- वनस्थली में भी पहले नहीं भेजी जाती थी । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग पहले तो भेजने के लिए तैयार ही नहीं होते थे और जिन्होंने भेजा है उनको वनस्थली में भेजा गया था ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या सरकार यह भी व्यवस्था करेगी कि ऐसी छात्राओं को दूसरी संस्थाओं में भेजा जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या:--मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने तो यह व्यवस्था की है । यदि और कोई संस्था होंगी और छात्राएं होंगी तो वहां भेजने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:--क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से यादव जाति की कितनी लड़कियें हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--१६ लड़कियें चमारों की हैं; उनमें यादवों की भी शामिल हैं ।

श्री मोतीलाल:—क्या भील और मीणे शिडयूल ट्राइब्ज में हैं या शिडयूल कास्ट में हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—ये पिछड़ी जातियां में आ जाते हैं। एक एक लड़की दोनों की रखी गई है।

श्री मोतीलाल:—सवाल हरिजनों के बारे में पूछा गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या:—ये वनस्थली में पढ़ने वाली छात्राओं से सम्बन्ध रखती हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—यादव कई तरह के होते हैं। यह भेद कैसे मालूम पड़ता है कि फलां यादव हरिजन हैं और फलां हरिजन नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं तो सभी तरह के यादवों को हरिजन मानता हूं।

श्री भैरूसिंह:—ये लडकियां उदयपुर डिविजन से ही क्यों ली गई; दूसरी जगहों से भी क्यों नहीं ली गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—जब शुरू में लड़कियें भर्ती की गई थीं तो उस समय दूसरी जगहों से कोई लड़की नहीं आई इसलिये जहां से आई उन्हीं को लेना पड़ा। पर अब धीरे धीरे दूसरे स्थानों से भी आने लगी हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या तीन साल में और कोई लड़कियें पैदा ही नहीं हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—शुरू में लोगों में उत्साह नहीं था; इसलिये कम लडकियें पढ़ने आती थीं। अब लोगों का उत्साह बढ़ने लगा है और लडकियें आने लगी हैं। ज्यों ज्यों स्थान खाली होता जायगा त्यों त्यों सभी स्थानों की लड़कियों को लिया जाएगा।

प्रश्न संख्या २१६

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय दलित वर्ग उत्थान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) गत सेशन में जयपुर के हरिजनों को बसाने के हेतु सरकार ने दो मौके, एक हीदा की मोरी के बाहर और दूसरा तोपखाना हजूरी में बताये थे; किन्तु वहां अब तक कितने प्लॉट डिमार्केट किये गये ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या हरिजनों के साथ इसी प्रकार नीति बरती जाती रहेगी ?

(घ) अब कितने अर्से में हरिजनों को वहां जमीने मिल जायंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–(क) सरकारी सूचना के अनुसार सिवाय श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए. के जिन्हें कि "सी" स्कीम में प्लाट दिया गया है, अन्य किसी हरिजन को कोई प्लौट मकान के वास्ते नहीं दिया गया।

सरकार का पहिले यह विचार था कि हरिजनों को हीदा की मोरी व सेन्ट्रल जेल के पीछे वाले मौके में बसाने के लिये बस्तियां कायम की जावें, किन्तु भारतीय संविधान के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया; क्योंकि इससे हरिजन एक ही स्थानों पर रहते और छुआछूत बदस्तूर कायम रहती। सरकार छुआछूत को कम करने व हरिजनों को सवर्णों के साथ साथ बसाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) इसका उत्तर ऊपर (क) में दिया जा चुका है।

(ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखने के बाद ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ज्योंही सरकार हरिजनों को बसाने के प्रश्न पर कुछ निर्णय कर लेगी त्यों ही हरिजनों को उनकी शक्ति के अनुसार बसने के लिए प्लौट दिलाने का पूरा पूरा प्रबन्ध करेगी।

श्री मोतीलाल:–हरिजनों को जिस समय प्लौट दिये जाते हैं उस समय क्या उनके हरिजन होने का खयाल रखा जाता है या उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रख कर ही प्लाट दिये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–खास तौर से यह प्रयत्न किया जाता है कि हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री मोतीलाल:–मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें प्लौट इसलिये दिये जाते हैं कि वे हरिजन कौम में पैदा हुए हैं या वे गरीब हैं; इस बात का ध्यान रखकर दिये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–हरिजनों से आम लोग अभी तक परहेज करते हैं। हम यह चाहते हैं कि हरिजन लोग भी उसी बस्ती में रहें; जिसमें दूसरे लोग रहते हैं और इससे आपस में मिलना-जुलना बना रहे और, छुआछूत कम हो जाय; इसलिये उन्हें प्लोट दिये जाते हैं।

श्री रामदयाल:–एक प्लोट सिर्फ श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री को ही क्यों दिया गया, दूसरों को भी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—दूसरों ने मांगा नहीं इसलिये नहीं दिया गया।

श्री मोतीलाल:—यदि दूसरों को इस बात का पता होता कि अब प्लोट दिये जायेंगे तभी तो वे मांगते। बगैर पते के कैसे मांगते ?

श्री अध्यक्ष:—No arguments. Next.

प्रश्न संख्या २१७

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इस वर्ष कितने व्यक्ति पुलिस विभाग से एवं कितने प्राइवेट, किशनगढ़ में सब इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग के लिए भेजे गए ?

(ख) इनमें से कितने शिडयूल्ड कास्ट में से भेजे गए ?

(ग) क्या यह संख्या साढ़े बारह परसेन्ट नियत कोटे के अनुसार है ?

(घ) नहीं, तो हरिजनों के साथ इस प्रकार की उपेक्षा क्यों की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ४० प्राइवेट और २० विभागीय उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिये भेजे गए।

(ख) दो भेजे गए।

(ग) नहीं।

(घ) कोई उपेक्षा नहीं की जाती है। किन्तु आवश्यकीय योग्यता वाले व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई है।

श्री सम्पतराम:—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमनलाल जो सारी कन्डीशन्स पूरी करते हैं फिर भी उन्हें क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है; इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—शिडयूल्ड कास्ट के कितने आदमी भेजे गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैंने पहले भी बतलाया था कि दो आदमी भेजे गये हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या उनके नाम बतायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या २१८

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६):–क्या मंत्री महोदय, फैमिन रिलीफ विभाग, बताने का कष्ट करेंगे:–

(अ) गत वर्ष अकाल की समस्या हल करने के लिये सरकार ने जो घास मंगवाया उसमें कितना खर्च हुआ ?

(ख) कितना बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि बाकी बचा हुआ घास अब जानवरों के खाने लायक नहीं रहा ? यदि हां तो सरकार को इससे कितना नुक्सान हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–The total quantity of hay imported on Government account was 1,66,430-12-8 Ch. Details are given below:—

		Mds.
(1) Received from Forest Department, Uttar Pradesh.	.. ..	1,55,000-0-0
(2) Received from Bihar.	.. ..	11,430-12-8

2. The hay imported has been disposed of either by public sale or supply free of cost to the immigrating and returning cattle to and from the adjoining States of Madhya Bharat and Uttar Pradesh. Approximately 8,000 maunds of hay remained unsold on different sale depots. 10,000 maunds of imported hay has been staked at Kishangarh. Besides these 22,000 maunds of loose hay is lying in the Lansdowne Forest Division and 3,393 maunds of baled hay in the Bundelkhand Forest Division. This was not moved to Rajasthan. Negotiations for its sale are going on.

3. The grass at the sale Depots was exposed to rains during the rainy season and damage has been caused. Attempts are being made to dispose of the hay by sale or auction. At this stage it is not possible to estimate the loss.

श्री भैरूंसिंह:–क्या जो घास बचा हुआ है वह जानवरों के खाने लायक नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–ऐसी बात नहीं है । कुछ घास बरसात से खराब हो गया था ।

श्री भैरूंसिंह:–जब यह घास मंगाया गया तब उसकी जांच किसी ने की थी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–यहां से कई व्यक्तियों को भेज कर इसके बारे में में जानकारी प्राप्त की गई थी ।

श्री कानसिंह:–जो घास बचा हुआ पड़ा है, उसकी कितनी तादाद है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इस समय तादाद नहीं बतलाई जा सकती ।

श्री मोतीलाल:–इस वर्ष अकाल के लिये क्या बन्दोबस्त किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री भैरुंसिंह:–क्या यह सच है कि जिस समय यह घास आया था उस समय ही खराब था ? बरसात से यहां खराब नहीं हुआ है और एक साल पड़े रहने से और ज्यादा खराब हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–पहले के उत्तर में आपके प्रश्न का समावेश हो जाता है ।

प्रश्न संख्या २१६

श्री भैरुंसिंह:–क्या मंत्री महोदय, वन विभाग, यह बतलाने का कष्ट करेंगे:–

(अ) राजस्थान प्रान्त के निर्माण के पश्चात् जंगलात के कितने बीड़ खेती के वास्ते रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर किये गये ?

(ब) इनका अलॉटमेन्ट किस–किस को हुआ और यह अलाटमेन्ट किस आधार पर किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री):–(अ) ७२.

(ब) जो अलाटमेन्ट किया गया है वह भूमिहीन किसानों को, मिलिटरी परसनल्स को, सहकारी संस्थाओं को और अन्य व्यक्तियों को जो सन ५१ के गजट में प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार किया गया है ।

श्री भैरुंसिंह:–क्या यह सच है कि मिलिटरी परसनल्स को सबसे कम हिस्सा मिला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–कम ज्यादा का सवाल नहीं है; आवश्यकतानुसार मिला है ।

७५४८

श्री सोहनलाल:–क्या उदयपुर डिविजन में भीलों को बसाने की स्कीम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जी हां।

श्री सोहनलाल:–उस पर कब तक कार्यवाही की जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–शीघ्रातिशीघ्र।

श्री रोशनलाल:–क्या भूमिहीन किसानों के अलावा, जिनके पास भूमि थी उनको भी फिर दी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–आम तौर से मिलिटरी परसनल्स को, कोओपरेटिव सोसाइटीज को, भूमिहीन किसानों को और अन्य लोगों को सन् ५१ के गजट में प्रकाशित नियमों के अनुसार दी गई है:

श्री रोशनलाल:–यदि किसी को नियमों के विरुद्ध मिली है तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या २२०

श्री भैरुंसिंह:–क्या मंत्री महोदय, वन विभाग, यह बतलाने का कष्ट करेंगे:–

क्या राजस्थान के जंगलात विभाग के आधार पर चीफ कन्जरवेटर को उनकी नियुक्ति के पश्चात तनख्वाह नहीं मिली है और नहीं, तो क्यों?

श्री अमृतलाल यादव:–Chief Conservator of forests को तनख्वाह चुका दी गई है। कुछ इस कारण से उसमें देर हुइ थी कि वे उड़ीसा सरकार से आये थे; अत: कॉंट्रेक्ट तय होने में समय लग गया।

श्री रोशनलाल:–Chief Conservator की तनख्वाह क्या है;

श्री अमृतलाल यादव:–अभी हमने उनको २०००) रु० मासिक दिया है।

श्री रोशनलाल:–उड़ीसा सरकार उनको क्या देती थी?

श्री अमृतलाल यादव:–नोटिस की जरूरत है।

श्री भैरुंसिंह:–क्या उड़ीसा सरकार उन्हें पेन्शन देती थी। यदि यह पेन्शन लेते हैं तो क्या वे पेन्शन और तनख्वाह दोनों लेने के अधिकारी है?

श्री अमृतलाल यादवः--हमारे यहां से कोई पेन्शन नहीं लेते। उड़ीसा सरकार से पेन्शन लेते थे या नहीं; मुझे मालूम नहीं ।

श्री भैरूंसिंहः- इनकी तनख्वाह का मामला कितने महीनों में तय हुआ।

श्री अमृतलाल यादवः--मामला तय हो गया है, अब महीनों का क्या सवाल है।

श्री भैरूंसिंहः-क्या यह बात सही है कि उनको १२ महीने तक तनख्वाह नहीं मिली ?

श्री अमृतलाल यादवः-जी नहीं ।

श्री भैरूंसिंहः-मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि उनको ८ महीने तक तनख्वाह नहीं मिली ।

श्री अमृतलाल यादवः-इस सूचना के लिए धन्यवाद ।

श्री रोशनलालः-किन कारणों से इनकी तनख्वाह इतने अर्से तक रोकी गई ।

श्री अमृतलाल यादवः-मैंने अर्ज किया कि वे उड़ीसा से आये हैं। दूसरे प्रान्त से जो अधिकारी आते हैं तो उनका जो Contract होता है उसके तय होने पर ही तनख्वाह मिलती है ।

श्री कँवर लालः-इतनी लम्बी तनख्वाह पर इन्हें क्यों बुलाया गया ?

श्री अध्यक्षः—Order, Order ? Next.

प्रश्न संख्या २२१

श्री भैरूंसिंहः-क्या मंत्री महोदय, वन विभाग, यह बतलाने का कष्ट करेंगेः-

क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष जयपुर स्थित जू को उदयपुर ले जाने का प्रश्न विचाराधीन है और यदि है तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादवः-जी हां, यह विचाराधीन है। हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह उचित पाया गया कि ५ जू के बजाय १ जू चलाया जावे और उसको उदयपुर में रखने का निर्णय किया गया है ।

श्री मोतीलालः-क्या बाकी जानवरों; शेरों आदि को जंगल में खुला छोड़ दिया जायगा ।

श्री अमृतलाल यादवः—ऐसा तो साधारण आदमी, मदारी भी नहीं करता, सरकस वाले भी नहीं करते ।

श्री कपिलदेवः—उदयपुर में किस सुविधा के आधार पर transfer किया जा रहा है ।

श्री अमृतलाल यादवः—"सुविधा" में सभी प्रकार की सुविधा देखी जाती है । शासन की सुविधा, जनसाधारण की सुविधा और खर्चे की कमी की सुविधा ।

श्री तेजसिंहः—खर्चे के लिहाज से उदयपुर में रखने से कितनी कमी होने वाली है ?

श्री अमृतलाल यादवः—यह तो आप ही सोच लीजिये कि ५ की जगह १ ही Zoo रहेगा तो खर्चे में कितनी कमी होगी ।

श्री मोतीलालः—अगर खर्चा ही कम करना है तो Zoos को बिल्कुल ही बंद क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री अमृतलाल यादवः—सभी राज्यों में एक Zoo होता है। खर्चा लगे तो भी जनता के मनोरंजन एवं उपयोगिता के लिए एक जू रखना आवश्यक होता है । इसी दृष्टि से एक जू रखा गया है ।

श्री खेतसिंहः—जयपुर जू के मकानात में किनको रखा जायगा ?

(हंसी)

एक सदस्यः—जू रखा जाता है उसका महत्व क्या होता है ?

श्री अमृतलाल यादवः—यह तो स्पष्ट बात है ।

श्री कपिलदेवः—(खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः—Order, Order.

श्री भैरूंसिंहः—क्या Zoo को transfer करते समय Visitors की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है ?

श्री अमृतलाल यादवः—अवश्य ।

श्री भैरूंसिंहः—उदयपुर में Visitors ज्यादा आते हैं या जयपुर में ?

श्री अमृतलाल यादवः—ऐसी गिनती अभी तक कराई नहीं गई है ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या यह बात सही नहीं है कि जयपुर में Visitors की संख्या २००० ह और उदयपुर में सिर्फ ४०० ?

श्री अमृतलाल यादव:—मालूम नहीं ।

प्रश्न संख्या २२२

श्री भैरूंसिंह:—क्या मंत्री महोदय, व्यापार एवं वाणिज्य विभाग, बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(अ) क्या भूरामल बजाज, जयपुर, के विरुद्ध कपड़े के काले बाजार के संबंध में कोई मामला चला ?

(ब) चला तो क्या नतीजा निकला ?

(स) क्या यह सच है कि लब्बूरामजी, टैक्सटाईल कमिश्नर, जयपुर ने इस मामले में जो सरकारी गवाह थे सरकारी मुकद्दमे के खिलाफ गवाही दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—(अ) नहीं ।

(ब) प्रश्न नहीं उठाता ।

(स) नहीं ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या भूरामल बजाज के खिलाफ मुकद्दमा नहीं चला ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—हां मुकद्दमा चला पर काला बाजार का नहीं चला ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या धोले बाजार का चला था ?

श्री कपिलदेव:—क्या पीले बाजार का चला था

श्री भोगीलाल पंड्या:—ता० ९ मार्च १९५१ के दिन फर्म भूरामल मोधालाल, जयपुर, की तलाशी लेते समय मालूम हुआ कि उस फर्म ने त्रैमासिक नक्शे नहीं भेजे हैं, दुकान में कीमतों की सूची नहीं टांगी और केश मीमो नहीं रखे । इसके अलावा सन् १९४८-४९ का टाइम-बार्ड कपड़ा भी दुकान में मिला । इस तरह इस फर्म ने Textile Control Order, 1948 और Licensing Control Order, 1948 का उल्लंघन किया और जयपुर City Magistrate के कोर्ट में Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, की धारा ७ के मातेहत भूरामल मोधालाल का चालान पेश किया गया । कोर्ट ने ता० २७-५-५२ को इस मुकद्दमे का फैसला दिया और मोधालाल को discharge किया और भूरामल को एक्विट किया । श्री लाबूराम Assistant Commissioner के बयान और कोर्ट के जजमेन्ट की प्रति लिपियां इस प्रकार हैं कोर्ट के रिमार्क में है कि श्री लाबूराम ने अपने बयानों में यह नहीं बताया कि

एक साल के बाद खुला कपड़ा Time-barred हो जाता है । जो कपड़ा पकड़ा गया वह खुला कपड़ा था ।

लाभूराम के बयानों की नकल इस प्रकार है:–

नकल इन्तखाब फैसला ब इजलास श्रीयुत् जीवनसिंहजी चौधरी बी. ए. एल. एल. बी., R. A. S., C. M. Jaipur. ता० २७-५-५२ ब मुकद्दमे इलजाम सरकार बनाम भूरामल मोधालाल नाथूलाल अभियुक्त जेर दफा ७-८
ई. एस. (टी. पी.) एक्ट १९४६

× × × × ×

इस के अलावा यह टुकड़े-टायम–बार्ड थे, यह बात भी सन्देह से परे नहीं है लब्बूरामजी असिस्टेन्ट कमिश्नर हैं यह कहते हैं कि एक साल बाद टायम–बार्ड होने की नियम पेक्ट क्लाथ के लिये है खुला कपड़ा एक साल बाद टायम–बार्ड हो जाता है यह उन्होंने नहीं बताया है उन्होंने यह भी कहा है कि सन् ४८–४९ का कपड़ा सन ५१ के दिसम्बर तक बेचने की इजाजत दे दी गई थी ।

नकल बयान श्री लब्बूरामजी असिस्टेन्ट कमिश्नर कन्जूमर्स गुड्स जयपुर शहर बमुकद्दमे इलजाम सरकार बनाम भूरालाल मोधालाल नाथूलाल अभियुक्त जेर दफा ७/८

नकल बयान श्री लब्बूरामजी

State V/s Bhuramal.

श्री लब्बूरामजी A. C. कन्जूमर गुड्स जयपुर शहर का कंट्रोलर का काम १९-११-४९ से मैं करता हूं । EXPI लाइसेन्स ३१ मार्च सन् ५१ तक के लिए मैंने Renew किया है लाइसेन्स में जिनका नाम होता है उसीको हम मालिक समझ ता हूं प्राइवेट Agreement से वह कितने भी हिस्सेदार रख सकते हैं कपड़ा बनने की तारीख से एक साल बाद वह कपड़ा टाईम–बार्ड हो जाता है पैक्ट बेल्स के लिये यह नियम है खुले कपड़े के लिये क्या कानून है देख कर बता सकता है ।

कोर्ट में जिन जिन के मुकद्दमे चालान हो चुके थे उनके अलावा और सब सन् ४८-४९ के कपड़ों को बेचने की इजाजत दिसम्बर सन ५१ तक दी गई है ऐसा कपड़ा बाजार में बिक रहा है यह ऑर्डर कमिश्नर राजस्थान ने दिया है खुले कपड़े के लिये क्या नियम है जुबानी याद नहीं ।

द० लब्बूराम
ता० ९-११-५१

श्री भैरूंसिंह:—क्या भूरामल इसी स्टेटमेण्ट पर बरी हुआ ?

प्रश्न संख्या २२३

श्री भैरूंसिंह डिविजन नम्बर १६:– या मंत्री महोदय, कस्टम एवं एक्साइज विभाग, बतलाने का कष्ट करेंगे:–

राजस्थान में शराब के ठेके कितने हैं और क्या सरकार तमाम ठेकेदारों की नामावली सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री भोलानाथः–There are 3161 country liquor and 117 Foreign liquor shops in Rajasthan. A list of the shops will be placed on the table.

(सूचि अधिक विस्तृत होने के कारण कार्य-विवरण में सम्मिलित नहीं की गई किन्तु राजस्थान विधान सभा के पुस्तकालय में भेज दी गई है)

प्रश्न संख्या २२४

श्री कानसिंहः—क्या मुख्य मंत्री यह बतलायेंगे कि बीकानेर जिले में कई एक नागरिकों को डाकू पकड़ कर ले गये? क्या उनके नाम और गांव सरकार बतलाने की कृपा करेगी ? सरकार ने इस दुर्व्यवस्था को हटाने के लिये क्या कदम उठाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—१. ईसरदास कॉन्स्टेबल, पुलिस स्टेशन नोखा, को २२-५-५१ को डाकू पकड़ ले गये और उसे उन्होंने २५-५-५१ को छोड़ दिया ।

२. तोलाराम वल्द मेघराज और बद्री वल्द मोहनलाल साकिन जैसलमेर, पुलिस स्टेशन गजनेर, को डाकू १-५-५२ को उठा ले गये थे और उन्हें १८/१९-५-५२ के बीच की रात्रि को १०,००० रुपये की रकम हासिल करके छोड़ा ।

३. सेठ बालचन्द, साकिन गुड़ा, पुलिस स्टेशन गजनेर, को १०-८-५२ की रात्री को डाकू उठा ले गये और ५००० रुपये की रकम लेकर छोड़ा। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस जिले के तमाम भयावह स्थानों पर ऐन्टी डकेती पुलिस की चौकियां कायम कर दी गई हैं। डकैतों को जगह जगह पर रोककर पुलिस ने उनसे मुकाबले किये । ३०-४-५२ के मुकावले के फलस्वरूप बालूसिंह डकेत पकड़ा गया । २६-६-५२ के मुकाबले में डकेत पाबूदानसिंह मय अपने ५ साथियों के मारा गया। डकेतों के बचे हुए गिरोहों को समाप्त करने के लिये प्रयत्न जारी है ।

एक सदस्यः–पाबूदानसिंह का नाम बताया गया है कि वह मारा गया; क्या वह भी व्यक्तियों को उठाकर ले जाने में शामिल था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–यह नहीं कहा जा सकता ।

एक सदस्य;–जो डाकू मारे गये उनके बाल-बच्चों के प्रबन्ध के लिये सरकार ने कोई ध्यान दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः–सरकार ने इस विषय में कोई विचार नहीं किया है ।

श्री मानसिंहः–क्या यह सही है कि पुलिस के एक सबइन्सपेक्टर को भी डाकू उठा कर ले गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--यह एक नया सवाल है; इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या २२५

श्री कानसिंह:--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सारे राजस्थान में ओहदा आइ. पी. से लेकर एस० आई० के ओहदे तक कितने अफसरान साल हाल में अपने ओहदे से हटायें जाकर नीचे के ओहदे पर लाये गये और उनकी सूची जिलावार इस सदन के सामने रखेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--साल हाल में तनज्जुल किये हुए अफसरान की फहरिस्त निम्नलिखित है; इनकी तादाद १९४ है:–

Statement showing the No. of officers demoted during the current year.

S. No.	Name of District		No. of Officers Demoted: Inspector	No. of Officers Demoted: Sub-Inspectors	Remarks
1.	Jaipur	..	..	5	
2.	Sikar	..	..	7	These officers have been demoted as a result of integrations.
3.	Jhunjhunu	..	..	7	
4.	Tonk	..	1	2	
5.	Sawaimadhopur	..	..	..	
6.	Alwar	..	..	5	
7.	Bharatpur	..	1	5	
8.	Bikaner	..	2	4	
9.	Churu	..	1	..	
10.	Ganganagar	..	1	5	
11.	Jodhpur	..	..	3	
12.	Barmer	..	1	2	
13.	Pali	..	..	1	
14.	Nagaur	..	..	5	
15.	Jalore	..	..	4	
16.	Sirohi	..	..	1	
17.	Jaisalmer	..	..	2	
18.	Udaipur	..	2	..	
19.	Dungarpur	..	..	..	
20.	Banswara	..	1	53	
21.	Bhilwara	..	3	..	
22.	Chittor	..	..	..	
23.	Kotah	..	2	35	
24.	Bundi	..	3	15	
25.	Jhalawar	..	..	15	
26.	C.I.D.and I.B.	..	1	..	
27.	P.T.S.Kishangarh	..	..	1	
	Total	..	19	175	

Note:—Those officers who were officiating or probationary and whose work was unsatisfactory have not been taken into account.

प्रश्न संख्या २२६

श्री कानसिंह:--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महकमा माल में साल हाल में नाजिम से लेकर ओहदा नायब तहसीलदार तक कितने अफसरान पदच्युत किये गये और उनको किस किस ग्रेड के ओहदे पर रखा गया ? उनकी फहरिस्त, क्वालिफिकेशन (योग्यता) के साथ इस सदन के सामने जिले के अनुसार रखने की कृपा करें। क्या यह कवेनेन्ट की शर्तों के अनुकूल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--

८ नाजिमान के ओहदे में कमी हो कर उनको तहसीलदार बनाया गया और एक को नायब तहसीलदार बनाया गया।

९५ तहसीलदारों को नायब तहसीलदार बनाया गया।

कितने नायब तहसीलदारों का ओहदा घटाया गया इसके बारे में पूरी सूचना राजस्व मंडल, कमिश्नरों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों से इकट्ठी होना है। जो अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इन अफसरों के नाम आदि की तफसील देना जन-हित के अनुकूल नहीं है।

ओहदों का इस तरह घटाया जाना कवेनेन्ट की शर्तों के विरुद्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या २२७

श्री कानसिंह:--क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे।

ए (क) एकीकरण के पूर्व व उसके वक्त अर्थात् १९४९-५० में जयपुर, बीकानेर और जोधपुर की केन्द्रीय अस्पतालों का कितना कितना बजट था ?

(ख) उपरोक्त अस्पतालों का मौजूदा बजट कितना २ है ?

(ग) बीकानेर का अस्पताल कौन से ग्रेड का रखा गया है ?

(घ) बीकानेर अस्पताल में सन् १९४८-४९ में इनडोर और आउट डोर पेशेन्ट्स की क्या संख्या थी और ५१-५२ में उपरोक्त बीमारों की क्या संख्या थी ?

बी (च) क्या सरकार को यह मालूम है कि बीकानेर का टी० बी० सेनीटोरियम सारे राजस्थान में सब से प्रथम श्रेणी का है और अगर है तो बी० सी० जी० वेक्सिनेशन बीकानेर में अभी तक क्यों नहीं शुरू किये गये? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि बी. सी जी वेक्सिनेशन राजस्थान में और कहां कहां चालू किये गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—

	Jaipur (S.M.S.Hosp.). 1949-50.	Bikaner. (Men's Hosp.)	Jodhpur. (M G.Hosp.).
(a)	(Six months only interim period) 2,91,098.	3,18,165/-.	7,66,133/-. This figure includes other Hosps. and Disps other than Umed Hosp. in Jodhpur Division.
(b)	52-53-9,84,000/-.	6,94,500/-. 20,200/-. N. R.	10,14,000/-.

(c) The total sanctioned grant for Bikaner Men's Hospital has not been decreased as is evident from the figures furnished under (a) and (b) above.

(d) The Men's Hospital has been categorised as Class I Hospital according to integrated set up. Figures of out-door and Indoor patients treated in the Associated Group of Hospitals Bikaner during the calendar years from 1948 to 1951 are given below:—

Year	Indoor	Outdoor
1948	12617	76000
1949	11111	50813
1950	18579	147504
1951	7765	93048

Figures for the year 1952 upot-date are not available.

(e) Yes. Two B. C. G. Teams were started-one at Jaipur, and the other at Udaipur. Udaipur Team was subsequently closed due to financial stringency and hence only one was left. Jaipur Team was transferred after one year's work at Jaipur to Jodhpur during this financial year. In next financial year it is proposed to send the Team to Bikaner according to the programme.

श्री सन्तोषसिंह:—इतना रुपया खर्च होने पर भी लोगों को दवाइयें ठीक तरह से नहीं मिलतीं, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—इसका इस प्रश्न से कोई संबन्ध नहीं है।

एक सदस्य:—क्या जिस ग्रेड का होस्पिटल होता है उस ग्रेड के डाक्टर रखे जाते हैं ?

श्री कानसिंह:–क्या सरकार को यह मालूम है कि बीकानेर का टी० बी० हॉस्पिटल उच्च श्रेणी का है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–हां, सरकार के ध्यान में है कि यह होस्पिटल बहुत अच्छा है ।

श्री कानसिंह:–मैं "बहुत अच्छे" का मतलब नहीं समझ सका हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास:–सरकार के ध्यान में है कि यह बहुत अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष:–This is a specific Question which you have to reply.

श्री रामकिशोर व्यास:–बी के (च) का जवाब हां में है ।

श्री कानसिंह:–तो फिर वहां बी० सी० जी० के इंजेक्शन का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास:–बी० सी० जी० टीम, जैसा मैंने पहले अर्ज किया जयपुर और उदयपुर में रखी गई थी । उदयपुर टीम बन्द कर दी गई है । एक साल के बाद जयपुर की टीम जोधपुर भेज दी गई है । दूसरे साल इस टीम को बीकानेर भेजने का प्रोग्राम है ।

एक सदस्य:–भीलवाडा जिले में भी क्या कोई बी०सी०जी० का प्रबन्ध किया गया ।

श्री मोटाराम:–क्या यह सही है कि अच्छे अच्छे डाक्टर बीकानेर और जोधपुर आदि से हटा कर जयपुर में लाय गय हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास:–जी नहीं ।

प्रश्न सं० २२८

श्री कानसिंह:–(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में कितनी अस्पतालें व डिस्पेन्सरीज हैं ? क्या उनका जिलेवार नक्शा तैयार करके इस सदन के सामने रखने की कृपा की जायगी ?

(ख) क्या नोखा मंडी में सिर्फ एक ही डिस्पेन्सरी है ? उसका साल हाल का बजट कितना है ?

(ग) यह डिस्पेन्सरी कौन से साल में खुली थी ?

(घ) जब खुली थी तब बजट में कितना रुपया रखा गया था ?

(ङ) उक्त डिस्पेन्सरी में दवाइयों का बजट साल हाल में कितना है ?

(च) यह मौजूदा रकम कौन से साल से चली आ रही है ?

श्री रामकिशोर व्यासः--

1. A list showing Hospitals and Dispensaries throughout Rajasthan along with a Map is placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

2. Nokha Mandi has only one Dispensary, the estimated budget of which is Rs. 4, 926/- for 1952-53.

3. The Dispensary was started with effect from 19-5-32.

4. The grant for medicines at that time was Rs. 150/- only.

5. and 6 Estimated amount for medicines for Nokha Dispensary has been Rs. 600/-per annum from 1949.

श्री मोटारामः--क्या राजस्थान में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं और सिर्फ कम्पाउन्डर्स ही हैं ।

श्री रामकिशोर व्यासः--हां ।

श्री एच. के. व्यासः--I rise on a point of order, Sir. Under Rule 38, when lengthy answers to starred questions are given, they may on statement by the Minister concerned be placed on the table of the House without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being placed on the table.

I shall request you that this rule is not being followed and there have been three instances when replies have been placed on the table but advance copies of those replies have not been given to the Members concerned.

श्री अध्यक्षः—No. The position was this. The Hon'ble Ministers were ready to read out to the House the answers to the questions and in order to save time it was desired that they should be placed on the Table of the House. If the Hon'ble Members want, copies can be given.

श्री रामकिशोर व्यासः–अगर आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री एच. के. व्यासः–यदि आप एडवान्स में दे दें तो समय भी बच जावेगा और रूल्स की भी पाबन्दी हो जावेगी।

श्री कानसिंहः-आपको एडवान्स कोपी देने में क्या ऐतराज है?

श्री अध्यक्षः–Copies can also be given of lengthy answers.

प्रश्न सं० २२९

श्री अवनिकुमारः–Will the **Education Minister** be pleased to state:—

(a) Is it a fact that a house in Kotah containing the offices of the Inspector. Deputy Inspector, Inspectress and Deputy Inspectress of the Education Department rented at Rs. 300/- P. M. was recently given to Deputy Inspectress alone for the purposes of her residence and office.

(b) Whether a separate house has been rented at Rs. 600/- P. M. to house the offices of the Inspector, Deputy Inspector and the Inspectress of the Education Department in Kotah Division.

(c) If so will the Education Minister account for this criminal waste of money and be prepared to institute an immediate inquiry into the affair?

श्री नाथूराम मिर्धाः–

(क) नहीं। कोटा में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ओर डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस आफ स्कूल्स के कार्यालय एक ही सरकारी मकान में स्थित हैं। किराये की भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होता। डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस एक पृथक् सरकारी मकान में रहती है जिसमें लड़कों की मिडिल स्कूल भी है। वह अपने वेतन का ७½ प्रतिशत नियमित किराया देती है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या २३०

श्री अवनिकुमारः–Will the **Minister-in-Charge, P. W. D,** be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that electric lines were **extended** to village Sersi, Tehsil Sawai Jaipur, in the month of January, 1952?

(b) What is the amount spent on this extension ?

(c) Whether it is a fact that the people of village Sersi have not taken connections from the extended lines and no benefit is being derived from this extension ?

श्री भोलानाथ:–(अ) हां ।

(ब) ४० हजार ।

(स) कई आदमी कनेक्शनस के लिए इच्छुक हैं । पचास व्यक्तियों की दरख्वास्तें हैं जिनमें से १० तो पहिले ही से पंपों से काम ले रहे हैं: दरख्वास्तें मन्जूरी के इन्तजार में पड़ी हैं । यह कनेक्शन लो टेन्शन डिस्ट्रिब्युशन के लिए रुपये मन्जूर किये जाने पर तुरन्त दिये जावेंगे । रुपये मन्जूर किये जाने की कार्यवाही हो रही है । जो सरकार की आर्थिक कठिनाई है उससे सदन अनभिज्ञ नहीं है ।

एक सदस्य:–इससे कितनी आमदनी की आशा की जा सकती है ?

श्री भोलानाथ:–अधिक से अधिक काम होगा उतनी ही ज्यादा आमदनी होगी । ५० अर्जियें तो पहले आ चुकी हैं ।

एक सदस्य:–आप आमदनी का एस्टीमेट बता सकते हैं ?

श्री भोलानाथ:–यह तो एस्टीमेट बनने के बाद कह सकता हूं ।

एक सदस्य:–कितनी अर्जियें पंप के लिये और कितनी पॉवर के लिये हैं ?

श्री भोलानाथ:–ज्यादातर अर्जियें पंपों के लिये हैं ।

श्री अवनिकुमार:–कितनी दरख्वास्तें पावर कनेक्शन्स के लिए और कितनी दरख्वास्तें डोमेस्टिक कनेक्शन्स के लिए आईं ?

श्री भोलानाथ:–कुए पर पम्पस के लिए दरख्वास्तें हैं ।

श्री अवनिकुमार:–कितनी दरख्वास्तें ?

श्री भोलानाथ:–पचास । १० पम्पस पहले से ही काम कर रहे हैं डीजल ऑइल के ।

श्री एच. के. व्यास:–कनेक्शन देने से पहले एस्टिमेट बनाने में सरकार को इतनी कठिनाई क्यों आती है ?

श्री भोलानाथः—सरकार को कोई कठिनाई नहीं है । सरकार को सिर्फ कठिनाई जो है वह यह कि लो टेन्शन लाइन्स प्रोवाइड करने के लिए १०-१५ हजार रुपये की आवश्यकता है। जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एच० के० व्यासः—एस्टीमेटेड इनकम जो ली गई है वह क्या मंत्रीजी नहीं बता सकते ?

श्री भोलानाथः—जितने हार्स पावर की मोटरें लगेंगी उन पर रेट जो यहां प्रचलित है उसके मुताबिक हिसाब फैला कर तय किया जायगा और जितनी पावर वह कन्ज्यूम करेंगे वह एस्टीमेट कर ली जायगी ।

श्री सतोषसिंहः—क्या अलग २ हार्स पावर की मोटरों की अलग अलग रेटें हैं ?

श्री भोलानाथः—एवरेज लेना जरूरी होता है; बाद में जितना खर्च होता है उस पर लिया जाता है ।

श्री संतोषसिंहः—पर यूनिट पंप पर क्या रेट है ?

श्री भोलानाथः—अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें हैं ।

श्री मोतीरामः—क्या बिना एस्टीमेट किये इनकम का पहले ही रुपया इन्वेस्ट किया जाता है ? इनकम को कोई एस्टीमेट नहीं किया गया तो यह खर्च क्यों किया गया ?

श्री भोलानाथः—चालीस हजार रुपया उस पर खर्च किया गया है । बाकी कितनी आमदनी होगी उस पर कोई स्पष्ट सवाल नहीं पूछा गया इसलिए इसका जवाब इस समय देना सम्भव नहीं है ।

श्री अवनिकुमारः—क्या यह सही है कि एक्सटेन्शन चुनाव के दिनों में किया गया था ?

श्री अध्यक्षः—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २३१

श्री अवनिकुमारः—Will the **Minister-in-charge of P. W. D.** be pleased to state:—

Whether the Government proposed to build Pacca Roads connecting Phagi and Mozmabad in Tehsil Phagi, and Mehlan and Jobner in Tehsil Phulera in the near future, considering the importance of the places concerned ?

श्री भोलानाथ:-मोजमाबाद की सड़कों को बनाने के लिए योजना तैयार की गई है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसको अभी नहीं लिया गया है, यद्यपि उसको पंचवर्षीय योजना में अवश्य शामिल किया गया है।

मेहलां और जोबनेर की सड़कों का काम चालू है। उसे शीघ्र ही खतम कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या २३२

श्री अवनिकुमार:-Will the **Revenue Minister** be pleased to state:—

(a) How much Tacquavi was distributed to the cultivators of Tehsil Phagi during 1951-52?

(b) Why no remission in rent was given to the cultivators of Tehsil Phagi although famine conditions were prevailing and remission was allowed in the villages of adjoining Tehsils?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-(क) ५७००) रु०।

(ख) क्योंकि इस तहसील में रुपये में बारह आने फसल थी।

श्री अवनिकुमार:-क्या यह सच है कि वाकई में वहां फसल बारह आना थी? किन रिपोर्टों के आधार पर यह कहा गया है?

श्री अध्यक्ष:-This is giving information.

श्री अवनिकुमार:-मैं आधार जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-सरकारी सूचना के आधार पर।

श्री अवनिकुमार:-सरकारी सूचना से क्या मतलब निकलता है? किनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर।

श्री अवनिकुमार:-क्या उनकी रिपोर्ट की कोई जांच की गई थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-इसके खिलाफ किसी की तरफ से कोई इस तरह का आवेदनपत्र या पैरवी नहीं हुई थी। उनकी रिपोर्ट को सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं है।

प्रश्न संख्या २३३

श्री अवनिकुमार:--Will the **Revenue Minister** be pleased to state:—

How many relief works were started in Tehsil Phagi under the famine relief Scheme ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--फागी तहसील में कोई रिलीफ का कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि वहां इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री अवनिकुमार:--क्या फागी में जगह जगह पानी की कमी नहीं थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी ।

प्रश्न संख्या २३४

श्री चन्दनमल बैद:--क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(क) सीकर कस्बे के शराब के ठेकेदार ने १ अप्रेल, १९५२, से ३० सितम्बर १९५२, तक शराब की कितनी बोतलें बेची ?

(ख) इन बोतलों की क्या कीमत हुई तथा ठेकेदार को क्या कमीशन मिला ?

(ग) ठेकेदार सरकार को साल भर के ठेके का क्या देता है ?

श्री भोलानाथ:--(क) ४८० बोतल शराब की बेची गई ।

(ख) १७७ रु० १४ आना कमीशन के दिये गये । इन बोतलों की कीमत १५४४ रु० १२ आना थी ।

(ग) ठेकेदार ने साल भर के १३,००१ रु० सरकार को ठेके के दिये हैं ।

श्री चन्दनमल बैद:--अब तक कितने कमा चुका है ठेकेदार ?

श्री भोलानाथ:--यह सवाल आपने नहीं पूछा था ।

श्री चन्दनमल बैद:--क्या अब तक जो किश्त उसमें बाकी थी वह जमा करा चुका है ?

श्री भोलानाथ:--पहले सवाल की तरह यह दूसरा भी ऐसा ही है ।

श्री अध्यक्ष:- These are just relevant questions and Hon'ble Minister should be prepared to reply.

(करतल ध्वनि)

श्री चन्दनमल बैद:--क्या यह सही है कि ठेकेदार, जब से उस को ठेका मिला ७ हजार रुपये जमा करा चुका है जब कि शराब का कमीशन उसको ११७ रु० ४ आना ही गवर्नमेन्ट की तरफ से मिला है ।

श्री अध्यक्ष: -This is giving information

श्री चन्दनमल बैद:--क्या यह सही है कि ठेका जो उसने शराब बेचने का लिया है और जो कमीशन सरकार से उसको मिला है उससे उसको बड़ा घाटा होता है।

श्री अध्यक्ष: -आपको घाटा होता है क्या।

प्रश्न संख्या २३५

श्री चन्दनमल बैद:-क्या पृथक् राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(क) यह सच है कि वेजिटेबल घी का आयात बन्द होने पर भी कुछ बिस्कुट की फेक्ट्रियों को वेजिटेबल घी मुहय्या किया जाता है ?

(ख) अगर यह सच है तो किस किस फेक्ट्री को माहवार कितना कितना वेजिटेबल घी मुहय्या किया जाता है ?

(ग) क्या बिस्कुट में मिलाये जाने के बाद वेजिटेबल घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं रहता ?

(घ) यह सच है कि कुछ बिस्कुट की फेक्ट्रियां अपने हिस्से का वेजिटेबल घी काम में न लेकर ऊंचे दामों पर बाजार में बेच देती है।

श्री भोलानाथ:–(क) हां ।

(ख) गुनामल नाम की फेक्ट्री को खास तौर से यह वेजिटेबल घी की, बिस्कुट फेक्ट्री के चलाने के लिए, इजाजत दी गई है । इनको पिछले जून के महीनों में ५४० मन घी की इजाजत दी गई थी । यह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की सिफारिश पर इजाजत दी गई है ।

(ग) वेजिटेबल घी बिस्कुट फेक्ट्री के लिए आवश्यक समझा जाता है ।

(घ) ऐसा कोई केस सामने नहीं आया ।

श्री चन्दनमल बैद: मेरे प्रश्न 'ग' का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह हानिकारक नहीं रहता है क्या ; आवश्यकता का सवाल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष:–This reply is not warranted.

प्रश्न संख्या : ३६

श्री चन्दनमल वैद:–क्या पृथक् राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

राजस्थान में वेजिटेबल घी का आयात बन्द करने के क्या कारण हैं।

श्री भोलानाथ:–एकीकरण से पहले आम तौर से सभी रियासतों में वेजिटेबल घी आने की मनाई थी। इन्हीं कारणों से वह मनाई अब तक चली आरही है।

श्री सन्तोषसिंह:–अगर वह मनाही चल रही है तो जोधपुर में बहुत बड़े बड़े और लंबे-चौड़े १०–१० फुट के बोर्डों पर कोको घी का जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो यह एडवर्टाइजमेन्ट लाउड स्पीकर पर क्यों किया जाता है? अगर यह रोक थी तो इतने बड़े–बड़े एडवर्टाइजमेन्ट क्यों किये जाते हैं।

श्री भोलानाथ:–ऐसा सवाल आज ही उपस्थित हुआ है। यह सूचना आज ही मिली है। यदि इस प्रकार की कार्यवाही है तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल:–क्या सरकार जयपुर में छिपे हुए हजारों पीपे जो हैं उनकी तलाशी करने के विषय में भी सोच रही है।

श्री भोलानाथ:–ऐसी हरकतों को रोकने की कार्यवाही हमेशा होती रहती है और सजा दी जाती ही है।

श्री कपिलदेव:–जिस फेक्ट्री को यह इजाजत मिली है वह उतना खर्च भी करती है या नहीं? इसका कोई हिसाब भी है जिससे जांच हो सकती हो?

श्री भोलानाथ:–सिर्फ एक ही फैक्ट्री है। जहां पीपे रखे जाते हैं उस पर ताला रखा जाता है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की तरफ से वहां स्पेशल आदमी रहता है। उसकी इजाजत से जितनी जरूरत होती है उतना ही निकाला जाता है और खर्च किया जाता है। बिस्कुट की प्रोडक्शन में एवरेज जो खर्च होता है उसके मुताबिक इजाजत दी जाती है।

श्री कपिलदेव:–क्या इस बात की जांच करने के लिए आप तैयार हैं कि हजारों पीपे ब्लेक में वहां बेचे जाते हैं?

श्री भोलानाथ:–अवश्य।

श्री एच. के. व्यास:–क्या निगरानी रखने वाले जो अफसर हैं वे इनकरप्टिबल हैं?

श्री अध्यक्ष:--ऑर्डर–ऑर्डर ।

श्री छोटूसिंह:—वेजिटेबल घी बेचने के सिलसिले में कितने आदमी पकड़े गये हैं ?

श्री भवानीसहाय:—फैक्ट्री वाले ही उसको निकाल लेते हैं या अफसर साहब बाहर निकालते हैं ?

श्री सन्तोषसिंह:—एक ही फैक्ट्री को खासतौर से इजाजत क्यों दी गई ?

श्री भोलानाथ:—राजस्थान में यह सबसे बड़ी बिस्कुट फैक्ट्री है । इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट ने और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट ने उसकी सिफारिश की थी जिसको कि खास तौर से भारत सरकार की तरफ से लोन दिया गया है और राजस्थान के लिए इसको आवश्यक समझकर इस एक ही फैक्ट्री को इजाजत दी गई है ।

श्री चन्दनमल वैद:—क्या और कोई दरख्वास्तें नहीं थीं ?

श्री मोतीराम:--क्या कोई दरख्वास्तें दूसरी छोटी फैक्ट्रियों की नहीं आई थीं ?

श्री भोलानाथ:- बहुत सी आई थीं; केवल एक ही फैक्ट्री को स्पेशल केस की वजह से इजाजत दी गई थी ।

श्री चन्दनमल वैद:--क्या सरकार की यह नीति है कि बड़ी फैक्ट्रियों को बढ़ाया जाय और छोटी फैक्ट्रियों को मार दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या २३७

श्री चन्द्रकान्त:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त सन् १९५२ को रात्रि के ११ बजे सिनेमा भवन, कोटा, के बाहर श्री मलहोत्रा डी० आई० जी० पुलिस ने कॉलेज के एक छात्र के थप्पड़ मारे ? उसकी सरकार द्वारा तहकीकात का क्या नतीजा निकला ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया:—यह घटना किस प्रकार हुई इस विषय में दो प्रकार की बातें कही जाती हैं। पुलिस में मुकद्दमा दर्ज होगया है । कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अवनिकुमार:—कॉलेज के छात्र के जो थप्पड़ मारे गये इसका जवाब नहीं आया ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: -इस बारे में पुलिस में मुकद्दमा दर्ज है इस लिये ज्यादा इस विषय में बताना उचित नहीं समझता ।

श्री हिम्मतसिंह:--क्या सरकार की तरफ से जांच हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--जांच के परिणामस्वरूप मुकद्दमा दर्ज हो गया है; उसके अनुसार जांच हो रही है।

श्री श्रीदास गोयल:--क्या सब ज्युडिस के मामले में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष:-- When the case is under the decision of the Court there should be no discussion on the point.

एक सदस्य:—The D. I. G. has filed a suit against the boy who has filed a complaint against the D. I. G.

श्री रघुराजसिंह:--छात्रों ने डि. आई. जी पी. के खिलाफ जांच के लिये दरख्वास्त दी थी कि सरकार इस मामले की जांच करवाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री एच. के. व्यास:--क्या यह सच है कि कमिश्नर कोटा ने यह अश्वासन दिया था कि इसकी सरकारी तौर पर जांच की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--नहीं।

श्री एच. के. व्यास:--क्या इस सवाल पर छात्रों ने हड़ताल की थी ?

श्री अध्यक्ष:—The question does not arise.

श्री कपिलदेव:--क्या डी.आई. जी. साहब अपनी पोजिशन का अनुचित फायदा नहीं उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष:--ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रघुराजसिंह:--ऑफिसर की केपेसिटी में थप्पड़ मारा या प्राइवेट केपेसिटी में।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हिम्मतसिंह:--क्या इस विषय में छात्रों का डेपूटेशन मुख्य मंत्री से मिला था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--उनकी (मुख्य मंत्री की) अनुपस्थिति में इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता।

Page No.34

श्री कंवरलाल जेलिया:–सदन के मेम्बर ने कोई पत्र इस विषय में मुख्य मंत्री को लिखा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं ।

श्री मोतीलाल:– उस समय डी.आई. जी. ओन ड्यूटी थे या नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–ऑन ड्यूटी थे ।

श्री कंवरलाल जेलिया:–मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि मुख्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया इस बारे में उसका जवाब मुख्य मंत्री ने दिया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–उनकी अनुपस्थिति में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री हरिदेव जोशी:–केस अदालत में चालान कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जी नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी:–सरकार चालान करना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–हो सकता है ।

श्री कंवरलाल जेलिया:–डी.आई.जी. उस समय सरकारी ड्यूटी पर थे या खेल देखने गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसकी विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे सकता ।

श्री एच० के० व्यास:–क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–हां ।

श्री एच० के० व्यास:–जांच का नतीजा क्या रहा; यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जांच का नतीजा बताना उपयुक्त नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी:–चालान से पहले क्या उनको ससपेन्ड किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–नहीं ।

श्री अवनिकुमार:–यह जांच किसके द्वारा की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–डिपार्टमेन्टल जांच करवाई गई ।

श्री अवनि कुमार:—जांच के बाद किसको सजा दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो उसको देने के लिए मैं असमर्थ हूं ।

श्री तनसिंह:—आप, जब यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों का बराबर उत्तर नहीं दे सकते और जब कि यह प्रश्न मुख्य मंत्रीजी को पूछा गया था तो मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपको सप्लीमेन्टरी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिये; इस विषय में मैं आपकी (श्री अध्यक्ष की) रूलिंग जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष:—The other remedies are open to the House.

श्री कंवरलाल जेलिया:—माननीय अध्यक्षजी! सदन के किसी सदस्य ने इस विषय में मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था; मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली। मैं आप के समक्ष निवेदन करूंगा कि यह जानकारी दी जानी चाहिये । मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर !

श्री रामदयाल:—मलहोत्रा जैसे रेस्पोन्सिबल आदमी ने·····

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २३८

श्री चन्द्रकान्त:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्र यूनियन को जो सरकार ने आश्वासन दिये वे वायदे पूरे हो चुके या नहीं और यदि तहकीकात अब तक भी सरकारी तौर पर नहीं हुइ तो क्यों और कब तक तहकीकात का नतीजा जाहिर किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—इस प्रश्न में "छात्र यूनियन" शब्द साफ नहीं है कि कौनसा छात्र यूनियन; इसलिये इसका कोई उत्तर देना संभव नहीं ।

प्रश्न संख्या २३९

श्री चन्द्रकान्त:—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

ग्राम पंचायत कुनाड़ी, वाके तहसील लाडपुरा, कोटा डिस्ट्रिक्ट के सरपंच व पंचों का नवीन चुनाव कब हुआ और उसकी स्वीकृति सरकार से कब हुई ?

श्री रामकरण जोशी:—ग्राम पंचायत कुनाड़ी का चुनाव दिनांक २०-५-५२ इस्वी को हुआ था लेकिन चुनाव के विरुद्ध शिकायती दरख्वास्त आने से

इसकी जांच कराने में कुछ समय लग गया जिससे ग्राम पंचायत में नव निर्वाचित पंचों को दिनांक २४-९-५२ ई० को कार्यारम्भ करने का आदेश ग्राम पंचायत विभाग से दिया गया। यह पंचायत पहिले की स्थापित-शुदा है जिससे नए चुनाव के लिये गवर्नमेन्ट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती।

अल्प-काल सूचना प्रश्न

श्री चन्दनमल वेद:—Shall I read it out?

श्री अध्यक्ष.—Yes.

श्री चन्दनमल वेद:—क्या माननीय अकाल सहायता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या वर्षा की कमी के कारण सारे चूरू जिले, सारे बीकानेर जिले तथा श्री गंगानगर जिले की नौहर, भादरा सूरतगढ़ तथा हनुमानगढ़ तहसीलों में अकाल पड़ चुका है?

(ख) अगर यह सच है तो क्या लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए इन स्थानों में अनाज का काफी स्टॉक रखा जायगा?

(ग) क्या यह सच है कि इन इलाकों में कई लोग इस समय भी भुरट-घास के बीजों पर निर्वाह कर रहे हैं?

(घ) क्या इन इलाकों की खेती पर निर्भर जनता की समाप्त प्राय: क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए उनको काम दिलाने के लिए कोई सहायता-कार्य शुरू किये जायेंगे?

(ङ) अगर हां, तो इन कार्यों का रूप क्या होगा और ये कब से शुरू किये जायेंगे?

(च) क्या इन इलाकों का संवत् २००९ का लगान सरकार माफ करने के विषय में सोच रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(क) बीकानेर डिवीजन में दशा सन्तोषजनक नहीं है। बीकानेर जिले, चुरू जिले की डूंगरगढ़, सरदारशहर, तारानगर, तथा राजगढ़ तहसीलों, और गंगानगर जिले में सूरतगढ़, हनुमानगढ़, नौहर और भादरा तहसीलों में कमी की स्थिति घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ख) परिस्थिति का सामना करने के लिए खाद्यान्न प्रर्याप्त मात्रा में स्टोक में हैं। जब और जिस प्रकार आवश्यकता होगी और भेज दिये जायेंगे।

(ग) कमी की स्थिति अवश्य है किन्तु खाद्यान्न प्राप्य हैं। इस प्रकार की कोई सूचनायें नहीं मिली हैं।

(घ) सहायता-कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिए विस्तृत तथ्यों का निरीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) कुछ कार्य इस महीने में प्रारम्भ कर दिये जायेंगे और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य आवश्यकतानुसार दिनांक १५ नवम्बर, १९५२, से प्रारम्भ किये जावेंगे।

(च) स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री जसवन्तसिंह:--पिछले साल जो भयंकर अकाल पड़ा था इस मुआफिक इस साल भी करने का इरादा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार किया जायगा।

श्री जसवन्तसिंह:--इसके लिए क्या बन्दोबस्त कर दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--साधन और आवश्यकता को देखते हुए बन्दोबस्त कर दिया गया।

श्री जसवन्तसिंह:-खाद्यान्न के न होने से आदमी मर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--मरने देने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता; साधन और आवश्यकता को देखते हुए जब इन्तजाम कर दिया गया है तो।

श्री मोतीलाल:- राजस्थान के इलाकों में और कहां २ अकाल पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-प्रश्न बीकानेर से संबन्धित था इसलिए इसका उत्तर दिया गया; इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाने की जब स्थिति पैदा होती है तो आम तौर से बाहर जाया करते हैं। कुछ गये हैं; किन्तु आम तौरसे अभी नहीं गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह:-क्या सरकार को मालूम है कि खाद्यान्न की कुछ जगह ऐसी कमी है कि लोग भुरट के कांटे का घास खा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह:-क्या सरकार के सामने कोई मामला रखा जायगा तो क्या वह इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-जरूर।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या बीकानेर की ओर अकाल नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जहां जहां अकाल है वहां सरकार उचित व्यवस्था कर रही है ।

श्री मानसिंह:—क्या जहां जहां अकाल है वहां से लगान वसूल किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह तो आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया है ।

श्री चन्दनमल:—क्या पिछले साल का लगान माफ कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—विचाराधीन है ।

श्री चन्दनमल:—क्या इस साल भी माफ कर देंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—पिछले साल वसूल नहीं किया गया था । इस साल का अभी मामला विचाराधीन है ।

श्री चन्दनमल:—क्या बीकानेर के चूरू जिले से जबरदस्ती लगान वसूल किया गया ?

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट ।

(विराम)

शेष कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजा श्री मानसिंह ने २७ अक्टूबर सन् १९५२ से १० नवम्बर १९५२ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा चाही है । क्या सदन की अनुमति है कि यह आज्ञा प्रदान की जाय ?

(आज्ञा प्रदान की गई)

किशनगढ़ मिल के सम्बन्ध में श्रम-मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष:—श्री रामकरण जोशी ।

श्री रामकरण जोशी:—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था कि किशनगढ़ मिल के प्रबन्धकों और मजदूरों में बात चीत चल रही है और सेटलमेन्ट हो जाने की आशा है । मैं आपको सूचित करूं कि सेटलमेन्ट हो चुका है और वह मिल आज से चालू हो गया है । आज से काम भी शुरू हो गया है ।

राजस्थान नगर समिति (अवधि-विस्तार) विधेयक, १९५२.

श्री रामकरण जोशी:–मैं राजस्थान में नगर समितियां (म्युनिसिपल बोर्ड ज) के अवधि–विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष:–प्रश्न यह है कि राजस्थान में नगर समितियां (म्युनिसिपल बोर्ड ज) के अवधि–विस्तार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री रामकरण जोशी:–मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १९५२.

श्री अध्यक्ष:--We were not decisive the other day whether the Rajasthan Essential Services Bill be referred to Select Committee or be discussed in the House. Any how, there was a discussion on the principle of the Bill. If some members want to speak, they may do so.

श्री एच. के. व्यास:--On a point of order, Sir. Yesterday before I could conclude my speech I was guillotined by bell. Will you permit me to continue the same to-day ?

श्री अध्यक्ष:--Only 5 minutes were allotted to you and you snatched 15 minutes and now inflicting the same arguments will not be good to the House.

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष ! एसेन्शियल सर्विसेज बिल पर अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं एक सूचना आपकी इजाजत से सदन को देना चाहता हूं और वह जरूरी है। वह यह है कि अभी मुझे कुछ लोगों ने सूचनाएं भेजी हैं कि माननीय श्री भोगीलालजी पंड्या ने अपने एक जवाब में यह कहा कि मैं सब यादवों को हरिजन समझता हूं।

श्री अध्यक्ष:-You should not take these things personally.

श्री गोपीलाल यादव:–मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यादव लोग चाहते हैं कि उन्हें हरिजनों में शामिल कर लिया जाय। हमें दुःख है कि हमें शामिल करने वाला कोई नहीं है। यदि हमें उसमें शामिल कर लिया जाता तो हम भी गवर्नमेन्ट की बेंचेज पर बैठे हुए होते और आज गवर्नमेन्ट अच्छी तरह से चल रही होती।

श्री कपिलदेव:—On a point of Order, Sir. मैं यह माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सारे यादवों की राय ले ली है ?

श्री गोपीलाल यादव:—मैंने यादवों की ही नहीं ब्राह्मणों की भी राय ले ली है । वे यह चाहते हैं कि उन्हें हरिजनों में शामिल कर लिया जाय ।

श्री श्रीदास गोयल:—कारण क्या है ?

श्री गोपीलाल यादव:—कारण है विशेष सुविधाएं प्राप्त कराना ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—यदि विशेष सुविधाओं के लिए ही हरिजनों में आना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री माधोसिंह:—हरिजन भाइयों का इन्स्टीगेशन मालूम होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट मेरे पास है । जो यादव हैं वे अब हरिजनों में शामिल हो गये हैं ।

श्री गोपीलाल यादव:—एसेन्शियल सर्विसेज बिल पर मैं अब कुछ कहना चाहता हूं । मुझे बड़ा दुःख है, यह देख कर कि सब से पहले स्टेटमेन्ट ओफ ओबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में एक बात लिखी हुई है, अखीर में और वह यह है कि "इट रन्स मोर और लेस ओन दी लाइन्स ओफ सिविल ओर्डिनेन्स ओफ १९४१" । हमारा देश १९४१ में गुलाम था और वह सरकार जो हम पर हुकूमत कर रही थी वह भी बहुत बड़ी लड़ाई में, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, फंसी हुई थी और हमारे देश के देश-भक्त आदमी जिनमें महात्मा गांधी और दूसरे आदमी भी शामिल थे उस गवर्नमेन्ट को उखाड़ कर फेंकने के लिए ताकत लगा रहे थे, हम प्रजा पर भी यह दबाव डाल रहे थे कि हम इस गवर्नमेन्ट के खिलाफ बगावत करें । देश का बच्चा बच्चा अंग्रजों को निकालने में प्रयत्नशील था । उस विदेशी गवर्नमेन्ट ने सन् १९४१ का कानून बनाया । उस विदेशी गवर्नमेन्ट ने १००–१५० साल में ऐसे काले कानून नहीं बनाये । यह कानून ओडायर वगैरह की काली करतूतों को भी बिल्कुल सफेद बना देता है और आजकल के प्रजातंत्र में लोगों के सामने इसे नग्नरूप में रख देता है मैं बता देना चाहता हूं कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य जो इसे पढ़ने से नजर आते हैं वह ये हैं कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल समाप्त कर देता है । इस के बाद दूसरी चीज जो मुझे इसमें देखने को मिलती है वह यह है कि देश में बुरे से बुरे दर्जे की फेसिज्म तानाशाही हुकूमत कायम करने की तरफ एक कदम है । तीसरी चीज जो

इसमें मुझे समझ म आती है वह यह है कि लोगों के साथ जो अन्याय किया जावे उस अन्याय के विरुद्ध कोई जायज, न्यायपूर्ण रिप्रेजेन्टेशन भी न कर सके और इस अन्याय को इस तरह बरदाश्त करे जिस तरह से भैंस, बकरी और गायें मनुष्यों के अन्याय को बरदाश्त करती है। इसके अलावा जो चौथी चीज पैदा करता है वह यह है कि तमाम मनुष्य हृदयहीन बना दिये जायं। आज किसी को यह पूछने का भी हक नहीं रहे कि भाई तुम इसके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो; यानि देश में कोई व्यक्ति उसके साथ सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकता। यदि वह दिल में महसूस करता है तो आंखों पर पर्दा डाल कर चुपचाप बैठ जाय; नहीं तो फौरन जेलखाने भेजा जायगा; उस सहानुभूति के अपराध में। अध्यक्ष महोदय, यह बिल देश में उस बेगार को जो कभी की बन्द करदी गई थी फिर से स्थापित करने जारहा है। इस बिल की एक खूबी और यह भी है कि यह लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करता है और जो एग्रीमेन्ट उसने किसी के साथ किया है तो यह उस एग्रीमेन्ट को भी छीनता है और एक पार्टी को मनमानी करने का पूरा अधिकार देता है और दूसरी पार्टी के साथ अन्याय करता है। ये जो पांच छः मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहले में उस चीज को लूंगा जो एक पार्टी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है और दूसरी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। एम्प्लॉयमेन्ट के दो पार्ट होते हैं; एक तो एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉयी। एक एम्प्लॉयी यदि नौकरी छोड़ना चाहता है तो इस बिल में दिया गया है कि जब तक उसका एम्प्लॉयर रजामन्द नहीं हो जाता तब तक वह नहीं छोड़ सकता। मैं इस धारा को पढ़कर सुनाऊंगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है . . . . .

श्री अध्यक्षः—Details of the Bill will be taken afterwards; you will deal only with the general principles.

श्री गोपीलाल यादवः—मैं जनरल प्रिन्सिपल्स के ऊपर ही बोल रहा हूं लेकिन बिल में बताई हुई कु मुख्य बातों को बताये बगैर व्याख्या नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्षः—You can refer to the sections.

श्री गोपीलाल यादवः—मैं अपने भाषण द्वारा कुछ बातें समझाना चाहता हूं। शब्दों को पढ़े बगैर नहीं समझ सकेंगे। यदि वे समझ में आ जावें तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है या किसी दूसरे को समझाने की आप इजाजत दे दें। इसमें जो इम्प्लीकेशन किया गया है उसे बताना जरूरी है। शब्दों को पढकर इम्प्लीकेशन को समझाना मेरा अधिकार है। मैं समझता हूं आप मुझे यह अधिकार दे देंगे।

तो मैं कह रहा था कि उसके कौंट्रेक्ट में साफ है कि वह किसी भी समय नौकरी छोड़ सकता है लेकिन इस बिल के अनुसार वह नहीं छोड़ सकता। इस बिल में यह बात नहीं है कि यदि कोई एम्प्लोयर एक एम्प्लोई को निकालना चाहे तो वह उसे तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि एम्प्लोई रजामन्द न हो जाय। यह बात किसी भी जगह दर्ज नहीं है। तो यह इस तरह की चीज है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके द्वारा पूरे अधिकार गवर्नमेन्ट को दिये गये हैं या मिल मालिकों व बड़े बड़े कारखाने वालों को दिये गये हैं या रईसों को दिये गये हैं इस तरह से शोषण करने के अधिकार उन्हें दिये गये हैं। अपने नौकरों से घर में सिर्फ रोटी-खानो पर काम करा सकें ऐसे अधिकार दिये हैं। ऐसा भी इसमें लिखा गया ह कि एम्प्लोयमेन्ट यदि अनपेड है तो भी बगैर मालिक की मर्जी के वह उस काम को नहीं छोड़ सकता; तमाम उम्र भर उससे अनपेड सर्विस ली जासकती है। इस तरह का घोर अन्याय कभी इस संसार के इतिहास में सुनन व देखने में नहीं आया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल कहा था कि मजाक कम की जाय। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं; आदमी की अपनी अपनी राय है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने इतिहास देखा है। ऐसा काला कानून इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा और यदि मिले तो उसे इतिहास के सफों से निकालकर चीफ मिनिस्टर साहब अपने जवाब में बतावें।

इसके अतिरिक्त इस बिल में, अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य चीज है वह है लोगों को अपना न्यायोचित रिप्रजेन्टेशन करने से भी रोकना। आज सर्विसज पर अन्याय होरहा है। यदि कारखानों के मिल मालिक अन्याय कर रहे हों तो वहां स्ट्राइक का तो सवाल दूर रहा किसी से मिल कर बातचीत भी नहीं कर सकते। यह भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा ह। वे किसी एम. एल. ए. के पास जाकर बात तक नहीं कर सकते और यदि करलें तो उन पर भी आफत आसकती है। हाउस में तो भले ही नहीं आवें लेकिन बाहर बात करेंगे तो इनविजिबल तौर पर बात करने के अपराधी होंगे। इसमें लिखा है कि चाहे १०० मील की दूरी पर रह कर भी किसी को कुछ कहा गया है तो उन्हें गिरफ्तार किया जासकता है और १ साल की सजा दी जासकती है। उसके शब्द ये हैं अध्यक्ष महोदय "Whoever by words either spoken or written or by signs or visible representations or otherwise expressly or by implication instigates or induces any person or class of persons to contravene the provisions of this Act or of any order passed thereunder, and whoever, does any act with the intention, or knowing it to be likely that any words, signs or visible representations containing any such instigation or inducement shall thereby be communicated directly to any person or class of persons in any manner whatsoever shall be punishable with imprisonment for a term which may entend to one year and shall also be liable to fine." इस तरह से चाहे टेलीफोन पर सुन लिया हो, चाहे रास्ते चलते हुए या अपने मकान में कोई बात कर रहा हो तो भी उसको गिरफ्तार करक सजा

दी जा सकती है । इस बिल के ऐम्स और ओब्जेक्टस में लिखा है कि "नोट इनफ्रीक्वेन्टली इमरजेन्ट" में से अगर "नोट इन" काट दिया जायगा तो फ्रीक्वेन्टली इमरजेन्ट रह जायगा । आज कौनसी ऐसी सिचुएशन पैदा होगई है जिसके कारण गवर्नमेन्ट के सामने कठिनाई आगई है जो ऐसा कानून जरूरी हो गया है। अब तक कोई ऐसी कल्पना व ऐसी घटना लोगों के सामने नहीं आई जिससे कि ऐसे बिल की आवश्यकता पड़ती हो।

मुझे पता है कि यहां पर एक दफा बिजली-पानी के मजदूर कुछ आन्दोलन करने जा रहे थे तो गवर्नमेन्ट को अपना Representation पेश करने के बाद फिर से गवर्नमेन्ट को नोटिस दिया और वह भी समझाने बुझाने और खूब सोचने समझने के बाद। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरेक Employee अपने Employer की इज्जत करता है और जानता है कि बाद में Victimisation भी किया जा सकता है। हां, तो बिजली पानी के मजदूरों ने खूब सोचा और सोचने के बाद कोई कदम नहीं उठाया और उनके साथ जो अन्याय किया गया वह पूरा नहीं हुआ, उनकी महंगाई भत्ते की मांग पूरी नहीं की गई, उनको Grades नहीं मिले ।

पता नहीं कल क्या होने जा रहा है ? सेक्रेटेरियेट में मैं कल गया तो देखा कि वहां के कर्मचारी बैज लगाए हुए थे । बैज पर लिखा हुआ था "सरकार के अन्याय से पीड़ित कर्मचारी" । वे यह जाहिर कर रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं समझता हूं कि एक कर्मचारी को, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो अपने अधिकारों की मांग के लिए और इन्साफ की मांग के लिए पूरा अधिकार होता है, किन्तु यह इस बिल में नहीं है ।

हमारे आदमी Front पर लड़ते हैं; पर आज तक कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी ने गद्दारी की हो। पिछले वर्षों में रेलवे Strike होने जा रही थी । उस वक्त कश्मीर Front पर लड़ाई हो रही थी; अतः उस Strike को रोक दिया गया। देश का हर एक मुलाजिम, हर एक आदमी देश भक्त है। आज ऐसी कौनसी नई बात पैदा हो गई है जिससे आज हम सोचने लग गये हैं कि देश का हर मुलाजिम गद्दार है और हर आदमी देशद्रोही है ।

मेरे एक मित्र ने शायद मेरे ऊपर आक्षेप करते हुए कहा था कि जिसका दिल काला होता है वह दूसरों पर सन्देह करता है । समझ में नहीं आता कि गवर्नमेन्ट का दिल इतना काला क्यों हो गया है कि वह देश के हर एक बच्चे को, मुलाजिम को गद्दार समझे। आज इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता।

एक Warning मैंने पहले दी थी और आज फिर गवर्नमेन्ट को देने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनिये। इन तमाम चीजों का कारण है आपका अन्याय; चाहे आप इसे न्याय कहते हों। हमने चोर डाकुओं को भी देखा है वो कहते हैं कि हम न्याय करते हैं। न्याय दर असल तभी माना जा सकता है जब कि उसे दूसरे लोग भी न्याय समझें; आपके कर्मचारी न्याय समझें और जनता न्याय समझे। अगर इसको दूसरे न्याय नहीं समझते हैं तो वह अन्याय है।

कम्युनिज्म पर आरोप लगाया जाता है कि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मैं इस बिल की बजाय कम्युनिज्म को १०० गुना अच्छा समझता हूं। कम्युनिज्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नजर आती है फिर भी, उसको छोड़कर उसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि जो हिन्दुस्तान में भी हमेशा से मानी गई हैं। यहां कम्युनिज्म भी नहीं आ रहा है, हमारी इकोनोमिक कमजोरियां भी दूर नहीं हो रही हैं; फिर भी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस कदर छीना जा रहा है कि जिसको कम्युनिज्म १०० वर्षों में भी नहीं छीन सकेगा ।

आज जो सरकारी बैंचेज पर बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप यह मत समझिये कि आप हमेशा इन कुर्सियों पर ही बैठे रहेंगे; दूसरे लोग भी आ सकते हैं। और दूसरे लोग आयेंगे तो वे यह भी हुक्म निकाल सकते हैं कि जयपुर की गलियां बड़ी गन्दी हैं इसलिए टट्टियों में कोई भी टट्टी नहीं जावे । बड़ी मुसीबत हो जायगी क्योंकि जब हम अन्याय पर उतर आते हैं तो उसकी कोई हद नहीं रहती।

इसलिए मैं सरकारी बैंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस बिल का विरोध करें और इसे पास न होने दें। अन्त में मैं इस बिल का घोर विरोध करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री जसवन्तसिंह:–माननीय अध्यक्ष, इस विषय पर मैं भी इस सदन के सामने २–४ बातें कहना चाहता हूं । मेरा यह दुर्भाग्य समझिये कि मैं भी एक भूतपूर्व छोटी सी रियासत में २०–२५ साल तक Administrator रह चुका हूं । इसलिए मुमकिन है मेरे मित्रों के दृष्टिकोण से भिन्न बातें भी कहूं ।

अगर कोई भी Administration चलाना है तो यह लाजिमी हो जाता है कि जनता की रक्षा के लिए और गवर्नमेन्ट के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया जावे । यह मैं मानने को तय्यार हूं कि जो विस्तृत अधिकार इस बिल द्वारा सरकार चाहती है वह बहुत ज्यादा हैं; अत: इस बिल में तरमीम होनी चाहिए । पर एक Administrator रह चुकने के नाते मैं यह मानता हूं कि इस तरह का कानून होना लाजिमी है । मेरे कम्युनिस्ट मित्र व्यासजी (श्री H K. Vyas) ने इस बिल का जो घोर विरोध किया है वह उचित है क्योंकि वे ऐसी पार्टी को belong करते हैं जिसमें ऐसे बिल की जरूरत नहीं है । उनकी आइडियोलोजी (Communist ideology) के माफिक Dictatorship होती है जिसके मातहत बिना इस तरह के कानून के ऐसी सब बातें हो सकती हैं । डिक्टेटर को विस्तृत अधिकार होते हैं कि जैसा भी वह करना चाहे अपने हुक्म से वैसा कर सकता है चाहे कोई जुर्म करे या न भी करे ।

अगर हमारे देश में democracy को जिन्दा रखना है तो इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना जरूरी हो जाता है; नहीं तो सरकार नहीं चल सकती । जनता के हितों के विरुद्ध चाहे कोई भी हो और उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी

हो तो कानून की पेचीदगियां ऐसी होती हैं कि वह कानून से बच सकता है। ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये ऐसा कानून होना लाजमी है।

पर इसमें बड़े विस्तृत अधिकार सरकार ने मांगे हैं अतः इसमें तरमीम होना भी लाजमी है। इस सम्बन्ध में मैंने कल ही Amendment motion सदन में पेश किया जिसमें मैंने सुझाव रखा था कि इस बिल को Select Committee में भेज दिया जाय। अगर इसे Select Committee में भेज दिया जाय तो सब मिल कर Across the table बैठ कर विचार करके जो अनुचित अधिकार सरकार अपने में लेने को है उसमें बहुत कुछ कमी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं वे यह हैं कि आज हमारी डेमोक्रेसी बचपन के काल से निकल रही है। हमने अपने यहां डेमोक्रेसी की नकल पाश्चात्य देशों से की है जहां का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा है। हमें उनसे बहुत बातें सीखनी हैं। आज दुनिया में सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क ग्रेट ब्रिटेन और युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। उनका नैतिक स्तर इस वक्त बहुत ऊंचा है। जो कुछ हमने अभी तक उनसे सीखा है वह बहुत कम है। हम अभी इस सम्बन्ध में बच्चे हैं और हमें उनके स्तर तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा। इसलिए सरकार को ये अधिकार जैसे कि इस बिल में बतलाये गये हैं दे दिये जावेंगे तो हम उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट को, जो करीब करीब इसी प्रकार के अधिकार सरकार को देता है देखने से मालूम होता है कि सरकार द्वारा उसकी ओट में काफी गल्तियें हुई हैं और निर्दोष आदमियों को भी इस एक्ट के आधीन सजा दी गई है। यह एक ऐसा कानून है जिसके मुकद्दमें लॉ कोर्ट में नहीं लाये जा सकते हैं इसलिये हमें डर है कि मुमकिन है कि वे इसका भी सदुपयोग न करें और इस ख्याल से मैंने आपसे इस सदन में कल अर्ज किया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जावे। वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार किया जावेगा और जो जो बातें अनुचित हैं वे इसमें से निकाल दी जावेंगी। लेकिन मैं इस बिल पर यह कहने को तैयार हूं कि किसी न किसी रूप में इस प्रकार सरकार को अधिकार मिलना ही चाहिये। मैं इस पर इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री अवनिकुमार--अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कल से इस बिल के सिद्धान्त पर बहस चल रही है और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बिल पर भिन्न भिन्न प्रकार से अपने विचार प्रकट किये हैं इसलिये अब मैं भी अपने विचार इस पर व्यक्त करना चाहता हूं। जब मैंने इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ रिज़न्स एन्ड ओबजेक्टस को देखा तो उसमें मैंने यह पाया कि यह कानून १९४१ के ओर्डिनेन्स के आधार पर बन रहा है। यह हमको मालूम है कि १९४१ में लड़ाई चल रही थी। उस समय में एमर्जेन्सी थी; मगर आज १९५२ है और १९५२ में हमारे देश में कोई एमर्जेन्सी नहीं है। जैसी १९४१ में एमरजेन्सी थी वैसी अब नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसके आधार पर अब कानून क्यों बनाया जा रहा है। हमें आज की परिस्थितियों

को देखते हुए कानून बनाने चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि १९४१ में जिस प्रकार का यह कानून बना था उसके आधार पर यह कानून बनाया जा रहा है; तो ऐसी सूरत में सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि आज भी हमारे देश में वही १९४१ की सी स्थिति है और जब तक सरकार इस बात को साबित नहीं कर देगी तब तक सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का काला कानून बनाए। आज के कानून आज की स्थिति के आधार पर बनाये जाने चाहियें। जहां तक सिद्धान्तों का सवाल है मैं इन सिद्धान्तों का विरोध करता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह काला कानून है। इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको मैं उचित नहीं समझता और उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—Mr. Speaker, Sir, we are not discussing the Bill clause by clause at present.

श्री अध्यक्ष:—In order to substantiate general reference can be given.

श्री टीकाराम पालीवाल:--मैं सिलेक्ट कमेटी के प्रोपोजल को मानने वाला हूं; फिर समझ में नहीं आता कि यह समय क्यों खर्च किया जाता है। धारा पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये।

श्री अवनिकुमार:--मैं तो जनरल प्रिन्सिपल्स पर बोल रहा हूं।

श्री एच. के. व्यास:—On a point of order, Sir. I invite attention of the House to Rule 124 of Rules of Procedure where the scope of the discussion is outlined. In this it is clearly stated that principles of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the bill will not be discussed further than is necessary to explain its principles. If it is necessary to refer to details to explain the principles of the Bill then to that extent the details can be discussed and I submit, Sir, that no restrictions on discussion should be placed before the House.

श्री अवनिकुमार:--मुझे बोलते समय disturbance नहीं किया जावे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान धारा २ और ३ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। धारा २ और ३ में जो employment की डेफिनिशन दी गई है वह बड़ी व्यापक है, इससे साफ साफ कह सकते हैं कि यह धारा सरकारी एम्पलोईज पर ही लागू नहीं होगी किन्तु यह धारा हर तरह के एम्पलोईज पर लागू हो सकती है। यह किसी भी एम्पलोइ पर, जो किसी भी इन्डस्ट्री में काम करते हैं लागू किया जा सकता है। यदि यही बात है तो मैं कहूंगा कि इस कानून को बड़ी बेरहमी से ऐसे मामलों में काम में लिया जायगा जिसमें सरकार काम लेना चाहेगी। इसलिये यदि यह कानून बन गया तो लोगों को बहुत बड़ा खतरा है अतः

इसमें यह साफ साफ खोल दिया जाना चाहिये कि यह कानून इन्डस्ट्रीज़ के एम्पलोयर्स पर लागू नहीं किया जाएगा।

अब मैं आपका ध्यान क्लाज ५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस धारा में भी जो परिभाषाएं और एक्सप्लेनेशन्स हैं वे भी बहुत ही अनसेटिसफेक्टरी हैं क्योंकि इसमें रिजनेबल एक्सक्यूज का अर्थ नहीं बताया गया है। उसकी परिभाषा से इस बात का पता नहीं लगता कि रिजनेबल एक्सक्यूज़ से सरकार का क्या मतलब है?

सबसे काली धारा क्लाज ७ है। इसके अन्दर ऐसी बातें शामिल करदी गई हैं जिससे हमारे देश में Trade unionism का डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता और कोई ट्रेड यूनियन व लेबर यूनियन आदि नहीं पनप सकेंगे और इसके फलस्वरूप लेबर agitation और ट्रेड unionism बिल्कुल समाप्त हो जावेंगे। डेमोक्रेसी में ट्रेड यूनियन आदि का एक विशेष स्थान है और अगर इसको कुचलने की कोशिश की जावेगी तो देश की उन्नति नहीं हो पाएगी। बस यही बातें कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री हरिदेव जोशी:--अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी वाद विवाद हो चुका है; मैं इस पर क्लोजर मूव करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव:--अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और इस प्रकार क्लोजर एलाउ कर दिया जाएगा तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हाउस के सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष:--यदि कुछ सदस्य और बोलना चाहते हैं तो मैं इजाजत देता हूं।

श्री मानसिंह:—Mr. Speaker, Sir, I had no intention of speaking this morning, but I find that the Leader of the Sanyukta Dal stood and supported such a measure. So I decided to speak. You see that when we do not agree with the principles of the Bill, we cannot also be members of the Select Committee.

This Bill is an emergency measure, a measure that should come either in times of War or in times of disturbance or civil disobedience, and not at a time when today there is no emergency. This Bill should not be passed by the House at a time when there is no emergency. These powers are powers that are given to the Dictators. This is a totalitarian measure. This is a Bill that directly affects the democratic and fundamental rights of the services, the freedom of expression, the freedom of association and the freedom of representation. These three rights are nipped in the bud by this Bill; whereas in

democracy all these rights should be safeguarded and they should be encouraged. Today this Government has not paid its services adequately with the result that they are highly dissatisfied. They have got vast grievances and instead of trying to remove their grievances THIS GOVERNMENT wants to impose upon them this bill to suppress their morals. With a brute majority in the House they want to pass such a measure and they want us by some way or other to support this measure, that it must be passed. when I saw this Bill I tried to understand the underlying principle of the Bill, as to what was the underlying principle behind this measure. But I do not see a single principle; I do not see the reason of this Bill. I do see the objective behind this Bill, and the objective is to suppress, to kill democracy.

The Hon'ble Leader of the House said that this measure is necessary in democracy. It will foster the infant plant of democracy in this country. But he did not state the reason. I would say that this measure will kill the infant plant of democracy in our country. A plant cannot thrive in a soil which is surrounded by hostile forces, by forces of fascism. It cannot improve democracy. Democracy can thrive only in an atmosphere of freedom, an atmosphere where we can move freely where, if our prestige is at stake, we can demand that it should be protected. That is democracy. In a democracy you should not impose measures that are Police measures, repressive measures. I do not understand with what logic the Sanyukta Dal Leader wants that democracy should thrive in this country when we do not agree with its principles, when we do not agree with its objective, and therefore I request even the Members of the Treasury Benches not to allow this Bill to be passed. They should oppose such a measure in democracy, because it does not safeguard, rather it takes away for all time the freedom of the people Such a measure seeks to introduce a kind of martial law in the State, a sort of imperialism. If you want to bring in such measures, they will suppress, they will absolutely deprive the people of their right. These are the very measures that will bring Communism in our country. They will bring revolt, because you cannot suppress their demands and if you go out of your way and suppress their demands, then, remember, there is a time even when the slave revolts against the master.

श्री हरिदेव जोशी:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल से इस बिल के ऊपर हम जो बहस सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम उस विचारधारा और उन सब चीजों को, जिनका कि हम प्रतिपादन करना चाहते हैं और जिनके बारे में हम विचार रखते हैं, कहते हैं । मैं समझता हूं कि वे सारी

चीजें इस बिल की मन्शा और भावना से काफी दूर हैं । मैं यह सुन रहा हूं कि इस बिल के द्वारा प्रजातन्त्र का हनन होगा, यह कहा जा रहा है कि इससे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का हनन होगा, यह कहा जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह उत्पन्न होगा । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अपने माननीय मित्रों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यदि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं का हनन किया गया और यदि मनुष्य की आकांक्षाओं का हनन किया गया तो निश्चित रूप से विद्रोह हो सकता है और ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो कि मेरे माननीय मित्र जैसा कहते हैं उनके भी ख्याल में नहीं हो । मगर अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर के दिल और दिमाग तो साफ हैं किन्तु उन्होंने अभी तक इस बिल को सामने रखते हुए यह नहीं सोचा है कि यह बिल प्राथमिक आवश्यकताओं का किस प्रकार हनन करेगा ? जिनके दिमाग की यह उपज है कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं का हनन होगा, मैं समझता हूं कि यह उनकी भावनाओं का उद्दीपन किया जा रहा है, जिनके लिए उन सभी चीजों को सामने लाया जा रहा है, जिन भावनाओं की इस बिल को सदन के सामने रखते हुए कल्पना भी नहीं की गई थी । अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आज इस प्रान्त के अन्दर कुछ ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई है जिससे प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिए यह बिल रखा गया है न कि प्रजातन्त्र की हत्या करने के लिए । अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त के अन्दर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो शान्ति और व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, जो सरविसेज के अन्दर गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं । इस प्रान्त के अन्दर ऐसे तत्व मौजूद हैं कि जो इन्डस्ट्रीज को, जो ट्रेड यूनियन को पनपने नहीं देना चाहते हैं........

श्री गोपीलाल यादव:—On a point of order, Sir. I challenge, there is none in Rajasthan. If there are any, point out amongst yourselves.

श्री हरिदेव जोशी:—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सरकार रक्षा करना चाहती है । उद्योगों को पनपाना चाहती है : इस बिल से प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहती है, इस प्रदेश को ऊंचा उठाना चाहती है । कोई बिल काला कानून नहीं हो सकता जब तक कि उसका उपयोग काले ढंग से न किया जाय । यदि उसका उपयोग सही ढंग से किया जायगा तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि जो बिल आज भवन के सामने काले कानून के रूप में आया बतलाया जाता है वह बिल कानून पास होने के बाद राजस्थान को ऊंचा उठाने के रूप में बहुत बड़ी चीज के रूप में सामने आ सकता है । उसकी मन्शा और उसकी भावना सामने रखी जानी चाहिए ।

इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल को देखकर और इसकी सतरों को पढ़कर कुछ लोगों के दिल और दिमाग कांपेंगे, कुछ लोगों के दिल और दिमाग इधर से उधर होंगे; क्योंकि इस बिल के द्वारा उनकी उन सब चीजों को

आघात पहुंचता है जिनको कि वे करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग इससे राजी नहीं हो सकते । खुश होंगे वे जो निश्चित रूप से एक प्रोग्राम के अनुसार प्रान्त को सुव्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं । नाराज होंगे वे लोग जो उस प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि न तो सरकार की यह भावना है कि किसी को अनावश्यक रूप से जैसा कि कहा जा रहा है, दबाया जायगा, न यह भावना है कि इस बिल के द्वारा ट्रेड यूनियनिज्म को नष्ट किया जायगा । ट्रेड यूनियनिज्म का ठेका कुछ अमुक लोगों ने या पार्टियों ने ही नहीं लिया है । इस बिल के द्वारा उद्योगों को और उद्योगों के अन्दर लगे हुए लोगों को ऊंचा उठाने का सवाल है । तो अध्यक्ष महोदय, कोई भी पक्ष अपने आपको मोनोपोलाइज नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि वे ट्रेड यूनियनिज्म की ठेकेदारी ले चुके हों, यह चीज नहीं है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसके द्वारा सर्विसेज का दमन होगा । इसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा जो बातचीत होंगी उनको भी दबाया जायगा । अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि उनके दिमाग में जो जो शंकाएं हैं, जो जो चीजें हैं वे खुल्लमखुल्ला सामने आई हैं । वे सारी चीजें खुलकर उनके लक्ष्य को प्रदर्शित करती हैं । यह सारा संकेत है उनके लिए जिनके लिए जरूरी है इस बिल को सामने रखने की और इस हाउस के द्वारा इसको स्वीकार करवाने की । वह संकेत है प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए और आज की स्थिति में राजस्थान की रक्षा के लिए इस बिल की बहुत ही आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ में जोरदार शब्दों में इस बिल का अनुमोदन करता हूं ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामन काफी देर से राजस्थान एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल के ऊपर बहस हो रही है । मुझे अफसोस इस बात का है कि यह बिल उस पक्ष की ओर से आया है जिसने उस बिल का, जिस दिन से उसका जन्म हुआ, उस दिन से ऐसी चीजों का विरोध किया........

श्री गोपीलाल यादव:—ओन ए पोइंट आफ इनफोरमेशन, सर। आप जो बोल रहे हैं विरोध करने वाले दोनों तरफ हैं ।

श्री अध्यक्ष:—No interruption please.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):—लेकिन आज दुःख की बात यह है कि, अध्यक्षजी, उन्हीं महानुभाओं द्वारा ऐसा काला कानून हमारे प्रान्त पर लादा जा रहा है । मैंने अपने भाषण में कई बार इस प्रकार का संकेत किया है कि हमारी वर्तमान सरकार हिटलरशाही नीति की तरफ अग्रसर हो रही है । मैं यह कह सकता हूं कि यदि सरकार इस प्रकार दमन का कानून बनाने को तैयार है तो उसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते ।

अध्यक्षजी, मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के जब आम चुनाव हुए तो यह जनता समझती थी कि एडल्ट फ्रेन्चाइज के चुनाव के बाद हमारे प्रान्त में रामराज्य की स्थापना होगी, लेकिन जो कुछ आज हो रहा ह वह उसके बिलकुल विपरीत हो रहा है। आज हमारे प्रान्त में रामराज्य की स्थापना होनी चाहिये थी किन्तु रामराज्य से लोग कोसों दूर भाग रहे हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर देशी रियासतों के जमाने में ऐसा कानून पास किया जाता तो हम उसे कुछ हद तक समझ सकते थे लेकिन आज इस सदन में हम चुने हुए व्यक्ति अगर इस कानून को पास करें या इसका समर्थन करते हैं तो मैं कड़े शब्दों में कहता हूं कि यह प्रजातंत्र की हत्या होगी।

अध्यक्षजी, यह जो कानून है इसके पास करने से हमारी सरकार को वह शक्ति प्रदान होगी कि जिससे वह जैसा चाहेगी, कर सकेगी। हमारी सरकार को मैं जानता हूं। यह बिल लाने के लिए २, ३ बातें ऐसी दिखती हैं जिनसे वह डर रही है और उनका दमन करने के लिए यह कानून पास करना चाहती है।

हमारी सरकार ने राजस्थान की सर्विसेज के साथ घोर अन्याय किया है, घोर पक्षपात किया है; इसलिये सरकार को डर है कि राजस्थान की सर्विसेज सरकार के खिलाफ कोई कड़ा कदम न उठाये। उस कड़े कदम को रोकने के लिए सरकार न्याय पर चलने को तैयार नहीं; न्याय तो हमारी सरकार ने अब ताक में रख दिया है। अब इस प्रकार के काले कानून को पास करके सर्विसेज को दबाना चाहती है।

इसके अलावा मैं जानता हूं कि हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा मिल में जो एक प्रकार का झगड़ा चल रहा है, जिसके अन्दर सरकारी पक्ष कुछ कमजोर है इस प्रकार के कानून लाकर अपने पक्ष को मजबूत बनाना चाहती है। सबसे बड़ा दुःख, बहस के दौरान में मुझे उस समय हुआ जिस वक्त संयुक्त दल, जिसका कि मैं पहले मेम्बर था, के नेता ने इस बिल का स्वागत किया और कहा कि राजस्थान के उत्थान में यह बिल बड़ा सहायक होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जहां तक मैं मानता हूं कि राजशाही के जमाने में उन्होंने भी ऐसे कानूनों का पोषण किया होगा और अब भी समर्थन करते हैं; फिर भी वे मेरे साथी हैं इसलिए उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वे ओपोजिशन के लीडर हैं और हमारी तरफ बैठे हैं; अतः फिर से वे इस पर विचार करें। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी राय को दुबारा कन्सीडर करें। आपने देखा होगा की हमारी सरकार की नीयत कितनी साफ है; प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में उन्होंने आपके साथियों के साथ कैसा उचित व्यवहार किया है!

श्री अध्यक्षः You will come on the principles and not to personal things.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):--इस प्रकार के कानून के सिद्धान्त को मैं गलत मानता हूं। सिद्धान्त के बारे में मेरा निवेदन है कि यह बिल हमारे फंडामेन्टल राइट्स को

इफेक्ट करता है। इस बिल के पास होजाने से राजस्थान की सर्विसेज में वे मनचाही कर सकेंगे । किसी आदमी को किसी फेक्टरी में, वह यदि काम नहीं करना चाहता हो तो भी उसे इस बात के लिए मजबूर किया जायगा कि वह जबरदस्ती काम करे । सरकारी अफसर इस बिल के तहत किसी भी काम को इसेन्सियल सरविसेज कहकर मनमानी करेंगे। सरकारी नोकरों को इस बिल के मातहत गिरफ्तार किया जा सकता है; इससे बढ़कर अन्याय और क्या हो सकता है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जनता को बोलने की आजादी, नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं और दूसरी तरफ इसेन्सियल सरविसेज के नाम पर गिरफ्तार किया जाता है । इसके लिए ज्यादा न कहकर विरोधी दल यानी सरकारी पक्ष के लोगों से अपील करूंगा कि वे इस पर बड़े ध्यान से सोचें; क्योंकि हो सकता है कि उनको कभी इस तरफ बैठना पड़ जाय तो इस काले कानून के पास हो जाने से उन्हें कितना दुःख होगा। इसलिये इस बिल का उन्हें कड़ा विरोध करना चाहिये । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को बता देना चाहता हूं कि रामराज्य परिषद के लोग इस बिल को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल का हर स्टेज पर विरोध करेंगे, जहां तक हो सकेगा बिल को पास होने से रोकेंगे ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बहस चली; इस छोटे से बिल के उपर ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, क्या मुख्य मंत्री जवाब दे रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष:—You will hear it whether it is a lecture or a reply.

श्री अश्विनिकुमार:—Then it must be stated; otherwise other people lose their right to speak.

श्री टीकाराम पालीवाल:-(अपना भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बहस चली; इस बिल पर। मेरे ख्याल से जितनी बहस चलनी नहीं चाहिये थी, चली। मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं । कई एक बातें इस बिल के बारे में कही गई हैं और कई माननीय सदस्यों ने तो अपनी सारी विद्वता, इतिहास की सारी जानकारी का निचोड़ यहां लाकर रख दिया है। कोष में जितने भी कड़े से कड़े शब्द हो सकते थे या उनकी जानकारी में थे, उनका प्रयोग किया गया। मुझे, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, उस अवसर पर आश्चर्य नहीं होता जिस समय किसी दल विशेष के एक ही प्रतिनिधि, जो इस हाउस में हैं, वे इस बिल के सिद्धान्त का विरोध करें। इस दल की भावना को आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं । मैं सिम्पेथाइज कर सकता हूं उनके एटिटचूड पर क्योंकि एक विशेष उद्देश्य को लेकर एक दल चले और वह अपने उद्देश्य में सफल होने का कोई अवसर न देखे तब फिर इसके प्रतिनिधि को सिवा इसके क्या करे कि किसी भी

व्यवहारिक कदम को, जो बढाना, हो, रोकने की कोशिश करे या देरी करने की कोशिश करे, उसको बदनाम करने की कोशिश करे। किन्तु फिर भी अपनी जो बातें कहनी हैं, उनको सोच विचार कर कहें तो अच्छा है, ताकि हमें उस पर सोचने का मौका मिल सके।

सचमुच, जैसा कि मैंने निवेदन किया मुझे आश्चर्य हुआ उस समय जब दूसरे कुछ लोग जो कहते हैं कि उनके उद्देश्य इस प्रकार के नहीं हैं जिस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के वे सज्जन आये हैं, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। वे लोग बहुतसी बातें केवल इसलिये कह डालें जिनके बारे में शायद जानबूझ कर वे नहीं कहते लेकिन वे इसलिये कह गये कि सरकार के ऊपर कुछ कीचड उछाला जाय। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानता हूं कि यह कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं है, वे जिम्मेदारी से कोसों दूर हैं।

मैं बहुत कृतज्ञ हूं विरोधी दल के नेता का, जिन्होंने सच्चाई के साथ स्वीकार किया कि वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। डिटेल्स के बारे में जरूर मतभेद हो सकता है, उनके विचार भिन्न हो सकते हैं, उसके विषय में हम बैठकर विचार कर सकते हैं; इसलिये उन्होंने जो सिलेक्ट कमेटी का सुझाव दिया है उसे मैं मानने को तैयार हूं। ऐसी हालत में विस्तार में इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं थी; लेकिन मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ लोगों ने जो अनर्गल बातें कही हैं जिनका इस बिल से कोई सरोकार नहीं है और न आज की स्थिति से जिसका सरोकार है। "काला कानून" एक ऐसा शब्द रट लिया गया है जिसका वास्तविक इम्प्लीकेशन समझे बिना इस शब्द का प्रयोग कर डाले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिये कि कुछ कानून पहले विदेशी हकूमत के जमाने में बने थे जिनको जनता नहीं चाहती थी। और वे उसे "काले कानून" के नाम से पुकारते थे। वही शब्द आज भी वे प्रयोग कर रहे, हैं यह कौनसी बुद्धिमानी है। विदेशी हुकूमत के जमाने में हमारा पीनल कोड भी बना था, क्या हम उसको भी काला कानून मान लें। विदेशी हुकूमत के जमाने में कई एक कानून बने जो अच्छे भी थे। इसलिये सर्वथा गलत तरीका है सोचने का और बहस करने का। आज की आवश्यकता को देखते हुए, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के लिये, इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है; यह देखकर हमें चलना चाहिये और यही सही रास्ता हमारा सोचने का होना चाहिये।

कहा जाता है कि मजदूरों के संगठनों को कुचलने के लिए यह काम में आयगा, सरकारी सेवाओं को कुचलने के लिए यह काम में आयगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई है सरकारी सेवाओं के प्रति और मजदूरों के प्रति और कहा गया कि बड़ा अन्याय होगा, बड़ा असंतोष फैलेगा और यदि पुरानी रियासतें होतीं तो ऐसा नहीं होता। शायद वे पुरानी रियासतों के स्तम्भ रहे हैं। वे शायद इस प्रकार या इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती करते रहे होंगे या उसमें भाग लेते रहे होंगे; आज तो एक दम चोला बदल दिया गया है और न्याय के स्तम्भ दिखाई देते हैं।

इस तरह की बातें करने एवं उत्तेजनात्मक भाषण करने से न उनका स्वयम का स्थान ऊंचा होता है किन्तु इससे नीचा ही होता है। सरकारी सेवाओं के बारे में जितनी चिन्ता हुई है उससे कहीं अधिक चिन्ता सरकार को है। उनको भड़काने एवं गलत रास्ते पर ले जाने से उल्टा उनका नुक्सान हो जायगा। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि विरोध करना है। किन्तु देखना यह है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं? इस कानून में कुछ आवश्यक बातें हैं जिससे सेवाओं को ठीक ढंग से चलते रहने के लिए व्यवस्था की गई है और यदि उसमें कोई विक्षेप डाले, गडबड करे, सेवाओं के स्वयम के लोग, जो दूसरों को भड़काए उनको रोकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोग, खास तौर से मजदूरों के हिमायती बनने वाले भूल जाते हैं, कि इस बिल में एम्पलोयर्स के ऊपर भी अंकुश लगाया गया है। वे भी बिना उचित कारणों के एम्प्लोईज को हटा नहीं सकते। वे कारखाने बन्द नहीं कर सकते और यदि करते हैं तो वे भी दंड के पात्र होंगे। वे भूल जाते है इस बात को। इतनी चर्चा हुई किन्तु इस दूसरे पहलू पर निगाह नहीं डाली गई। मैं नहीं मानता हूं कि जो लोग मजदूरों के हिमायती बनते हैं, वे इस बात को भूल गये हों या उन्होंने इस ओर से आंखें बन्द कर ली हों। वे जान बूझ कर उसे छिपाना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते। इन्टेलेक्चुअल ओनेस्टी (Intellectual honesty) जिसे कहते हैं वे नहीं बताना चाहते हैं। जो भी बात हो, उसे साफ कहना चाहिये। गलत काम हो रहा है तो भी कहना चाहिये। सिर्फ इसलिए कि इस पर बहस करना है और विरोध में बोलना हैं चूंकि विरोधी पक्ष में, या सरकार की निन्दा करना है या उसे फटकारना है या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह सदस्यों के लिए, सदन के सदस्यों के लिए, उचित नहीं है। जैसा कि कहा गया है कि वार के जमाने में वह कानून बना था, यह आर्ग्युमेन्ट दिया गया है कि उस समय तो वार का जमाना था और उस समय यह कानून बनाया गया तो मैं कहना चाहूंगा कि न तो वार के लिए बना है, न आज कोई वार है, न आज के लिए बना है और न कल के लिए, किन्तु स्थितियों की मजबूरी के कारण यह बना है। आज भी स्थिति ऐसी नहीं होती तो न बनाया जाता। अगर वह स्थिति ऐसी थी कि उसके वार के जमाने में बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई और स्थिति ऐसी नहीं होती तो वह वार के वक्त भी नहीं बन सकता था उसके बाद में भी इसको बनाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। पीछे आज भी हम जिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं उनको देखते हुए इसकी आवश्यकता है। सरकारी सेवाओं को अधिक चलाते रहना वार के जमाने में भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। दूसरी ओर भी इसका उपयोग हो सकता है। देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते रहना, उत्पादन की दृष्टि से, देश की आर्थिक और साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से उस समय भी आवश्यक था और आज भी इसकी आवश्यकता है। उत्पादन की दृष्टि से आज हमारा देश संकट की स्थिति में से गुजर रहा है। आज अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारे पिछड़े हुए प्रान्त में तो इसकी खास तौर से आवश्यकता है, जरूरत है। आज यह आवश्यकता है कि हमारे उद्योग-धन्धे जिनको सरकार आवश्यक

समझे, उनके चलते रहने में कोई बाधा न हो। न एम्प्लायर्स की तरफ से बाधा आ सके और न ऐसे, इस प्रकार के तत्वों की ओर से बाधा आ सके जो नासमझ मजदूरों को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। उस स्थिति को रोकने के लिए ही इस प्रकार के बिल की आवश्यकता होती है। यदि आप उदाहरण चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। मैं मानता हूं कि रोज रोज ऐसी स्टेज नहीं आती किन्तु कभी कभी आती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो तुरन्त कानून नहीं बनाया जाता। सरकार को कुछ ऐसे अधिकार रखने होते हैं जिनका समय पर उपयोग किया जा सके। एक दो उदाहरण, अभी के नये उदाहरण, मैं दे सकता हूं। चाहे वे मजदूरों के बहुत बड़े हिमायती हों, भूल गये हैं इस बात को कि किशनगढ़ मिल के विषय में इसी भवन में चर्चा हुई थी। किशनगढ़ मिल मेनेजमेन्ट की ओर से गलत रवैया अख्तियार किया गया और हमारे पास कोई कानून नहीं था उस वक्त उनको मजबूर करने के लिये कि वे गलत रवैया अख्तियार नहीं करें। ठीक है, कानून होता तो कुछ किया जा सकता था। फिर भी मजदूरों को लोक आउट कर दिया गया और बिठा दिया गया। कुछ लोगों को इसका मौका मिला कि वे मजदूरों को बहका कर यहां भी ले आये और प्रदर्शन करवाया गया। मजदूरों को भड़का कर, उनकी हड़ताल करवा कर उनका उपयोग करना; यह उनकी इच्छा रही है। वे नहीं चाहते कि सरकार के पास ऐसे अधिकार रहें कि जहां मजदूरों की सहायता के लिए उन अधिकारों के उपयोग करने की आवश्यकता हो तो किये जा सकें और मेनेजमेन्ट को भी ठीक रखा जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरों के हिमायती बनते हैं, किन्तु उनका उद्देश्य दूसरा है और वह यह है कि मजदूरों में, एम्प्लोइज और एम्पलोयर्स में गड़बड़ कराना, अव्यवस्था फैलाना, प्रदर्शन कराना और केओस की स्थिति पैदा करना। उसको रोकने के लिए कोई भी कानून चाहे वह मजदूरों के हक में भी जाता हो तो वे उसका विरोध करेंगे। वे इस कानून में मजदूरों के हितों की ओर, उनके हित साधन की ओर सरकार जो कर रही है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान इस ओर जरूर होगा; किन्तु वे उसे छिपाना चाहते हैं। यदि यह कानून हमारे पास होता तो जो किशनगढ़ मिल में लोक आउट किया गया है, वे इस तरह से लोक आउट करने की हिम्मत नहीं करते; करते तो दंड पाते और दुबारा हिम्मत नहीं करते। यह तुरन्त का उदाहरण दिया, उनके समझने के लिए दिया जो मजदूरों के हिमायती बनते हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ देखिये कि यदि यह अधिकार हमारे हाथ में होता तो एम्पलोइज की रक्षा होती और प्रबन्धक इस तरह से परेशान नहीं करते।

इसके विपरीत दूसरी तरफ देखिये तो आपको मालूम होगा कि जोधपुर में नर्सेज और कम्पाउन्डर्स ने स्ट्राइक किया। इस सम्बन्ध में भी इस सदन में बहुत कुछ कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं सुना। मैं यह कहना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में कि उन्होंने उन सही तथ्यों को समझने की कोशिश नहीं की; सिर्फ इसीलिए विरोध किया गया कि वे विरोधी पक्ष के हैं और उसका विरोध करना चाहिये था या वे किसी तरह से सरकार को रन डाउन करना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति दूसरी ही है। जोधपुर में नर्सेज और

कम्पाउन्डर्स की डिमान्डस थी; उनके पे स्केल्स बढ़ाने की। दिसम्बर सन् १९५१ के आसपास उन्होंने अपनी डिमान्डस रखीं । उस समय के मुख्य मंत्रीजी और उस विभाग के मंत्रीजी ने उनसे यह कहा कि तुम्हारी मांगों पर विचार किया जायगा। उसके बाद चुनाव हुए और नयी सरकार बनी और नयी सरकार ने भी विचार किया उनकी मांगों पर और विचार करके जिस हद तक उनकी मांगे वाजिब थी उस हद तक पूरी की गई । ऐसे कर्मचारियों का दूसरे राज्यों में जो हाइएस्ट ग्रेड था वह यहां पर लोएस्ट ग्रेड क बराबर किया गया । वे पे स्केलस अब भी मौजूद हैं कोई भी उन्हें देख सकते हैं । लेकिन जो अतिरिक्त ग्रेड कायम किया गया था, विशेष रूप से और जो दूसरे राज्यों में नहीं मिलता था उस अतिरिक्त ग्रेड के लिये स्पेशल क्वालिफिकेशन्स रखी गई । इस सूरत में इतना उचित नहीं समझा गया कि अतिरिक्त ग्रेड, बिना क्वालिफिकेशन्स के दिया जाय। इस तरह से जो उनकी वाजिब मागें थी उन पर विचार किया गया; न केवल विचार ही किया गया बल्कि उनकी मागें पूरी भी की गई और वह भी वर्तमान सरकार द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राजनैतिक तत्व भड़काने वाले थे और उन्होंने उन्हें भड़काया और स्ट्राइक करवा दी और आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल जैसी जगह में और वह भी जोधपुर में जहां ३५० मरीजों के बेडस हैं वहां पर बड़ी संख्या में नर्सेज और कंपाउन्डर्स स्ट्राइक करें और बीमारों को अपने ही भाग्य पर छोड़ दें तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? मैं धन्यवाद देता हूं कुछ संस्थाओं के वोलेन्टियर्स को, स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्ज और दूसरी जगहों के कंपाउन्डर्स को व मेडिकल कालेज के छात्रों को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बीमारों की हालत संभाल ली और ठीक ढंग से काम चलता रहा। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्राइक को उभारा या जिन्होंने स्ट्राइक में भाग लिया और जिन्होंने हॉस्पिटल में भरती किये गये ३५० बीमारों को तकलीफ पहुंचाई उनकी यह भावना कितनी गिरी हुई थी कि उन्होंने इसमें पार्ट लिये और उन्हें उकसाया; यह उनका केलस एटिट्युड था, उनका एटिट्युड इनह्यूमन था । ऐसे कामों में भाग लेने वाले चाहे व बाहर के तत्व हों या अन्दर के तत्व; किसी भी प्रकार सहानुभूति के पात्र नहीं हो सकते और यदि ऐसी अवस्था चले तो उसे सख्ती के साथ डील करना चाहिये । इस तरह की बातों में अगर सख्ती नहीं की जाए तो कोई गवर्नमेन्ट चल नहीं सकती । यदि कोई गवर्नमेंट में आकर यह कहे कि हम हर मांग को, चाहे वह वाजिब हो या गैर वाजिब उसे पूरी करेंगे तो मैं कहता हूं कि वे आकर गवर्नमेन्ट चलावें । इस तरह की चीज चल नहीं सकती। सच्चे मायने में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो सोचते हैं और समझते हैं वे इस तरह की बात कभी नहीं करते। आज भी कहा जाता है कि कर्मचारियों ने बेज लगाये; हमने तो देखा नहीं है। पर जो इस तरह की बातें करते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं व उनकी प्रशंसा करते हैं उन्हीं पर जिम्मेदारी आयगी। यदि उन कर्मचारियों के खिलाफ डिस्सिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ा और उनको यदि कोई नुक्सान हुआ तो वे कर्मचारी आप ही को धन्यवाद देंगे या यों कह दूं कि आपको कोसेंगे । इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी तरीके से बातें नहीं करनी चाहिये ।

श्री गोपीलाल यादव:–अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस तरह की थ्रेट नहीं देनी चाहिये। मैं उनको चेलेन्ज देना चाहता हूं कि वे चाहें तो अभी गिरफ्तार करवा सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:-मेरे दोस्त सुबह से अब तक कई बार चेलेन्ज दे चुके हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक सदस्य पूरी जिम्मेदारी की भावना से आलोचना करे और सही चीज की आलोचना करे तो ज्यादा अच्छा हो। मैं मानता हूं कि इस बिल के सिद्धान्तों में कुछ मतभेद हैं तो हम बैठेंगे, मिलकर सोचेंगे, विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और जिस बात में कमी-बढ़ती होगी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे; लेकिन हर चीज का विरोध करना और वह भी गलत तरीके से और भद्दे शब्दों में बोलना; कहां तक वाजिब है? मैं चाहता हूं कि तरीके को बदलें। इस भावना को छोड़कर जिम्मेदारी की भावना को अपनावें।

श्री एच. के. व्यास:—On a point of order, Sir. Is it open to the Hon'ble Member to cast aspersions on other members or to deliver sermons?

श्री भवनिकुमार:—We do not want any sermons. We want reply to the points that have been raised.

श्री टीकाराम पालीवाल:—I may reply to the point. I am saying something that I feel about your attitude, and if you can take the oppor unity of using most unbecoming words, I think you should be prepared to listen at least to the protest.

श्री अध्यक्ष:—Only point is that he is giving a reply to the discussions and while making reply, by uttering these words the Leader of the House perhaps meant that a spirit of co-operation should come from the Opposition rather than cursing and cursing all.

श्री एच. के व्यास:—That is right. But my submission is, Sir, that he can refer to arguments but he cannot refer to person or persons of the Members. We referred to acts of Government and not to Ministers personally.

श्री अध्यक्ष:—No. That he is not doing.

श्री टीकाराम पालीवाल:–(भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस उद्देश्य से यह बिल हाउस के सामने लाया गया है और जिन भावनाओं से यह लाया गया है उसको विपरीत रूप से लोगों ने इसे यहां समझा है। यह कहा गया कि इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया है और जनता के हकों का हनन किया गया है; तो मै यह कहता हूं न तो इससे जनतन्त्र का हनन होता है और

न व्यक्तिगत भावनाओं का हनन होता है । एसेन्शियल सर्विसेज पर सरकार का अच्छा नियन्त्रण रह सके; इसे ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है । यह उन्हीं उद्योगों के लिये लागू होगा जिन्हें सरकार एसेन्शियल घोषित करेगी । हर किसी उद्योग के लिये इस कानून का उपयोग नहीं होगा । जो उद्योग या विभाग राष्ट्र की दृष्टि से या जनता की दृष्टि से उपयोगी हैं उन्हीं के लिये यह काम आयगा । कई लोग यह सोचते हैं कि अमुक दल की सरकार बनेगी तो इसका उपयोग किस तरह से होगा । कोई कानून इस सरकार या उस सरकार के उपयोग के लिये नहीं बनते । सरकार चाहे किसी भी दल की हो कानून जनहित की दृष्टि से बनते हैं और उसी काम आते हैं ।

हम कानून बनाते हैं, सारे राज्य की जनता के हित की दृष्टि से । चाहे यह सरकार रहे या दूसरी सरकार हो, यह कंसीडेशन न हमारे दिमाग में आता है न और किसी के दिमाग में आना चाहिए । चाहे यह सरकार या दूसरी सरकार रहे किन्तु जो इस कानून का दुरुपयोग करेगी वह सदन का विश्वास खो बैठेगी और वह सरकार, सरकार नहीं रहेगी ।

पहले जो गैर जिम्मेदार सरकार होती थी और अधिकारों का दुरुपयोग करती थी तो उस पर नियंत्रण नहीं होने से, हो सकता था कि वह उसके दुरुपयोग के कारण वह कानून काला कानून बन जाता था । परन्तु आज ऐसी हालत नहीं । कोई भी कानून सरकार स्थिति का मुकाबला करने के लिए बनाती है तो उसका उपयोग सरकार ठीक तरह से ही कर सकती है । ठीक ठीक ढंग से नहीं करेगी तो वह सरकार सदन का विश्वास खो बैठेगी । जो इस प्रकार सरकार के प्रति शक करते हैं वे अपने अन्दर भी आत्मविश्वास नहीं रखते । इसी हेतु वे कहते हैं कि सरकार अधिकारों का दुरुपयोग करेगी ।

मैं इस बारे में और अधिक डिटेल्स में नहीं जाते हुए यही अपील करूंगा कि इस पर विचार किया जाय । इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का जो सुझाव है इसके लिए मैं अर्ज करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय । मैं यह मूव करता हूं कि बिल सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष:—You will give the personnel ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नाम मैं बाद में बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष:— I hope it is not a long list.

श्री टीकाराम पालीवाल:— I will give the names within half an hour.

श्री अध्यक्ष:—So the question is that the Rajasthan Essential Services Bill be referred to a Select Committee whose personnel will be announced later to submit its report within three days.

(प्रस्ताव स्वीकृत)

The motion is adopted.

राजस्थान भारतीय औषधि विधेयक, १९५२.

श्री अध्यक्षः—नेक्स्ट

श्री रामकिशोर व्यासः—माननीय अध्यक्ष मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में वैद्यक शास्त्र, शल्य शास्त्र (सर्जरी) तथा धातृ-कार्य (मिडवाइफरी) की भारतीय प्रणाली के विकास की तथा इस व्यवसाय को नियमित करने की व्यवस्था करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाए ।

इस बिल का उद्देश्य यह है कि अब तक कोई ऐसा विधान नहीं था जो सारे राजस्थान पर इस विषय पर लागू हो सके । अलग अलग रियासतों में कहीं इस तरह के नियम थे और कहीं नहीं थे । बहुत दिनों से ऐसी मांग थी कि ऐसा कानून बनाया जाय कि वैद्यों तथा हकीमों पर नियन्त्रण किया जा सके । उनमें जो अनक्वालिफाइड हैं उनको प्रेक्टिस करने से रोका जाय । इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक कमटी बनाई थी और उसने ऐसा विधान बनाने की सिफारिश की है । इसीलिए यह विधेयक बनाया गया है । आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्षः—I think the Hon'ble Members will hardly like to discuss on the principles of the Bill.

(विराम)

There is an amendment moved by Shri Tan Singh for the Bill to be referred to Select Committee.

श्री रामकिशोर व्यासः—यह विधेयक कन्ट्रोवर्सियल नहीं है । इससे वैद्यों और हकीमों को रजिस्टर किया जावेगा, उनकी सूचि तैयार की जावेगी । अतः इस पर ऐसी जरूरत नहीं है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । मेरा यह निवेदन है कि इसे क्लॉज बाई क्लॉज सदन में पास किया जाय ।

श्री तनसिंहः—इस विषय में जो कुछ मैंने प्रस्ताव रखा है और जो मुझे इस कानून में लगा है कि इसका ड्राफ्टिंग अच्छा नहीं किया गया है ।

(एक सदस्य बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः—Let him have a say.

श्री तनसिंहः—इसके अलावा कुछ ऐसे कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन्स भी हैं जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने से दूर हो जायेंगे । एक तो इसमें यह है कि क्लॉजेज ८ और ११ में कन्फ्लिक्ट हैं । वे इस प्रकार हैं:—

"8. *Disqualifications for membership.*—(1) No person shall be qualified to be elected or nominated as a member or

Chairman of the Board—

(*a*) who is an undischarged insolvent, or

(*b*) who has been adjudicated by a competent Court to be insane or unsound mind, or

(*c*) who has been convicted of an offence declared by Government to involve moral turpitude, or

(*d*) who is an employee of the Board or has directly or indirectly or by himself or a partner, any share or interest in any contract with, by, or on behalf of the Board, unless in the latter case Government remove the disqualification.

(2) No person whose name has been removed from the register shall be eligible for election or for nomination under section 7." तथा

"**11.** *Disabilities for continuing as member.*—(1) If any member, during the period for which he has been nominated or elected—

(*a*) absents himself without sufficient cause from three consecutive ordinary meetings of the Board, or

(*b*) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 8, or

(*c*) being a legal practitioner, appears in any suit or proceedings civil or criminal, against the Board, or

(*d*) obtains any employment under the Board or has without the previous sanction of the State Government acquired directly or indirectly by himself or by a partner any share or interest in any contract with, by or on behalf of the Board,

the Board may remove him from membership:

Provided that, before removing a member under this sub-section, the Board shall call for his explanation and record its finding thereon.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), Chairman shall be removable by the State Government only."

इसमें तो चेयरमेन को रिमूव करने का स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार है और जो कुछ ऊपर दिया गया है उससे चेयरमेन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्लॉजेज ८ डिस्क्वालिफिकेशन या अन्य सूरतों में चेयरमेन पर असर करती है पर क्लॉज ११ क्लॉज ८ के डाइरेक्टली कॅन्ट्राडिक्शन में आ जाता है।

श्री अध्यक्ष:- Drafting will again be referred to the Law Department.

श्री तनसिंह:—खण्ड १८ तथा २० इस प्रकार है:-

"18. *Procedure at meetings.* (1) The Chairman or in his absence the Vice-Chairman shall preside at every meeting of the Board. In the absence of both, the members present shall elect one among themselves for the purpose.

(2) All questions at a meeting of the Board shall be decided by the votes of the majority of the members present and voting. In case of equality of votes the person presiding shall have a second or casting vote." तथा

"20. *Establishment of Advisory Committees.*---(1) The Board shall, subject to any rules made in this behalf, appoint the following Advisory Committees, namely:—

(*i*) an Ayurvedic Committee,
(*ii*) a Unani Tibbi Committee and
(*iii*) a midwifery Committee.

(2) Each Committee shall consist of –

(*a*) the Chairman who shall preside over its meetings, and

(*b*) Two members who shall be—

(*i*) Vaidyas in the case of the Ayurvedic Committee,
(*ii*) Hakims in the case of the Unani Tibbi Committee, and
(*iii*) midwives in the case of the midwifery Committee, appointed by the Board from amongst its own members or outsiders or both as it may decide.

(3) The term of each Committee shall be co-extensive with the term of the Board which appointed it.

Explanation:—The term of a Board shall mean the period for which its Chairman and members are entitled to hold office under section 15.

(4) Such members of the Committees as do not happen to be members of the Board shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same liabilities as the latter and the provisions of sub-section (3) of section 6, sub-section (1) of section 8, sub-section (1) of section 11, section 12, sub-section (1) of section 13 and sections 14 and 16 shall apply to such members in the same manner as they apply to members of the Board.

(5) No business shall be transacted at any meeting of a Committee when the Chairman or both members are absent. The provisions of sub-section (2) of section 18 and of section 19 shall apply to meetings of Committees as they apply to meetings of the Board."

श्री रामकिशोर व्यास:--Which clauses.

श्री तनसिंह:—Clauses 18 and 20. क्लॉज १८ में यह कहा गया है कि जब चेअरमेन गैर हाजिर हो तो उसकी जगह या तो वाइस चेअरमेन और अगर वाइस चेअरमेन भी नहीं हो तो उसकी जगह दूसरा चेअरमेन उस दिन के लिये मुकर्रर कर लिया जावे। मगर क्लॉज २० में चेअरमेन नहीं होता है तो मीटिंग नहीं होगी। ऐसी हालत में इन दोनों क्लॉजेज में आपस में कन्ट्राडिक्शन है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय तो हाउस को सहूलियत होगी और हाउस का समय भी बच जावेगा, सिलेक्ट कमेटी में सदस्य इसको पूर्णतया देख लेंगे। इतना कह कर मैं निवेदन करूंगा कि इस एमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास:-अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त ने इस बिल के क्लॉजेज ८ और १० में कुछ कन्ट्राडिक्शन बताया है और खास बात यह बताई है कि सदस्य और चेअरमेन की डिस्क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि चेअरमेन और मेम्बर की डिस्क्वालिफिकेशन में कोई अन्तर नहीं है; सिर्फ इतना ही अन्तर है कि चेअरमेन को गवर्नमेन्ट हटा सकती है और मेम्बर को बोर्ड हटा सकता है। यह इसलिये है कि चेअरमेन गवर्नमेन्ट का नोमिनेटेड होता है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है।

दूसरी बात आपने क्लॉजेज १८ और २० के सब सेक्शन (४) के सम्बन्ध में कही। इसमें भी ऐसे ही समझ का फेर रहा है। क्लॉज १८ बोर्ड की मीटिंग और चेअरमेन के बारे में है और क्लॉज २० एडवाइजरी कमेटी के बारे में है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिये दोनों के लिये अलग अलग नियम लागू है।

श्री तनसिंह:-सेक्शन १८ में लागू किये गये मिटिंग· · · · ·

श्री रामकिशोर व्यास:--I will speak on the subject of the provisions of Section 30.

श्री अध्यक्ष:-Do you want to press your point ?

श्री तनसिंह: --No, Sir.

श्री अध्यक्ष:-The question is that the Rajasthan Indian Medicine Bill, 1952, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

श्री रामकिशोर व्यास:--मेरे खयाल से कोई साहब बोलना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष:-इस बिल पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास:-मैं मूव करता हूं कि यह बिल पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष:-The question is that the Rajasthan Indian Medicine Bill, 1952, be passed. Do Hon'ble Members want to give any amendment ?

श्री एच० के० व्यास:-यह सही है कि इसमें कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है; पर मेरा खयाल है कि पिछले तीन दिनों से सदन में बहुत अधिक कार्यवाही के कारण कोई सदस्य संशोधन नहीं दे पाये हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लिया जाए तो जो बोलना चाहेंगे, बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष:-We can take it. But there will be no use wasting the time of the House by reading every clause before the House. Do you want to give any amendment ?

श्री एच. के. व्यास:-I'll give.

श्री अध्यक्ष:-To which section you want to give an amendment ?

श्री एच. के. व्यास:-About Nomination of the Board and its Chairman.

श्री अध्यक्ष:–आपका तत्कालीन विचार हुआ होगा ।

श्री एच. के. व्यास:–I admit that technically I am wrong under rule 146 of the Rules of Business and that is why the Hon'ble Member is insisting.

(विराम)

Well, I cannot help it. But if he is prepared to make room for our suggestions, then only I can say.

श्री अध्यक्ष:–Then you want to make amendment on the principles ?

श्री एच. के. व्यास:–That will be a different amendment.

श्री अध्यक्ष:—I think you want election and not nomination of the Board.

श्री एच. के व्यास:–That is not my Question.

श्री अध्यक्ष:–Then you bring your amendment. To which section does it relate ? Why don't you confer with the Member-in-charge ?

(विराम)

Which is that section you want to amend.

श्री एच. के. व्यास:—It relates to section 10, Sir.

(विराम)

श्री अध्यक्ष:—It relates to section 10, but where is the provision you want to amend.

श्री रामकिशोर व्यास:–आपने (श्री एच० के० व्यास) जो प्रस्ताव किया है, जो फरमाया है कि सेक्शन नं० १० में जो यह–

"Within two years from the date on which this Act comes into force and thereafter upon the expiry of every five years, the Board shall be reconstituted and for that purpose there shall be fresh nominations and general elections in the prescribed manner."

आपका यह सुझाव है कि बजाय २ वर्ष के ६ महीनें होने चाहिये। तो मेरा यह जवाब है कि २ वर्ष में ६ महीनें इन्क्लूड होते हैं। वह ६ महीनों में स्वीकार हो सकता है। २ वर्ष तो मेग्जीमम फिगर्स हैं और जो आपने सुझाव दिया है वह इसमें इन्क्ल्युडेड है।

श्री अध्यक्षः--You don't want to press it.

श्री एच० के० व्यासः–From the manner of his discussion I think, he will agree.

श्री अध्यक्षः--The point is perhaps, as far as I can gather, instead of taking a time of two years, Government should try to do it in earliest time possible and should not try full two years.

श्री एच० के० व्यासः–That is exactly the idea. But since it is a provision of law, Government has taken the powers of nominating the Board after the expiry of every five years....

श्री अध्यक्षः–Then clause 10 is laxative. They can nominate, I think, because it will take very long to hold elections, but after the elections, the elected board will work, after every two years.

श्री एच० के० व्यासः–Six months is ample time for the Government. It does not vitiate or violate any other provision.

श्री रामकिशोर व्यास –हाउस को मैं यह एश्योरेन्स दे सकता हूं कि गवर्नमेन्ट का कोई इरादा नहीं है कि पूरे २ साल तक नहीं करे। ६ महीने के अन्दर भी कर सकती है। मेरे खयाल से इसमें कोई बात नहीं है कि वह ६ महीनें के अन्दर नहीं करे।

श्री अध्यक्षः–That serves your purpose. All right.

(विराम)

So the question is that the Rajasthan Indian Medicine Bill, 1952, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान चल-चित्र (नियमन) विधेयक, १९५२

(श्री टीकाराम पालीवाल, सम्बन्धित मंत्री, अनुपस्थित)

श्री अध्यक्षः–No body is going to move it.

श्री एच. के. व्यासः–Then it lapses, Sir, if it is not moved.

(श्री टीकाराम पालीवाल का सदन में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष:--He was perhaps busy with the personnel of the Select Committee.

श्री टीकाराम पालीवाल:-(धीमे स्वर से) मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र (सिनेमेटोग्राफ्स द्वारा प्रदर्शन) को नियमित करने की व्यवस्था करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

(विरोधी दल की ओर से "Not audible-not audible")

श्री अध्यक्ष:--It should not be audible because he has nothing to say

(विराम)

Do the Members want to discuss on the principles of this Bill ?

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां कोई चीज डिसक्शन करने की नहीं है वहां हम पूरा कोओपरेशन देने को तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष:-(श्री टीकाराम पालीवाल, मुख्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए) You should thank him.

श्री टीकाराम पालीवाल:-मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं आपको खास तौर से ।

माननीय अध्यक्ष:—The question is that the Rajasthan Cinemas (Regulation) Bill, 1952, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Motion is adopted.

श्री एच. के. व्यास:-I have to move an amendment. It is not of a very vital nature.

श्री अध्यक्ष:-You should discuss.

(श्री एच० के० व्यास मुख्य मंत्री के निकट जाकर विचार-विमर्श करते हैं)

श्री एच. के. व्यास:-My amendment is to clause 7.

श्री अध्यक्ष: – Wait. The question is "That Clauses 2, 3, 4, 5 and 6 be added to the Bill."

(स्वीकृत)

Clauses 2 to 6 are added to the Bill.

श्री एच. के. व्यास: – My amendment is to clause 7 and the amendment is that in the fifth line the words "breach of the peace" may be omitted and instead "lowering of public morals or Communal incitement" be added.

इस बिल के क्लॉज ७ में मैं अमेन्डमेन्ट पेश कर रहा हूं। इस क्लॉज में कुछ अधिकार दिये गये हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और बाद में सरकार को। इस क्लॉज में यह अधिकार दिया जा रहा है कि उनकी राय में जिन फिल्म्स को देखने से "ब्रीच ऑफ दी पीस" हो, शान्ति को खतरा पैदा होने का डर हो तो वे उसी फिल्म पर रोक लगा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जब सेन्सर बोर्ड सरकार की तरफ से बना हुआ है, जहां से फिल्म सेन्सर होकर आती हैं, जो बोर्ड फिल्म को हर पहलू से देखते हैं वे अपने रूल्स के मातहत यदि उस फिल्म को ठीक नहीं समझते तो ऐसे मुद्दे पर "ब्रीच ऑफ दी पीस" आसकती है। सेन्सर बोर्ड जब फिल्म को सेन्सर कर ले तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वाइड पावर्स नहीं दिये जाने चाहिये। सेन्सर बोर्ड यदि फिल्म को पास कर देता है और अगर उसी फिल्म से जातीय भावना भड़कने का अन्देशा हो, पब्लिक में शान्ति भंग होने का डर हो तो ऐसी हालत में जिलाधीश उस इलाके के लिए, किसी खास इलाके के लिए ऐसी फिल्म पर पाबन्दी लगा सकते हैं; लेकिन महज इसलिये कि जिलाधीश इसको ठीक नहीं समझता "ब्रीच ऑफ दी पीस" के मातहत रोक लगा देगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि "ब्रीच ऑफ दी पीस" को हटा करके ये शब्द जोड़ दिये जायं:–

Lowering of public morals or Communal incitements.

श्री अध्यक्ष:–I put it to vote. (श्री पालीवालजी को संकेत करते हुए) Have you to say anything ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–माननीय अध्यक्ष, मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि जो शब्द आप जुड़वाना चाहते हैं वे मैं जोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन जिन शब्दों को आप ड्रॉप करवाना चाहते हैं उसके लिए तैयार नहीं। इन एडिशन वे शब्द भी हो सकते हैं। इसके लिए किसी खास आर्ग्युमेन्ट की जरूरत नहीं। माननीय सदस्य का आर्ग्युमेन्ट इस पर भी वैसे ही लागू होता है। सेन्सर बोर्ड यदि किसी फिल्म को पास कर देता है तो किसी स्थान विशेष के कारण उस फिल्म के लिये ऐसा समझा जाय कि यह फिल्म जनता में शान्ति भंग करने वाला है, जातीय भावना को भड़काने वाला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर रोक लगा सकता है।

श्री एच. के व्यास:-My point is different.

श्री अध्यक्ष:-(श्री पालीवालजी की ओर संकेत करते हुए) You accept his amendment but not as it is worded.

(विराम)

(श्री एच० के० व्यास को संकत करते हुए) You press that "Breach of the peace" should be avoided ? Then this Question does not arise, because he does not want to accept.

(विराम)

In spite of this (you Shri H. K. Vyas) want to add.

श्री एच. के व्यास:-I would request the Chief Minister....

श्री अध्यक्ष:-No. The request is there.

(विराम)

(श्री एच० के० व्यास को संकेत करते हुए) I think I am clear to you.

(विराम)

As such now I put the Question.

(विराम)

The Question is that the amendment put in by Shri H. K. Vyas that in clause 7 instead of words "breach of the peace" the following words be substituted "lowering of public morals or Communal incitement"

(अस्वीकृत)

The motion is defeated.

(विराम)

Now the question is that clauses 7, 8, 9, 10, 11 and 12 should stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 7 to 12 are added to the Bill.

(विराम)

The Question is that clause 1, title and the enacting formula should stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री) :—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष :—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

अ-राजकीय सदस्य विधेयक

राजस्थान विध व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९५२.

श्री कपिलदेव :—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग "जी" राज्य (विधि) अधिनियम (अधिनियम संख्या ३, १९५१) की धारा ३ के अन्तर्गत राजस्थान में विस्तारित भारतीय विध व्यवसायी (लीगल प्रेक्टिशनर्स) अधिनियम, १८७९ को संशोधित करने वाला विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष :—आप इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते ।

श्री कपिलदेव :—No, Sir.

श्री अध्यक्ष :—(श्री कपिलदेव को संकेत करते हुए) You do not want to explain it also.

श्री कपिलदेव :—It was explained when the Bill was brought originally for consideration and sent to the Select Committee.

(विराम)

फिर भी अध्यक्ष महोदय आपका आदेश हुआ है, तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष:– It is your right; not my order.

(विराम)

(श्री गोपीलाल यादव को संकेत करते हुए) Mr. Yadav, you want to discuss over the principles.

श्री गोपीलाल यादव: No, sir. I was a Member of the Select Committee and it was passed unanimously.

श्री अध्यक्ष:—Thank you. The Question is that the Rajasthan Legal Practitioners (amendment) Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

श्री कपिलदेव:–मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष:–प्रश्न यह है कि यह विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

यह विधेयक पारित हुआ ।

राजस्थान दहेज निवारक विधेयक, १६५२

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, मैं इस मोशन के सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं और बिल के प्रिन्सिपल्स पर कुछ बातें बतलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:—Let him (Mr. Kapil Deo) move and then you will have an opportunity to discuss it.

श्री कपिलदेव अग्रवाल:--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में दहेज का निवारण तथा नियंत्रण करने वाला विधेयक प्रवर समिति को दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ही नहीं वरन् सारे हिन्दुस्तान में दहेज की एक पुरानी प्रथा चालू है। लेकिन जैसा कि जमाना बदल रहा है और हम तरक्की कर रहे हैं उसी तरह से हमें हमारे समाज को तरक्की पर ले जाना है। यह प्रथा जो राजस्थान के चारों तरफ फैली हुई है, उसे रोकना है और खत्म करना है। यह सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का काम नहीं, बल्कि जो सरकार जनता के वोटों से यहां आई है, उसका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि इस तरह के कानून बनाए जायं जिससे यह प्रथा, ऐसी सामाजिक कुरीतियां जल्दी से जल्दी बन्द हो जायं। मैंने इसीलिए इस बिल को हाउस में रखा है। इस बिल में उन लोगों को सजा देने का है जो

कम्पलसरी डावरी रखते हैं; जो यह चाहते हैं कि इतने रुपये लिये बगैर शादी नहीं होगी, सगाई नहीं होगी। शादी या सगाई के लिए रुपये लेने की जो कन्डिशन्स रखी जाती हैं वे हमारे समाज के लिए बड़ी खतरनाक हैं। इसी चीज को लेकर मैंने यह बिल आपके समक्ष रखा है और इस प्रथा को बन्द करने के लिए हमें यह कानून बनाना चाहिए।

इस कानून को कोग्निजिबल नहीं रखा गया है। कई माने में इसके सम्बन्ध में शिकायतें हो सकती हैं। पुलिस वालों के पास वे शिकायतें न पहुंचें या वे इसमें अपना हस्तक्षेप न करें और उसे अपने फायदे के लिए काम में न लें इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात की कोशिश की गई है कि यह कानून कॉग्निजिबल न रहे ताकि इसका जो लक्ष्य है, इस काम को हाथ में लेने का, वह पूरा हो जाय। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी को शिकायत हो तो वह मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त पेश करे। वह जिस पक्ष के विषय में शिकायत की गई है उस दूसरे पक्ष को सजा दे या उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करे। मेरी समझ में सदन का प्रत्येक मेम्बर इसका स्वागत करेगा और चाहेगा कि यह कुप्रथा जल्दी से जल्दी बन्द हो।

श्री अध्यक्ष:-प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ कि राजस्थान राज्य में दहेज निवारण तथा नियंत्रण करने वाला विधेयक प्रवर समिति को दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल के सिद्धान्तों को अच्छा न समझते हुए इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं इसके कुछ खास कारण हैं इसके स्टेटमेन्टस ओफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में जो कुछ बातें बतलाई गई हैं उनमें से एक चीज यह है कि "The compulsory nature of the gifts of Dowry as a condition precedent to the contract" यहां राजस्थान में शादी की बात तय होने से पहले कोई शर्त ऐसी लाजमी है जिसके मातहत लड़की के बाप को कुछ रकम देनी पड़े। माननीय अध्यक्ष, आज कहीं यह चीज सुनने में नहीं आई और न किसी कानून में ही ऐसा है। न कोई रिवाज ऐसा है जिसके मुताबिक लड़की के बाप के लिए ऐसी कोई चीज हो और वह लाजमी हो। मैं यह बात कह सकता हूं कि अगर कोई साहब बतलाएं तो मैं एक दो हजार लड़कियों की शादी बगैर पैसा दिये एरेन्ज करा सकता हूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष:—The House will be thankful to you.

श्री कपिलदेव:—There is a difference in my community.

श्री गोपीलालयादव:--उनके बाप को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहां ऐसी चीज है और क्यों देते हैं, इनके कारणों को सोचना है। एक आदमी अपनी लड़की को एक हर्फ भी नहीं पढ़ाता, हमेशा अशिक्षित रखता है, जब कि अपने लड़के की पढ़ाई के लिए दस हजार रुपया खर्च कर देता है और फिर चाहता

है कि एक एम. ए. एल.एल.बी. और जिसका भी आई.ए.एस. में नाम आ गया हो उसक साथ उस लडकी की शादी करदे । माननीय अध्यक्ष, हमें इस चीज को, इस बात को मिटाने की जरूरत है । हर एक फादर को मजबूर किया जाय कि वह अपनी लडकियों को पढाये और शिक्षित करे । यदि वह पढाता है तो कभी डावरी का सवाल ही नहीं आता । सवाल वहां पैदा होता है जहां अयोग्य लडकियों को योग्य लडकों के साथ लादना चाहते हैं । अगर मान लीजिए कि इस सिद्धान्त को नहीं माना जाता है तो फिर हर एक लडका और हर एक लडकी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट में कराना चाहिए और फिर गवर्नमेन्ट जिस लडके की जिस लडकी के साथ शादी मुकर्रर करना चाहे उसी माफिक होगी । लडके के मां - बाप से भी बात हो गई किन्तु लडका खुद कहता है कि फलाँ लडकी के साथ शादी नहीं कर सकता तो फिर शादी कैसे हो सकेगी? (हंसी) इस तरह से हर्गिज शादी होने वाली नहीं । जब तक शादी करना लाजमी नहीं रखा गया होगा तब तक शादी भी नहीं होगी और गवर्नमेन्ट के किसी ऑफिसर को या पंचायत के अफसर को आज्ञा होगी और जब तक यह नहीं बनता है तो यह कानून कभी किसी सूरत में चलने वाला नहीं । माननीय अध्यक्ष, इस बिल के अन्दर एक एग्जेम्पशन है और वह यह है कि यह बिल मोहमेडन, क्रिश्चिन और पारसियों पर लागू नहीं होगा । मुझे आश्चर्य होता है जब देखता हूं कि राजस्थान, जो एक सेक्युलर स्टेट है, जिसके अन्दर सब एक जैसे हैं, उसके अन्दर हर एक फायदा हिन्दुओं को ही मिले ! बिचारे मुसलमान, क्रिश्चियन, तथा पारसियों को क्यों महरूम कर दिया जाय और यह उचित भी मालूम नहीं होता । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर एक बात और है और वह यह है कि मुसलमानों के अन्दर बाप की जायदाद में से, ईसाइयों में बाप की जायदाद में से लडकी को हिस्सा मिलता है । हिन्दुओं के अन्दर कानूनी तौर पर कोई हिस्सा नहीं है । जिस महानुभाव ने यह एग्जेम्पशन रखा है, मैं समझता हूं कि हिन्दु-मुसलमान के भेदभाव की वजह से नहीं रखा है बल्कि इस वजह से रखा है कि मुसलमान और ईसाइयों में तो बाप की जायदाद का हिस्सा लडकी को प्राप्त होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक बाप की जायदाद से लडकी को हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक यह डावडी लाजमी रहेगी । लडकी का हिस्सा होना जरूरी है । जिस बाप के पास सात करोड की मालियत है उसे ३।। करोड अपनी लड़की को देना पड़ेगा क्योंकि यह जरूरी है कि लडकी को निकाल न फेंक दिया जाय । माननीय अध्यक्ष, हिन्दू कोड बिल बना हुआ है और वह पार्लियामेन्ट के कन्सिडरेशन में है । उसमें बाप की जायदाद में से बेटी का हिस्सा लडके के बराबर रखा हुआ है । जब बराबर हो जाता है तो डावड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता । जब वह बिल रखा हुआ है तो इस बिल के आने की आवश्यकता ही नहीं है ।

मैं अपने मित्रों से व ट्रेजरी बेंच से निवेदन करूंगा कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा नहीं है इसलिये डावरी दी जाती है । सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट के सामने एक बिल है जिसके द्वारा बेटी का बाप की जायदाद पर हक रह जाता है तो ऐसी सूरत में उस बिल के पास होने तक इन्तजारी की जाय, यह पहली चीज है । दूसरी चीज यह है कि यदि डावरी दिये बिना शादी नहीं होती; यह डर है तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने यहां लडकों की संख्या लडकियों की संख्या से एक करोड़ अधिक है; इसलिए डावरी से कोई अड़चन पेश नहीं होगी ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्यूलेट कर दिया जाय क्योंकि अभी जिन माननीय सदस्य ने भाषण खत्म किया है उन्होंने जो आर्ग्युमेन्ट्स दिये हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वजन रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष:—We have still half an hour more at our disposal and we can discuss on the principles; that will be interesting.

श्री तनसिंह:—प्रस्तुत विधेयक के विषय में जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है ।

श्री अध्यक्ष:— You will speak on the principles and not on your amendment.

श्री तनसिंह:—यस सर । जैसा कि आपने फरमाया है कि यह इन्ट्रेसटिंग है इसलिये मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह दहेज-प्रथा जैसा कि मूवर (प्रस्तावक) महोदय ने फरमाया है, खतरनाक है । इससे कहीं ज्यादा खतरनाक प्रथा एक और भी प्रचलित है; वह है समाज में एक विशेष प्रकार से सोचने की प्रथा । नयी विचारधारा के अनुसार लोग यह सोचने लगे हैं कि जो कुछ वे सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच्ची चीज़ है और विपरीत तरीके से सोचने वाले लोग दकियानूसी ख्यालात के और पुरानी परिपाटी के लोग हैं जो सड़ी गली बातों की चर्चा करते हैं तथा देश को व समाज को प्रगति के मार्ग से दूर ले जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि भारत में जिस तरह से सोचने की परिपाटी है उस पर यह बिल एक घातक प्रहार करता है । भारत में कभी भी किसी कानून को, चाहे वह कितना ही कड़ा क्यों न हो लोगों की विचारधारा के अनुकूल नहीं माना है तो उस पर अमल नहीं किया है और उसका सर्वदा विरोध ही हुआ है । मैं इतिहास से ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें समाज पर लगाये गये कानूनों का विरोध किया गया है, क्योंकि हिन्दुस्तान के लोग अपने सिद्धान्तों की सत्यता और उपादेयता को मानते हैं । इसलिये यदि कानून द्वारा समाज सुधार का काम किया जाता है तो वह कारगर नहीं होता । मैं निवेदन करूंगा कि कानून सदा डंडे के रूप में खड़ा रहता है, यह बात नहीं मानी तो यह सजा दी जायगी; तुम समाज में ये-ये सुधार करो; नहीं तो इतनी सजा दी जायगी । समाज में कुछ इस तरह की विचार प्रणालियें चलती हैं जो भिन्न भिन्न मतों और संप्रदायों में भिन्न भिन्न प्रकार से सोची जाती हैं । डंडे के बल को भारत की परंपरा कभी स्वीकार नहीं करेगी । भारत की परंपरा यह रही है कि डंडे के बल से उसने कभी अपनी बात को दूसरे देशों द्वारा मनवाने का प्रयत्न नहीं किया है । इसलिये इस विधेयक द्वारा समाज सुधार की जो नीति अपनाई जा रही है वह हमारे लिये लाभदायक न होकर खतरनाक सिद्ध होगी और जनता की भावनाओं पर आघात पहुंचेगा क्योंकि वे विशेष प्रकार से वर्षों से उसे अपनाते चले आ रहे हैं । इस बिल के स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में दो-तीन बातें बड़ी स्ट्रेन्ज कही गई हैं । It strikes at the very bottom of the domestic economy. एजेन्डा में जो हिन्दी शब्द आया है वह है स्त्री-धन और अभी मूवर (प्रस्तावक) महोदय ने बतलाया था कि

मेरेज(विवाह) करने से पहले एक Financial Contract होता है कि इतने रुपये दो तो विवाह करें नहीं तो नहीं करेंगे । मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्ट स्त्री-धन नहीं कहला सकता । यह कॉंट्रेक्ट विवाह से पहल किया जाना है; इसलिए उस पर स्त्री का अधिकार नहीं होता ।

श्री कपिलदेवः—On a point of information, Sir. There is, nothing like "Stri-Dhan" in the Act. It has perhaps been typed by the office. In the Act it is "Prevention of Dowry."

श्री ननसिंहः—मैं अर्ज करूंगा कि डावरी स्त्री-धन नहीं है तो भी विवाह के ठेके को मजबूत करने का एक साधन है; यह कहा जाता है । मैं समझता हूं यह गलत तरह से सोचने का परिणाम है । मेरी दृष्टि से डावरी उस चीज को नहीं कहते, जिसके बारे म मूवर सोचते हैं । डावरी उसे कहते हैं जो विवाह के पश्चात् लड़की को जो कुछ दिया जाता है और यह कॉन्ट्रेक्ट की परिभाषा में कतई नहीं आती । हिन्दू धर्म के अनुसार शादी एक कान्ट्रेक्ट नहीं है; यह एक पवित्र संस्कार माना जाता है । इसलिए इस चीज को इस रूप में लेना हिन्दू लॉ के सिद्धान्तों को ठीक ढंग से नहीं समझने का परिणाम है । ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में "कंपलसरी नेचर ओफ गिफ्ट्स ओफ डोवरी एज ए कंडीशन प्रीसिडेन्ट टू दि कान्ट्रेक्ट" बतलाया गया है । डॉवरी विवाह की कंपलसरी नेचर ओफ कॉन्ट्रेक्ट में कभी नहीं आता। विवाह से पहले जो वायदा होता है वह कंपलसरी नेचर में आ सकता है, लेकिन दहेज प्रथा कभी कंपलसरी नेचर में नहीं आती । मैं निवेदन करूंगा कि जब तक पार्लियामेन्ट द्वारा हिन्दू कोड बिल पास नहीं हो जाता तब तक स्त्री को, बाप की संपत्ति में से जो कुछ मिलता है वह दहेज के रूप में ही मिल सकता है; इसलिये यह बिल पास न हो तो अच्छा है । डॉवरी में जो कुछ दिया जाता है उन चीजों का विवरण किया जाय तो आप को मालूम होगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वे चीजें दी जाती हैं जो एक गृहस्थ के लिये आवश्यक होती हैं । यदि किसी वर को अपने मां-बाप से अलग होना पड़े, किसी कारण से, तो यह दहेज एक सद् गृहस्थ बनाने में सहायता देता है । इसलिये यह डोमेस्टिक इकोनोमी को किस तरह से अपसैट करेगा यह समझ में नहीं आता ? यह दहेज बिना किसी कंम्पलशन के मर्जी के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार के कानून को समाज पर डालने से पहले समाज की मनोवृत्ति को देखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो कुछ हम करने जारहे हैं वह हमारे सोचने की प्रतिक्रिया है या इससे समाज का वाकई कुछ भला होता है ।

इसलिए जब हम यह सोचते हैं कि जनता के हित की बात ला रहे हैं तो ऐसा सोचने के बजाय यह सोचें कि हम ऐसी चीज लाएं जिसको जनता अच्छा सोचती है । तो ऐसी सूरत में इस एक्ट को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती । मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इसमें कई एक्सेप्शन्स हैं । कोई ऐसे कारण नहीं हैं और न इस बिल में ही इस पर कुछ कहा गया है जिससे कि एक्सेप्शन्स को जस्टिफाइ किया जा सके । यह सारे राजस्थान पर लागू होगा । राजस्थान में मोहमेडन्स, पारसी और क्रिश्चियन भी रहते हैं, उन

पर इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं रखने का कोई कारण इस एक्ट में नहीं बताया गया है । इसलिए यह प्रश्न सूचक ढंग से रह जाता है । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति को जैसा सोचना होता है उसके सोचने का कोई न कोई कारण भी होना चाहिए । यदि हम इसकी गहराई में जायं तो हमें स्पष्ट मालूम हो जायगा कि सैद्धान्तिक दृष्टि से भी इस बिल को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री छोटूसिंहः–माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि दहेज–प्रथा निश्चित रूप से एक कुप्रथा है और आज भारतवर्ष में समाज के सभी अंगों ने इस बात को मान लिया है कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार से आज से दस वर्ष पूर्व लड़कियां बिका करती थीं उसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि समाज में लड़कों का बिकना शुरू हो गया है । इसमें मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से लड़की बचना एक गुनाह, पाप और अन्याय है उसी तरह लड़के को बेचना भी उससे किसी भी तरह कम अन्याय और पाप नहीं है । पर दरअसल मैंने तो अभी इस बिल के क्लॉजेज को देखा तो मुझे इससे निराशा हुई । मैं तो समझता हूं कियह बिल पास होने से या न होने से मौजूदा समाज में कोई फर्क होता हुआ नजर नहीं आता । इस बिल के क्लॉज २ का प्रोविजो है उसमें साफ बात है कि विवाह मंडप में अग्नि के सामने जो चीज दी जायगी वह इस बिल न तहत में नहीं आयगी । इस बिल में एग्रिमेन्ट और कॉन्ट्रेक्ट पर जोर दिया है पर अदालत में यह साबित नहीं हो सकता । क्योंकि कोई भी पार्टी एग्रीव्ड नहीं होगी । मैं तो इसका इसलिए विरोध करता हूं कि यह बिल बिल्कुल इनइफिक्टि है । इसके पास होने न होने से कोई फायदा आम लोगों को नहीं होगा इसके माने यह नहीं है कि मैं दहेज प्रथा के पक्ष में हूं । मेरी यह अर्ज है कि बहुत सोच विचार के बाद एक ऐसा बिल लाया जाय कि जिससे। दरअसल एक कुप्रथा, जो समाज में है, उसको रोकने में यह कामयाब हो सके इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब तक हिन्दू कोड बिल या और तरीके से और कानून सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विचाराधीन हैं तो ऐसी सूरत में जब कि लड़की का, हिन्दू फेमिलीज में, पैतृक सम्पत्ति में कोई हक नहीं है तो ऐसा कानून पास होने से पहले एक ऐसा बिल लाया जाय कि लड़की को पैतृक सम्पत्ति में क्या अधिकार होगा । जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक इस बिल को पास करने से लड़की को नुक्सान ही होगा; अतः यह बिल मंजूर नहीं हो सकता । ऐसी सूरत में इस बिल के मुवर से मैं अर्ज करूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें और एक अच्छा इफेक्टिव बिल लावें जिससे इस कुप्रथा को दूर करने में कामयाबी हो सके ।

श्री संतोषसिंहः–माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो दहेज का प्रस्ताव आया है इसको मैं अचम्भे की निगाह से देखता हूं । इसकी इस समय राजस्थान में क्या जरूरत है जब कि हमारे सामने रोटी और रोजी की समस्या हल करने का कोई सवाल नहीं उठाया गया है । आज तो हमारे सामने रोटी और रोजी की समस्या ही : है । यह एक समस्या है, जिसको हल करने की हमें फुरसत नहीं

है । अगर हमारा, राजस्थान खुशहाल होता तब तो ठीक था कि उस समय दहेज प्रथा को रोकने का बिल आता । मैं इस बिल का आना आश्चर्यजनक समझता हूं । जब मैंने मालूम किया कि यह प्रस्ताव इस सदन में क्यों आया तो मालूम ऐसा हुवा कि वकीलों के पास मुकद्दमों की कमी दिखती है और यह वकीलों की साजिश समझता हूं कि उन्होंने मिल कर ऐसा प्रश्न इस सदन में उठाया है ।

श्री छोटूसिंह:—On a point of order, Sir. It is personal remark on the Vakalat profession.

श्री गोपीलाल यादव:—Objections are coming from the vakils.

श्री सन्तोषसिंह:--लड़के और लड़कियों की शादी में अगर किसी ने दहेज में कभी कुछ लिया दिया नहीं भी होगा तो भी दो गवाह आवेंगे और इधर भी वकील होगा और उधर भी वकील होगा और मुकद्दमा लड़ा जावेगा; तो इससे किसका हित होगा ; वकीलों का ही । वास्तव में इस बिल के पीछे क्या षड़यन्त्र नहीं है इसमें थोड़ा सा गौर करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि सारे अपनी अपनी आमदनी के सीगे खोलने की ही कोशिश करते हैं । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रोटी की समस्या है उसको हल किया जाए दूसरी समस्या कपड़े की और है, रहने के मकान का है इसको हल किया जावे । यह तो करते नहीं और इस दहेज के बिल को लाकर रख दिया । मैं मेरी जाति जो कि एक सैनिक क्षत्रिय जाति है उसकी बात कहता हूं । हमारी कौम में दहेज के बगैर शादी होती ही नहीं । १४ वर्ष की लड़की हो और उसकी शादी करते हैं तो उसके साथ साथ जितनी भी छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनकी भी शादी करदी जाती है । सोलह वर्ष की उम्र के पहले लड़कियों को सुसराल नहीं भेजते हैं । जब लड़की १६ वर्ष की हो जाती है तब उसको सुसराल भेजते हैं उस समय दहेज में घर गृहस्थी का सारा सामान उसको दिया जाता है जिससे वे अपना घर बसाते हैं । हमारे तो शादी जो मानी जाती है वह दहेज ही मानी जाती है । अगर हमारे घर में कोई बुढ्ढा मर जाता है और उसके पीछे कुछ खाना होता है तो उसके साथ हम लोग लड़कियों की भी शादी कर देते हैं । हम तो लड़कियों को कन्यादान के साथ दहेज के रूप मे दान देते हैं ।

और दूसरा कारण इस बिल का आने का यह है कि जिन्होंने अपने घर के खर्चे बढ़ा लिये हैं और उनके पास लड़कियों को देने के लिए तीन कोड़ी भी नहीं है, उन्होंने सोचा कि लड़कियें बड़ी बड़ी होगई हैं और उन्हें विवाह में क्या देंगे इसलिए यह बिल रखा है ।

एक सदस्य:--यही हालत आपकी भी होगी ।

श्री सन्तोषसिंह:—भगवान की कृपा से मेरे भी सात लड़कियें हैं । मैं से कानून से डरूंगा नहीं । मेरी जो जाति की प्रथा है उसको छोड़ नहीं सकता ।

आपकी तरह नहीं रहूंगा और मेरी लड़कियों को जो कुछ मेरे पास होगा, दूंगा। इसलिए मैं इस सदन से, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये अर्ज करूंगा कि ऐसे बेहूदा कानून से सदन का समय खराब न करें। हमारे सामने रोटी-रोजी का प्रश्न है; उसे हल करने का कानून हमारे सामने आना चाहिए और इस तरह के कानून पेश करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष.-Mr. Lal Bahadur, you may speak for five minutes.

श्री लालबहादुर:--अध्यक्ष महोदय, इस बिल को देख कर और पढ़ कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सदन के साथ, इस बिल को रख कर, मजाक की गई है। डावरी हमारे देश में दहेज को कहते हैं और यह एक धर्म के रूप में है और गरीब से गरीब आदमी भी अपनी लड़की को दहेज देता है चाहे वह एक, दो, चार या ५ बर्तन दे या ११ या २१ बर्तन दे; मगर वह देता अवश्य है। मूवर के दिमाग में कुछ और ही बात है और वह यह कि हमारे देश में दो चीजें हैं; एक दहेज और दूसरी करारदार। कुछ जातियों में लड़कों की शादी के लिये जब जाते हैं तो लड़की वाले कहते हैं कि कितने रुपये देंगे और कहीं कहीं पर लड़के वाले कहते हैं कि कितने रुपये देंगे। कोई यह नहीं पूछता कि दहेज कितना दोगे? कहीं कहीं लड़की के पेरेन्ट्स यह कहते हैं कि कितना पेमेन्ट करके लड़की खरीद सकते हैं। यह दो चीजें हैं; कहीं लड़की वाले कहते हैं तो कहीं लड़के वाले कहते हैं। लड़की को दहेज हमारे यहां इसलिये दिया जाता है कि लड़की अपने घर पर जाते ही अलग रहकर अपना निर्वाह कर सके और वह किसी की मुहताज न रहे। इससे करारदार को कोई रुकावट नहीं होती। आप जानते हैं कि जब कभी किसी ब्राह्मण को जिमाया (भोजन) कराया जाता है तो उसको भोजन के बाद दो पैसे दक्षिणा के रूप में दिये जाते हैं। फिर क्या जिसको हम अपनी लड़की थमा दें, शादी में लड़की देते हैं तो क्या उसको दक्षिणा नहीं दी जाय; यह कैसे हो सकता है। यह बिलकुल गलत चीज होगी। यदि इस बात का मूवर को ध्यान होता तो वे शायद इसको हाउस के सामने नहीं रखते। यह बिल पास भी हो जायगा मगर यह सिर्फ छापे में रहेगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं मूवर साहब को निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास या पब्लिक ओपिनियन के लिये न भेजें; तो अच्छा होगा। इससे सदन का समय भी खराब नहीं होगा और पब्लिक का या सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का समय भी खराब नहीं होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर:--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सिद्धान्तों का विरोध करता हूं। हो सकता है कि इस बिल के पीछे जो बिल पेश करने वाले सदस्य हैं उनकी भावना ठीक हो सकती है; लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है, ये हमें देखना पड़ेगा कि आया यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं। सिद्धान्त के साथ इस बिल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस चीज को हम लागू करने जा रहे हैं उसका एनफोर्समेन्ट कैसे होगा? हम उसको किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते। इस बिल के क्लॉज २ में लिखा है कि कंसीड्रेशन के रूप में रुपया, पैसा, धन, जेवर

आदि शादी करने के एग्रीमेन्ट के रूप में न दिये जाएं। आप सोचिये कि लडकी के बाप को लड़की के लिये अच्छा आदमी ढूंढने के लिये कितना दुःख होता है और उसको कुछ देना भी चाहिये और वह देगा भी और मजबूर होकर देगा; क्योंकि एक दूसर के सम्बन्ध बढ जावेंगे और एक दूसरा अपनी तकलीफ को दूसरे को तकलीफ समझेगा। अतः यह बिल कार्यरूप में नहीं लाया जा सकता इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को महज कागजी बिल रहने के लिये पास नहीं किया जाए। यह बिल समाज में कामयाब नहीं हो सकेगा। केवल किताबों में पास करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री मोतीराम:--माननीय अध्यक्ष, इस दहेज के बिल के बारे में काफी बातें कही गई हैं और यहां तक कहा गया है कि हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों पर कुठराघात हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात कहां तक ठीक है। सबसे पहले मैं उन सदस्यों की बात पर कहूंगा जिन्होंने कहा कि हम लडकी को जो देना चाहते हैं उसमें रुकावट होगी। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि कम से कम आप इस बिल को पढ़ कर तो देखें। इस बिल में लड़की को देने में कोई रुकावट नहीं डाली गई है। ब्राइडग्रूम जो आता है उसको धन देने के लिये रुकावट है। (हंसी) लड़की को धन देने में कोई कन्डिशन नहीं है। कितने ही लड़के वाले तो यह कहते हैं कि कितने रुपये दोगे, दूसरी तरफ लडकी वाले कहते हैं कि हम इतने रुपये लेंगे। दोनों तरफ की मिसालें मौजूद हैं। आपने यह भी कहा कि ऐसी प्रोबलम हमारे समाज में है। मैं यह कहूंगा कि हमारे मारवाड़ में तो जब लडकी पैदा होती है तो उसको पाप समझते हैं और जब लड़का पैदा होता है तो काफी खुशी होती है, कांसी की थाली बजती है; क्योंकि लोग समझते हैं कि वह धन लावेगा। जब लडकी होती है तो कहते हैं कि "बालण जोगी कठे सूं आ पड़ी"। यानि लड़की पैदा होना एक अभिशाप है। जैसा तनसिंहजी ने कहा उससे ज्यादा हमारे यहां अभिशाप है। यह सब इस दहेज की प्रथा का कारण है। अभी श्री यादवजी ने कहा कि मैं लडकियों की शादी करा सकता हूं; यदि वे चाहें तो मैं उनको सैकड़ों दृष्टान्त बता सकता हूं जिनकी वास्तव में शादियें नहीं हुई है; क्योंकि उनके माता-पिता दहेज नहीं दे सकते हैं। मैं उनको भरतपुर में भी ऐसे दृष्टान्त बता सकता हूं। जब शादी का सवाल आता है तो लोग कहते हैं ५ हजार रुपया चाहिये। इसलिये मैं इस बिल के सिद्धान्तों को मानता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जावे।

श्री चन्दनमल:--मैं बहुत देर से खडा हुआ हूं।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में बोलते हुए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह बिल जो है वह देखने में......

श्री अध्यक्ष:--You will have consideration for other members also.

श्री मानसिंह:--I will take only two minutes, Sir.

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को अगर हम देखें, इसको ध्यान से देखा जाय, तो इस बिल में यह देखा जायगा कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। स्त्री-धन और जो कुछ जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है कि कॉन्ट्रेक्ट वगैरह करके अलग अलग किया जाय। जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि इसका हमें काफी तजुर्बा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह चीज मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इस सदन से कहता हूं कि हमारे समाज में यह मुमकिन नहीं है। केवल स्टेच्यूट बुक में रखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त से यह निवेदन करूंगा कि इस विल में इन बातों को देखेंगे कि जो दलीलें और बहस हुई हैं उनको देखते हुए इसको विद्ड्रॉ करने के लिए तैयार होंगे।

हमारे राजस्थान में कई प्रकार की कौमें ऐसी हैं जिनमें लड़कों का रुपया लिया जाता है और कुछ ऐसी हैं जिनमें लडकियों का रुपया लिया जाता है। इसलिए इन्टरकास्ट मेरिज होने की वजह से जहां लड़कियों का पैसा लिया जाता है उनको उन कौमों को दी जाय जहां लडकों की ज्यादती है तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद:—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान प्रिवेन्शन आफ डावरी बिल, जो इस सदन के सामने पेश हुआ है उसके सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि बिल जिस हालत में रखा गया है यदि उस हालत में पास भी हो जाय तो भी, जब तक पिता की सम्पत्ति में लड़कियों का हिस्सा नहीं होगा तब तक दहेज प्रथा समूल नष्ट नहीं हो सकती है। इसके बनिस्पत यह मानना पड़ेगा कि यह कुप्रथा है, उसका बन्द किया जाना बहुत जरूरी है। श्री गोपीलाल यादव ने यह कहा है कि किसी बाप के पास १० करोड़ रुपया है और उसके २ लड़के और एक लड़की है तो यदि वह ३॥ करोड़ रुपये अपनी लड़की को दे दे तो कोई बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन उस गरीब की क्या हालत होगी जिसके ४--५ लड़कियें हों और उसके पास ५००) रू० ही हों या उस चपरासी की क्या हालत होगी जिसको २५–३० रुपया महीना ही मिलता हो। वह कहां से दे ?....

श्री गोपीलाल यादव:—The Question is of simple mathematics. ५०० रू० का १/४ १२५) रू० होता है।

श्री चन्दनमल बैद:—मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह जवाब दिया। दहेज की प्रथा मेथेमेटिक्स के या अर्थमेटिक के लिहाज से नहीं चलती है। वह देखा--देखी के खयाल से चलती है। एक लखपति १० हजार रुपये देता है तो गरीब को देखा देखी के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार नहीं, ज्यादा पैसा देना है। उसके लिए उसको अपने सिर पर कर्जा लेना पड़ता है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि बिल का जो सिद्धान्त है वह ठीक है; लेकिन जिस हालत में वह पेश किया गया है वह इनइफेक्टिव है। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। या जैसा कि लीडर ऑफ दी हाउस ने कहा है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय तो, वह ज्यादा ठीक है।

इस बहस के दौरान में कुछ सिद्धान्त की ऐसी बातें भी कही गई हैं जिनका इस बिल से संबन्ध नहीं था । इसमें जो "कम्पलसरी" शब्द है उसको नजरअन्दाज कर दिया है ; जहां तक दहेज का मतलब है वह यह है कि जो कम्पलसरी देना पड़े, जो चीज ब्राइडग्रूम और उसके फादर को देना पड़े । ब्राइड को देने के लिय कोई रुकावट नहीं है और न हो ही सकती है ।

मैं माननीय यादवजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरिज एजेन्सी खोली है; उसकी सूचना हमको दे दी ।

श्री कंवरलाल जेलिया:--माननीय अध्यक्ष, यह जो बिल सदन में पेश हुआ है में इस पर बोलना चाहता हूं । इसके विपक्ष में जिन महानुभावों ने सदन में विचार व्यक्त किये हैं मैं उनके हृदय परिवर्तन के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आजका जमाना प्रजातन्त्र का जमाना है । हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो सामाजिक कुप्रथाएं आ गई हैं इनको आज के युग के साथ ही, जमाने की रफ्तार को देखते हुए, सोचना पड़ेगा कि किस जगह हम कमजोर पड़े हैं । हिन्दू संस्कृति को नष्ट करने की मन्शा समर्थन करने वालों की नहीं; विरोध करने वालों की है । लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से हम विचार करें तो हमें देखना होगा कि गरीब परिवार में यदि ४-५ लडकियां हो गईं और हर लड़की को पांच-पांच सौ रुपये दहेज दिया जाय तो विचार कीजिये उसे कितना अर्थ, धन, जुटाना पड़ेगा और जिस योग्य वर को, वह लड़की देना चाहेगा तो वह नहीं मिल पायेगा। जब लड़की वयस्क होगी तब वह मरजी चाहे उसके साथ शादी करेगी और दहेज प्रथा के होने या न होने से कोई बात नहीं होगी, दहेज देने की आवश्यकता नहीं मालूम होगी तो क्यों अड़चनें करते हैं । इसका स्वागत करना चाहिए । जब लड़की वयस्क हो तभी उसकी शादी हो तो फिर क्यों चिन्ता पड़ी है । लड़की, शादी हो जाने के बाद, अपने परिवार को चलाने के लिए खुद कमायेगी । यदि वह नागरिक है और अपने पैरों के बल पर आजीविका उपार्जन करती है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है ।

आज भारतीय समाज में दहेज के रूप में लड़के और लड़कियों के हजारों की संख्या में रुपये लेते हैं । इसलिए यह प्रथा हिन्दू समाज में, दूसरे समाज की दृष्टि में एक कलंक माना जाता है । उस कलंक को मिटाने की दृष्टि से यह सवाल रखा गया है । जो भाई पुरानी विचारधारा के हैं उनको हृदय परिवर्तन करना चाहिए । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष:--समय पूरा हो गया है । ये प्राइवेट बिल्स जो लिये गये हैं वे इसलिए लिये गये हैं कि कुछ समय हमारे पास बच गया था । इनके प्रिन्सिपल्स के ऊपर बहस करने के लिए बहुत से माननीय सदस्य बड़े उत्सुक हैं । इसके ऊपर बोलने के लिये जो उत्सुक हैं वे शायद प्रिन्सिपल के ऊपर बोलने के लिए उतने नहीं जितने कि व अन्य बातों को कहना चाहते हैं । मूवर महोदय इस पर कहना चाहेंगे ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:--कुछ समय और दिया जाय डिस्कशन के लिए ।

श्री कपिलदेव:--जिन्होंने इसके सिद्धान्तों का विरोध किया है उनको में जवाब दूंगा ।

एक सदस्य:--कल रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष:—The time is over, I think. I may inform you that tomorrow will be an official day.

श्री कपिलदेव:--जिन्होंने बिल के सिद्धान्तों का विरोध किया है उनका जवाब देने के लिए समय अवश्य मिलना चाहिए। आज समय मिल जाय तो बहुत अच्छा है। यदि हाउस आज एड्जोर्न किया जाय तो कल मुझे समय दिया जाय क्योंकि २-३ सदस्यों को खास तौर से जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष:—We can allot 10 to 15 minutes tomorrow.

श्री टीकाराम पालीवाल:—I have formerly moved that the Bill be circulated for public opinion.

श्री श्रीदास गोयल:—If the Bill is circulated for public opinion then it will not be enough unless you refer it to Select Committee.

श्री रामदयाल उपाध्याय:—There should be some amendment in the Bill.

श्री अध्यक्ष:—I have received a motion . A motion has been handed over to me by Shri Tan Singh and he has fixed a time limit of 15th December, 1952. He has put in this formal motion that the Bill be circulated for purposes of eliciting public opinion thereon.

श्री घीसीसिंह:--अध्यक्ष महोदय, जो बिल हाउस के सामने आया है उसकी मन्शा तो कुप्रथा निकालने के लिए है लेकिन यह 'दहेज' नाम जो उसके ऊपर लगा है इसलिए उसके ऊपर में कुछ चर्चा करूंगा। हाउस के सामने यह प्रस्ताव जो रखा गया है, समाज के जो नियम हैं, समाज की जो व्यवहारिक चीज है वह हमें गवर्नमेंट के हाथों में नहीं देना है और न गवर्नमेंट को अपने हाथों में इसको लेना चाहिए। यह धार्मिक और सामाजिक चीज है। इसलिए प्रस्ताव पास होने के काबिल नहीं है।

श्री तनसिंह:--यदि सदन सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए मन्जूरी देता है तो में अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष:--I think the House is unanimous for referring it to Select Committee.

(चारों ओर से नकारात्मक आवाजें)

Order ! Order !

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। यह तजवीज इस ढंग की है कि पब्लिक ओपिनियन आने के बाद फिर सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का जाना निश्चित है। पब्लिक ओपीनियन यदि ठीक ढंग से आगयी तो विचार किया जायगा; फिर सिलेक्ट कमेटी इसको ठीक कर लेगी। या तो इस बिल को इसी स्टेज पर सोचा जाय या इसको यहीं खत्म किया जाय या पब्लिक ओपिनियन के लिए सरक्युलेट किया जाय।

श्री कपिलदेव:-यह जो माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि प्रोविजन में तरमीम करने की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में प्रार्थना है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। इसके बाद हाउस में आने पर यदि हाउस ठीक समझेगा तो पब्लिक की राय के लिए यह भेजा जासकता है।

श्री अध्यक्ष:-- No, No. Then there will be difficulty. If you want to refer it for public opinion then you refer it at this stage and then refer to Select Committee.

श्री श्रीदास गोयल:--माननीय अध्यक्ष, मुझे इस विषय में यह निवेदन करना था कि मौजूदा परिस्थिति में यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी इस बिल में उचित संशोधन कर देती और फिर सिलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित बिल पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाता तो बहुत ठीक रहता। सिलेक्ट कमेटी इस बिल में अमेन्डमेन्ट करके सही रूप दे देती; फिर बाद में जनता को राय जानने के लिए भेजा जाता तो बहुत ठीक रहता।

श्री तनसिंह:--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:--सदन की आज्ञा के बिना आप इसे वापिस नहीं ले सकते।

(विराम)

I can't help. I have got your motion. I will put it to Vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह ने जो अमेन्डमेन्ट, इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्युलेट करने के लिये रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(आज्ञा प्रदान नहीं हुई)

(श्री तर्नसिंह को संकेत करते हुए)

You should know that the view of the House is that the House does not permit you to withdraw this motion. Now I will put the motion itself. The question is that the Bill be circulated for purposes of eliciting public opinion thereon by the 15th December, 1952.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

श्री कपिलदेवः—I can claim a division.

श्री अध्यक्षः—No. It is late.

(विराम)

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १६५२.

I have to announce the personnel of the Select Committee on the Essential Services Maintenance Bill.

(१) श्री टीकाराम पालीवाल
(२) डा. मंगलसिंह
(३) श्री रामचन्द्र चौधरी
(४) श्री तेजमल बाफना
(५) श्री वीरेन्द्रसिंह चौहान
(६) श्री बद्रीप्रसाद
(७) श्री कुंवर जसवन्तसिंह
(८) श्री इन्द्रनाथ मोदी
(९) कर्नल दिलीपसिंह
(१०) श्री मदन मोहन
(११) एडवोकेट जनरल

हाउस की बैठक कल तारीख ३१ अक्टूबर, शुक्रवार, के ८-३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२-४० मध्यान्ह को, ३१ अक्टूबर, १९५२ के ८-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)।

सभा भवन
जयपुर,
दिनांक ३० अक्टूबर १९५२

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २१५ देखिये)

क. वनस्थली विद्यापीठ में सरकारी खर्चे से पढ़ने वाली लड़कियों की सूची निम्न प्रकार है :-

वनस्थली विद्यापीठ में सरकारी खर्चे से पढ़ने वाली छात्राओं की नामावली

क्र० सं०	नाम छात्रा	पिता का नाम	जाति	स्थान	जहां की रहने वाली है।
१	कला	श्री लक्ष्मण	चमार	परताबगढ	चितौड़
२	गीता	श्री मांगीलाल	,,	सनवाड़	उदयपुर
३	गोपी	श्री पदम सिंह	,,	फतहनगर	उदयपुर
४	मोहन देवी	श्री डूंगा राम	,,	सनवाड़	उदयपुर
५	शान्ती	श्री दयाराम	,,	सनवाड़	उदयपुर
६	सरस्वती	श्री नानूराम	,,	सनवाड़	उदयपुर
७	किरण चांवरिया	श्री यमुना प्रसाद	मेहतर	जयपुर	जयपुर
८	केसर	श्री नाथूराम	चमार	सनवाड़	उदयपुर
९	खेमवती	श्री मगनलाल	,,	फतहनगर	उदयपुर
१०	जमुना	श्री दयाराम	,,	सनवाड़	उदयपुर
११	जमुना	श्री मगनी राम	,,	फतहनगर	उदयपुर
१२	पुष्पावती	श्री भूपसिंह	,,	हिन्डोन	जयपुर
१३	विमला	श्री रामनाथ	,,	जयपुर	जयपुर
१४	अरुणा व्यास	श्री किशनलाल	,,	परताबगढ़	चितौड़
१५	पारवती	श्री गोवर्धन लाल	,,	सनवाड़	उदयपुर
१६	लक्ष्मी देवी	श्री लक्ष्मण	,,	सनवाड़	उदयपुर

क्र० सं०	छात्रा का नाम	पिता का नाम	जाति	स्थान	जहां की रहने वाली हैं।
१७	रामेश्वरी	श्री भूपसिंह	चमार	हिन्डौन	जयपुर
८१	लक्ष्मी बाई खराड़िया	श्री गुलाबचंद	मेहतर	जयपुर	जयपुर
१९	शान्ति पंवार	श्री श्रवण लाल	,,	जयपुर	जयपुर
२०	कंचन	श्री कज्जूराम	चमार	देवलवाड़ा	उदयपुर
२१	लक्ष्मी बाई	श्री रोडराम	मेहतर	जयपुर	जयपुर
२२	गौरी	श्री डालचंद	चमार	परतापगढ़	चितौड़
२३	गीता	श्री हंसराज	,,	परतापगढ़	चितौड़
२४	रमा	श्री बिहारी लाल	,,	परतापगढ़	चितौड़
२५	शकुन्तला	श्री घासीलाल	,,	परतापगढ़	चितौड़

क० विशेष नोट

१. क्रम संख्या १ से २५ तक की छात्राऐं जुलाई १९५० में हरिजन सुधार मंडल द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में प्रवेश कराई गई और ये छात्राऐं १९५०-५१ में पढ़ती रही।

२. क्रम संख्या २४ व २५ में उल्लिखित २ छात्राऐं रमाबाई व शकुन्तला जुलाई सन् १९५१ में विद्यापीठ में नहीं आई और उनके स्थान पर निम्न छात्राओं को प्रवेश दिया गया :-

(१) चम्पाबाई, पुत्री श्री अमर शहीद बीरबल, चमार, उदयपुर डिवीजन।

(२) कमला भील, पुत्री श्री भीखा भाई भील, डूंगरपुर, उदयपुर डिवीजन। बाकी २३ छात्राऐं जो हरिजन सुधार मंडल के समय में भर्ती की गई थी वो १९५१-५२ में पढ़ती रही।

३. जुलाई सन् १९५२ में क्र० सं० २२ व २३ पर उल्लिखित २ छात्राएं विद्यापीठ में नहीं आई और उनके स्थान पर निम्न छात्राओं को प्रवेश दिया:-

(१) कस्तूरी देवी, पुत्री श्री रामदेव, रेगर, निवाई, जयपुर डिविज़न।

(२) कमला वर्मा, पुत्री श्री छोटेलाल वर्मा, मीणा, अलवर, जयपुर डिवीजन बाकी २३ छात्राऐं गत वर्ष के माफिक रही।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न ८२८ देखिये)

Hospitals and Dispensaries in Rajasthan (on 31st December, 1951)

RAJASTHAN

Total No. of Hospitals and Dispensaries. 374 — Total No. of Beds 5142

JAIPUR DIVISION.

Total No. of Hospitals and Dispensaries. 129 — Total No. of Beds 2114

JAIPUR DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 40 — Total No. of Beds 1085

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	S. M. S. Hospital	550	Jaipur City	
2	State Zenana Hospital	150	,,	
3	Mental Hospital	100	,,	
4	Lazerto and Isolation Hospital	66	,,	
5	K.G.V. Sanatorium	54	,,	
6	Leper Asylum	24	,,	
7	Mayo Dispensary	..	,,	
8	Purani Basti Dispensary	..	,,	
9	Motikatla Dispensary	..	,,	
10	Sirah Deodhi Dispensary	..	,,	
11	Residency Dispensary	..	,,	
12	Gandhinagar Dispensary	..	,,	
13	Sanganer Dispensary	2	Jaipur	
14	Goner	..	,,	
15	Bassi	..	,,	
16	Saipura	..	Jamwa Ramgarh	
17	Jamwa Ramgarh	1	,,	
18	Chaksu	3	Chaksu	
19	Amber	2	Amber	
20	Chomu	4	,,	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
21	Samod	..	..	
22	Dausa	7	Dausa	
23	Lalsot	4	Lalsot	
24	Sikarai	..	Sikarai	
25	Bandikui	4	Bassua	
26	Bassua	6	,,	
27	Phulera	..	Phulera	
28	Sambhar Lake	18	Sambhar Lake	
29	Narina	..	,,	
30	Bhaisalana	..		
31	Phagi	..	Phagi	
32	Mauzmabad	4	,,	
33	Bairath	4	Bairath	
34	Sahaipura	..	,,	
35	Paota	10	,,	
36	Yagya Narain Hospital Kishangarh	50	Kishangarh City	
37	Kishangarh City Dispensary II	12	,,	
38	Arain	2	Kishangarh	
39	Sarwar	4	Sarwar	
40	Roopangarh	4	Roopangarh	

JHUNJHUNU DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 5

Total No. of Beds 35

1	Jhunjhunu Hospital	25	Jhunjhunu	
2	Bagar Hospital	10	,,	
3	Mukandgarh Dispensary	..	,,	
4	Mandawa Dispensary	..	,,	
5	Singhana	..	Khetri	

ALWAR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries.. 27

Total No. of Beds 359

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	Alexendra Hospital	150	Alwar City	
2	Zenana Hospital	129	,,	
3	Ramgarh Dispensary	4	Alwar	
4	Bahadurpur Sub-Dispensary	..	,,	
5	Vijai Mandir Sub-Dispensary	..	,,	
6	Male Hospital Rajgarh	12	Rajgarh	
7	Zenana Dispensary Rajgarh	6	,,	
8	Tehala Sub-Dispensary	..	,,	
9	Behror Dispensary	4	Bahror	
10	Nimrana Dispensary	2	,,	
11	Mandhan Dispensary	4	,,	
12	Thana Gazi	4	Thana Gazi	
13	Pratapgarh	4	,,	
14	Narainpur Sub-Dispensary	..	,,	
15	Ajitgarh Sub-Dispensary	..	,,	
16	Lachmangarh Dispensary	4	Lachmangarh	
17	Kathumer Dispensary	4	,,	
18	Govindgarh	4	,,	
19	Kherli Sub-Dispensary	.	,,	
20	Harsana Sub-Dispensary	..	,,	
21	Tijara Dispensary	8	Tijara	
22	Tapukara Dispensary	4	,,	
23	Kherthal	4	,,	
24	Kishangarh Sub-Dispensary	..	,,	
25	Mandawar Dispensary	4	Mandawar	
26	Bansur Dispensary	4	Bansur	
27	Kotkasim Dispensary	4	Kotkasim	

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 18 Total No. of Beds. 82

1	Sawai Madhopur Hospital	8	Sawai Madhopur	
2	Isardha Dispensary	..	,,	
3	Man Town Travelling Dispensary	..	,,	
4	K. G. S. J. Hospital Karauli	50	Karauli	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
5	Karauli Dispensary	..	Karauli	
6	Bonli Dispensary	..	Bonli	
7	Malararana Dispensary	4	,,	
8	Gangapur Hospital	4	Gangapur	
9	Hindaun Hospital	12	Hindaun	
10	Khandhar Dispensary	..	Khandhar	
11	Bamanwas Dispensary	..	Bamanwas	
12	Choth-ka-Barwara	..		
13	Mohwa	4	Mohwa	
14	Toda Bhim Dispensary	..	Toda Bhim	
15	Sapotra	..	Sapotra	
16	Mandrail	..	Mandrail	
17	Machilpur	..	Machilpur	
18	Narauli	..	Sapotra	

BHARATPUR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 22

Total No. of Beds. 456

1	Victoria Hospital Bharatpur	191	Bharatpur City	
2	Shrimati Dadhiji Daryabkanwar's Hospital Bharatpur	35	,,	
3	Shri Girendra Singh T. B. Hospital	20	,,	
4	Sardar Hospital Dholpur	90	Dholpur City	
5	S. K. M. W. Hosp. Dholpur	60	,,	
6	Bayana	7	Bayana	
7	Baireth (Kishan Sagar)	..	,,	
8	Basery	..	Basery	
9	Saipao	..	,,	
10	Kumher	..	Bharatpur	
11	Pahari Dispensary	.	Kama	
12	Kama	5	,,	
13	Deeg	15	Deeg	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
14	Sikri	..	Nagar	
15	Nagar	5	,,	
16	Nadbai	5	Nadbai	
17	Roopbas	3	Roopbas	
18	Weir	5	Weir	
19	Bhunsara	5	,,	
20	Bari	4	Bari	
21	Sarmathra	4	Sarmathra	
22	Raja Khera	2	Rajakhera	

SIKAR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 8

Total No. of Beds. 24

1	Sikar Hospital	..	Sikar	
2	Kanwat	2	Nim-ka-Thana	
3	Ajitgarh	2	,,	
4	Nim-ka-Thana	8	,,	
5	Danta Ramgarh	..	Danta Ramgarh	
6	Khendala Dispensary	..	Sri Madhopur	
7	Sri Madhopur	12	,,	
8	Thoi aid Post			

TONK DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 9

Total No. of Beds. 73

1	Sadat Hospital Tonk	44	Tonk City	
2	Walter Zenana Hospital Tonk	16	,,	
3	Amirganj Dispensary	..	,,	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remakrs
4	Aligarh Dispensary	..	Aligarh	
5	Nawai	6	Nawai	
6	Toda Raisingh	3	Toda Raisingh	
7	Malpura	4	Malpura	
8	Digi	..	"	
9	Lawa (Finance by Thikana)	..	"	

JODHPUR DIVISION

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 63

Total No. of Beds. 1102

JODHPUR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 21

Total No. of Beds 845.

1	M. G. Hospital, Jodhpur	416	Jodhpur City
2	Umaid Hospital, Jodhpur	300	"
3	Police Hospital, Jodhpur	9	"
4	Mental Hospital, Jodhpur	66	"
5	Isolation Hospital, Jodhpur	18	"
6	1st Branch Dispy., Jodhpur	..	"
7	2nd Branch Dispy., Jodhpur		"
8	Hewson Dispy., Jodhpur	..	"
9	Residency Dispy., Jodhpur	..	"
10	Chopasni Dispy.	12	"
11	School Dispy., Jodhpur	..	"
12	Girls School Dispy., Jodhpur	..	"
13	Jaswant Female Dispy., Jodhpur	..	"
14	Mandor Aid post Jodhpur	..	Jodhpur
15	Sursagar Aid post	..	"
16	Vidyashala	..	"
17	Pokaran Aid post	..	Phalodi
18	Phalodi Dispy.	9	"
19	Lohawat Dispy.	..	"
20	Bilara Dispy.	9	Bilara
21	Shergarh Dispy.	6	Shergarh

NAGAUR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dipensaries .. 11

Total No. of Beds 60

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	Nagaur Hospital	12	Nagaur City	
2	Mundawa Dispy.	..	Nagaur	
3	Nagaur Aid post.	..	,,	
4	Rewat Hill	..	,,	
5	Merta City	9	Merta City	
6	Nawa	9	Nawa	
7	Ladnun	12	Ladnun	
8	Didwana Dispy.	9	Didwana	
9	Parbatsar Dispy.	9	Parbatsar	
10	Makrana Aid post	..	,,	
11	Kuchera Aid post	..	Nagaur.	

JAISALMER DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 2

Total No. of Beds 6

1	Jawahir, Hospital, Jaisalmer	6	Jaisalmer City	
2	Bap Dispensary	..	Jaisalmer	

SIROHI DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries .. 10

Total No. of Beds 74

1	Male Hospital, Sirohi	18	Sirohi City	
2	Zenana Hospital, Sirohi	18	,,	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
3	Kalandri Hospital	8	Sirohi	
4	Jawal Hospital	8	,,	
5	Sarup (Mandar)	..	Reodar	
6	Gokul Aushdhalaya (Anadre)	..	,,	
7	Rohira Disp.	10	Pindwara	
8	Pindwara Dispy.	6	,,	
9	Sheoganj Hosp.	6	Sheoganj	
10	Touring Dispy.	..	..	

PALI DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 12 — Total No. of Beds 66

1	Pali Hospital	18	Pali	
2	Pali Mills Aid post. (Not provided in Budget)	..	,,	
3	Sardar Samand Aid post.	..	,,	
4	Bali Disp.	12	Bali	
5	Jawai Aid post. (Not provided in Budget)	..	,,	
6	Sanderao	..	,,	
7	Takhat garh	..	,,	
8	Sojat	12	Sojat	
9	Jaitaran	6	Jaitaran	
10	Sendra aid post.	..	,,	
11	Sadri	12	Desuri	
12	Desuri	6	,,	

JALORE DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 4 — Total No. of Beds 33

1	Jalore Hospital	12	Jalore	
2	Bhinmal	12	Jaswantpura	
3	Malwara Dispensary		Malwara	
4	Sanchore	9	Sanchore	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks

BARMER DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 3 — Total No. of Beds. 18

1	Barmer Hospital	6	Barmer	
2	Balotra	9	Pachpadra	
3	Siwana	3	Siwana	

UDAIPUR DIVISION.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 78 — Total No. of Beds 724

UDAIPUR DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries 29 — Total No. of Beds 354

1	General Hospital Udaipur	200	Udaipur City	
2	Maternity Hospital Udaipur	28	,,	
3	Maharana T. B. Hospital	25	,,	
4	Mental Hospital	24	,,	
5	Jagdish Chowk Dispensary	..	,,	
6	Chandpole Dispensary	..	,,	
7	Hahipole Dispensary	..	,,	
8	Fatehpura Dispensary	..	,,	
9	Partapnagar Dispensary	4	,,	
10	Kherwara Dispensary	4	Kherwara	
11	Jawas	..	,,	
12	Kumbhalgarh	5	,,	
13	Sarara	6	Sarara	
14	Rikhabdeoji	6	,,	
15	Kotra	4	Kotra	
16	Bikram	..	,,	
17	Kankroli	..	Rajsamand	
18	Rajsamand	10	,,	
19	Bhim	8	Bhim	
20	Railamgarh	..	Railamgarh	
21	Jhadol	.	Palasia	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
22	Goverdhan Hospital	15	Khamnore	
23	Zenana Dispensary	4	,,	
24	Bhinder	..	Vallabhnagar	
25	Kenor	..	,,	
26	Vallabhnagar	5	,,	
27	Salumber	2	Salumber	
28	Deogarh	4	Deogarh	
29	Gogunda	..	Saera	

BANSWARA DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 9 — Total No. of Beds 48

1	General Hospital Banswara	36	Banswara	
2	City Branch Dispensary	..	,,	
3	Partappura	..	Garhi	
4	Garhi	6	,,	
5	Ghantolo	..	Ghantole	
6	Barodia	..	Barodia	
7	Bagdora	..	,,	
8	Kushalgarh	6	Kushalgarh	
9	Khandu (Jagir)	..	,,	

DUNGARPUR DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 5 — Total No. of Beds 106

1	General Hospital Dungarpur	86	Dungarpur	
2	Simalwara	..	,,	
3	Sagwara	20	Sagwara	
4	Galiakot	..	,,	
5	Bankoru	..	Aspur	

CHITTORGARH DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 18   Total. No. of Beds 119

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	General Hospital Pratapgarh	25	Chittorgarh	
2	Maternity Hospital	20	,,	
3	Chittorgarh Dispensary	12	,,	
4	Nimbahera	12	Nimbahera	
5	Kapasan	8	Kapasan	
6	Rashmi	4	Rashmi	
7	Bhadesar	4	Bhadesar	
8	Dungla	..	Dungla	
9	Deogarh	12	Deogarh	
10	Chhoti Sadri	10	Chhoti Sadri	
11	Bari Sadri	4	Bari Sadri	
12	Bansi	2	,,	
13	Daryabad	..	Lasadiya	
14	Begun	6	Begun	
15	Dalod	..	..	
16	Bassi	..	..	
17	Nadbai (Nand Bai)	..	..	
18	Dhamotra	..	Dhamotra	

BHILWARA DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 17   Total No. of Beds 97

1	General Hospital	25	Bhilwara	
2	Maternity	12	,,	
3	Bigod Dispensary	..	,,	
4	Pur	2	,,	
5	General Hospital Shahpura	18	Shahpura	
6	Assind	4	Assind	
7	Mandalgarh	..	Mandalgarh	
8	Kotri	2	Kotri	
9	Gulabpura	..	Gulabpura	
10	Jahazpur	6	Jahazpur	
11	Raipur	4	Raipur	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
12	Mandal	..	Mandal	
13	Saharain	6	Saharain	
14	Gangapur	2	"	
15	Banera	4	Banera	
16	Bijolia	2	Bijolia	
17	Badnore	2	Badnore	

KOTAH DIVISION.

Total No of Hospitals and Dispensaries 65 Total No. of Beds 360

KOTAH DISTRICT

Total No. of Hospitals and Dispensaries 39 Total No. of Beds 183

1	Suraj Pole Dispensary	..	Kotah City	
2	Bhimganj Mandi	..	"	
3	Kathun	..	Ladpura	
4	Mandana	..	"	
5	General Hospital Kotah	68	Kotah City	
6	Maternity Hospital Kotah	33	"	
7	Suket Disp.	..	Suket	
8	Ramganj Mandi	5	Ramganj Mandi	
9	Kanwas	..	Kanwas	
10	Itawa	3	Itawa	
11	Sultanpura	2	Sultanpura	
12	Indergarh	4	Piploda	
13	Khatoli	..	"	
14	Barod	..	Barod	
15	Siswali	..	"	
16	Mangrol	4	Mangrol	
17	Anta	4	Anta	
18	Palaitha	..	"	
19	Atru	4	Atru	
20	Mothpur	..		
21	Chabbra	5	Chabbra	
22	Kishanganj	4	Kishanganj	
23	Bhanwargarh	..	"	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
24	Nahargarh	..	Kishanganj	
25	Shahbad	4	Shahbad	
26	Thana	..	,,	
27	Chhipabarod	6	Chhipabarod	
28	Harnaoda	..	,,	
29	Sarthal	..	,,	
30	Sironj	12	Sironj	
31	Latari	4	Latari	
32	Degod	..	Degod	
33	Dipri	..		
34	Bapawar	..	Sangod	
35	Sangod	6	,,	
36	Baran	12	Baran	
37	Koela	..	,,	
38	Chechat	3	Checbat	
39	Pipalda	..	Pipalda	

BUNDI DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 11 Total No. of Beds 97

1	General Hospital Bundi	56	Bundi City
2	Maternity Hospital	39	,,
3	Khatkar	..	Bundi
4	Dablana	..	,,
5	Nenwa (Nainwa)	1	Nenwa
6	Patan	1	Patan
7	Kapran	..	Kishorai
8	Hindolia	..	Hindolia
9	Talera	..	Talera
10	Dabi	..	,,
11	Basoli	..	,,

JHALAWAR DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 15 — Total No. of Beds 80

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	Shri Rajendra General Hospital	21	Jhalawar City	
2	Shri Heera Kaur Ba Women Hospitals	22	"	
3	Balchand Dispy. Jhalrapatan City	9	Jhalawar	
4	Kamruddin Dispy. Bhawani Mandi	4	Pachpahar	
5	Gangdhar Dispy.	2	Gangdhar	
6	Dag	..	Dag	
7	Awar	2	"	
8	Pirawa	2.	Pirawa	
9	Asanwara	..	Asanwara	
10	Bakni	4	Bakni	
11	Aklera	6	Aklera	
12	Khanpur	4		
13	Garnavar	..		
14	Pachpahar Dispy.		Pachpahar	
15	Manohar Thana	4	Manohar Thana	

BIKANER DIVISION.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 39 — Total No. of Beds 842

BIKANER DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 16 — Total No. of Beds 645

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
1	P.B.M.Men's Hospital	316	Bikaner City	
2	P.B M.Women's Hospital	215	"	
3	G. G.J.T.B Hospital	92	"	
4	City Dispensary No. 1.	..	"	
5	" 2.	..	"	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
6	Fort Dispensary outdoor	..	Bikaner city	
7	Lallgarh Hospital	2	Bikaner	
8	Gangashahr	.	"	
9	Napasar	6	"	
10	Palana	2	"	
11	Deshnok	..	"	
12	Nokha	4	Nokha	
13	Himatsar		"	
14	Kolayat	..	Mogra	
15	Gajner	8	Kolayat	
16	Lunkaransar	..	Lunkaransar	

GANGANAGAR DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 11 — Total No. of Beds 83.

1	State Hospital Ganganagar	55	Shri Ganganagar	
2	Bhadra	12	Bhadra	
3	Nohar Dispensary	6	Nohar	
4	Anupgarh	..	Anupgarh	
5	Vijai Nagar	..	"	
6	Sangaria	..	Sadulgarh	
7	Suratgarh	2	"	
8	Sadulgarh Town Dispensary	4	"	
9	Padampur Dispensary	..	Padampur	
10	Karanpur	2	Karanpur	
11	Raisinghnagar	2	Raisinghnagar	

CHURU DISTRICT.

Total No. of Hospitals and Dispensaries 12 — Total No. of Beds 114.

1	S.M.J.Hospital Ratangarh	38	Ratangarh	
2	Rajaldesar Dispensary	..	"	

S. No.	Name of Hospitals or Dispensaries	No. of Beds	Tehsil in which it is situated	Remarks
3	B. D. Hospital Churu	26	Churu	
4	Ratan Nagar	..	,,	
5	Sujangarh Hospital	13	Sujangarh	
6	S. T. M. Hospital	8	,,	
7	Chhapar	4	,,	
8	Dungargarh	1	Dungargarh	
9	Sardarshahr Hospital	12	Sardarshahr	
10.	Rajgarh Dispensary	8	Rajgarh	
11	Sidhmukh	..	,,	
12	Taranagar	4	Taranagar	

The Hospitals and Dispensaries which are not provided in the Budget of this Department but which are under the technical supervision and where the Staff of this Department is working are as follows:—

(They are exclusive of the above List).

Total No. of Hospitals and Dispensaries 9 Total No. of Beds 11.

1	J. Railway Dispensary	...	Jodhpur City
2	Rly. Workshop Dispensary		,,
3	Luni Rly. Dispensary	..	Luni
4	Barmer Rly. Dispensary	..	Barmer
5	Merta Road Rly. Dispensary	9	Nagaur
6	Rly. Workshop Dispensary	2	Bikaner City
7	Sadulgarh Rly. Dispensary	..	Sadulgarh
8	,, Travelling Disp.	..	,,
9	Rly. Dispy. Churu	..	Churu

The information about Jail Dispensary is incomplete hence it has not been included.

————